खण्ड-368, अंक-2
मंगलवार, 20 भाद्रपद, शक संवत् 1906
(11 सितम्बर, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 368 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
जनता पार्टी के नेता श्री जार्ज फर्नांडीज आदि की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	..	3–5
प्रश्नोत्तर	..	5–83
जनता पार्टी के नेता श्री जार्ज फर्नांडीज आदि की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	..	83–86
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (बस्ती) के अधिशासी अभियन्ता श्री आर० एन० तिवारी द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	87
महदेइया तितनापारा हरदी मार्ग, गोरखपुर के फर्जी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	87
राजकीय प्रमाणित संस्था, शिवकुटी, इलाहाबाद की अधीक्षिका एवं वरिष्ठ लिपिक द्वारा किये गये घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	88
कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जातिवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	88–89
मुरादाबाद में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी देने पर लगी रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	89
सांसद जार्ज फर्नांडीज, युवा जनता एवं लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	89–90
वर्ष 1980 में अपर सबार्डिनेट सर्विस पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	
विधायक श्री जसवन्त सिंह विष्ट की मांगों को पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	90
ग्राम खानपुर, सीतापुर में पुलिस चौकी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	90–91
शासन द्वारा विधान सभा के 90 उपवेशन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	92–94
18 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में बिना कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के 19 अप्रैल, 1984 को कार्य सूची का कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	94–96

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों को बार-बार स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	96-97
एक प्रश्न को चार बार स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	97-98
राज्यभाषा सम्बन्धी राजाज्ञाओं का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अभी तक समिति का गठन न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	98
बांदा जनपद में श्री राम सजीवन की हत्या की जांच डी० आई० जी० इलाहाबाद को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	98-99
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	99
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 1984 (सदन के पटलपर रखा गया) ..	99
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	99
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हनिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
उत्तर प्रदेश होम्योपथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
नगर महापालिका कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (देय धनराशियों की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	101
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	101
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (सदन के पटल पर रखे गये) ..	101
कुमायूं मन्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल की नवम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1979-80 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	101
उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	102
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि-लेखा परीक्षा, विधेयक, 1984 (शब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) ..	102
विधान सभा द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद ..	102
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन, विधेयक, 1984 (विधान परिषद से वापसी की सूचना ..	102-103
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 (विधान परिषद से वापसी की सूचना) ..	103
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 (विधान परिषद से वापसी की सूचना) ..	103
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	103
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा ..	103
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	103-104
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	104
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	104
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	194

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	104–105
उत्तर प्रदेश श्री बद्री तथा नाथ श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा..	104–105
श्री राम यश सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	105–106
जिलाधिकारी पीलीभीत के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	106–107
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)..	107–108
उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	108
कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	108
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय विशेष प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	108–109
दिनांक 21 मार्च, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	109
दिनांक 21 मार्च, 1984 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य..	109–110
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	110–111
महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिये गठित समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	114–114
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	111–119
प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (जारी) ..	119–133
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	133
सी० पी० ए० की बैठक के सम्बन्ध में सूचना ..	133
वित्तीय वर्ष 1984–85 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किया गया) ..	133
वित्तीय वर्ष 1980–81 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किया गया) ..	134
सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में संशोधन का संकल्प (स्वीकृत)..	134–143
नत्थियां ..	145–155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरीगढ़वाल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
बृजलाल, श्री (लखनऊ)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भीम सिंह सोना, श्री (मेरठ)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाराज सिंह श्री (आगरा)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाह, श्री (गोरखपुर)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)

जो राज्य मन्त्री श्री राजपाल त्यागी सदन में अनुपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनता पार्टी के नेता श्री जार्ज फर्नाण्डीज आदि की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जार्ज फर्नाण्डीज, गौरी शकर भैय्या इत्यादि कल गिरफ्तार किये गये, लेकिन इनका पता नहीं है कि ये कहां हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, यह प्रश्नों का समय है, कोई अन्य विषय नहीं लिया जा सकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ आप बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायगा । आप बाद में नियम 301 में और नियम 56 में इसे उठाइएगा ।

श्री रियासत हुसैन—

यह पूरे प्रदेश का मामला है, पता नहीं है कि कहां इनको बन्द कर दिया है या कहां इनको भेजा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए ।

(श्री रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । प्रश्नों के समय के बाद इस पर विचार हो सकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

एक भी शब्द लिखा नहीं जायगा, आप लोग बैठें ।

नियम 301 और नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हो गई हैं । इस समय प्रश्नों को चलने दीजिये, बाद में इस पर विचार किया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

यही बता दीजिये कि ये लोग कहां हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

एक शब्द भी लिखा नहीं जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

पहले हमें आश्वस्त करिये कि हमारे नेता जो कल गिरफ्तार किए गए थे, वे कहां हैं ?

श्री अध्यक्ष—

परिपाटी यही चली आती है, प्रश्नों के बाद इसको लेंगे ।

श्री मुख्तार अनीस—

क्या लोक सभा के स्पीकर को जार्ज फर्नाण्डीज की गिरफ्तारी की सूचना दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओझा जी, माननीय रियासत हुसैन साहब, माननीय मुख्तार अनीस जी और माननीय रेवती रमण सिंह जी

नोट :—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इस तरह की परिपाटी नहीं है, आप लोग कृपया बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

आप ही बतला दें । आप हमको यह सूचना दिलवा दीजिये हम केवल यह चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमको यह सूचित कर दें कि जार्ज फर्नाण्डीज, गौरी शंकर भैय्या तथा जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिनकी कल गिरफ्तारी की गई है, वह कहां हैं ? उनको कहां बन्द कर दिया गया या इनकाउन्टर कर दिया गया या फिर उनका क्या किया गया, कुछ पता नहीं चल रहा है ?

श्री पंचानन राय—

अध्यक्ष जी, यह प्रश्न-काल है और ये लोग प्रश्नों का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये । प्रश्न-काल के बाद आप पूछ लीजियेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

हमारी जनता पार्टी के युवा नेता जो सैकड़ों की तादाद में कल गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए हम कल रात भर टेलीफोनों के जरिये से पता लगाते रहे लेकिन किसी थाने ने और न किसी अधिकारी ने हमें यह सूचना दी कि उन लोगों को कहां ले जाया गया या उनका क्या किया गया । लालबाग में पूछा, हजरतगंज थाने में पूछा, किसी ने भी कोई सूचना नहीं दी । कल पूरे प्रदेश के जो हजारों की तादाद में यहां कार्यकर्त्ता आये थे, हम उनके बारे में सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि हमारे वे नेता और कार्यकर्त्ता कहां हैं क्योंकि उनके नाते-रिश्तेदार हमसे पूछते हैं कि वे कहां हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं है यद्यपि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं । जब तक आप या मुख्य मंत्री इसकी सूचना नहीं देंगे जब तक हमें उनके बारे में सूचना नहीं मिलती है, हम बराबर आपसे पूछते रहेंगे । कल रात एक बजे पुलिस लाइन में जाकर हमने 80 आदमियों को खाना खिलाया जबकि वे 5 बजे गिरफ्तार हुए थे पर किसी को खाना नहीं दिया गया था । इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वह सब लोग कहां हैं ?

(श्री भोखा लाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

पहले आप लोग बैठिये । परिपाटी हमेशा यह रही है कि प्रश्नों के बाद नियम 301 और नियम 56 लिया जाता है । जिस बात को आप इस समय कह रहे हैं इस पर प्रश्नों के बाद विचार किया जा सकता है । अभी प्रश्नों को लेने दीजिए ।

श्री भोखा लाल--

मैं इसी पर आपकी व्यवस्था चाहता था जो कि आपने अभी बताया यही मैं जानना चाहता था कि माननीय रियासत हुसैन और माननीय ओझा जी जब खड़े हो कर बोलने लगे तो उससे जो अव्यवस्था पैदा हुई, इसी पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप लोग पहले इस विषय को लाना चाहते थे तो पहले नेताओं की बैठक बुला लेनी चाहिये थी या फिर इसे कार्य-मंत्रणा समिति में रखना चाहिये था लेकिन इस समय अव्यवस्था नहीं पैदा करनी चाहिए थी ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, हम कोई बहस की मांग नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं मांग रहे हैं । हम तो सिर्फ एक सूचना चाहते हैं जो कि मुख्य मंत्री के पास होगी, वे हमें सूचित कर दें कि आपके नेता, जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता उस जगह पर हैं, इतनी तादाद में हैं । अब तक हमको

उनके बारे में सूचना नहीं मिल पाई है, हमने हर तरह से प्रयास कर लिया है लेकिन हमको किसी थाने में नहीं बताया गया किसी अधिकारी ने नहीं बतलाया कुछ भी। मैं रात में एक बजे पुलिस लाइन में गया और वहां करीब 80 आदमियों को खाना खिलवाया। जब हमें किसी ओर से सूचना नहीं मिल रही है तो अगर आप मुख्य मंत्री से नहीं पूछना चाहते तो आप ही हमें बतला दीजिये। हम कोई यह नहीं कह रहे हैं कि आप उन पर रहम करिये या उन पर मुकदमा न चलाइये पर कम से कम हमको उनके बारे में सूचना तो दे दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह का प्रस्ताव लाये कि जो प्रश्न हैं उनको स्थगित किया जाता है, उसके बाद आपके मामले पर कार्यवाही हो सकती है।

श्री रियासत हुसैन—

जब 18 अप्रैल को आपने 19 तारीख की सारी कार्यवाही बिना किसी प्रस्ताव के ले लिया था। अम्मार रिजवी ने एक दिन आगे की सारी कार्यवाही एक दिन पहले पास करा दी। तब यह नियम आपने क्यों नहीं लागू किया था ?

श्री अध्यक्ष—

आपने अपनी बात कह दी है, अब प्रश्नों को आगे चलने दीजिए।

श्री रियासत हुसैन—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक सूचना चाहता हूं कि हमारे नेता कहां पर हैं। हम बहस नहीं मांग रहे हैं। कोई हम चर्चा नहीं चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद वह सूचना दे देंगे।

श्री संखल बशर—

इनका पेट बहुत बड़ा हो गया है। तानाशाही का जबड़ा बहुत बड़ा हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। माननीय नेता सदन, प्रश्नों के उत्तर के बाद जो ओझा जी ने और रियासत हुसैन जी ने बातें कहीं हैं जिनको आपने सुना है, उसकी जांच करवा के सूचना दे देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

ठीक है।

श्री मोहन सिंह—

आपने अभी रूलिंग दी कि यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा तो उसके पहले आप कार्यवाही का अंग बनाये। जब तक वह कार्यवाही का अंग नहीं है तो कैसे इन्होंने सुन लिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 11 सितम्बर, 1984

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को बोनस के भुगतान पर विचार

**1—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों को वर्ष 1983-84 के बोनस का भुगतान दीपावली के पूर्व कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं उर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गत वर्ष बोनस के भुगतान करने के बारे में तथ्य रूप से निर्णय लिया गया था। वर्ष 1983-84 और भविष्य के लिए नीति विषयक निर्णय लेने में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1983-84 का बोनस राज्य कर्मचारियों को दीवाली के पूर्व अदा कर दिया जायेगा ? मैं इसका उत्तर हां या न में चाहता हूं ?

श्री बहादुर—

पिछले वर्ष भारत सरकार ने निर्णय ले लिया था और उसी के अनुरूप बोनस का भुगतान किया गया था, लेकिन इस साल कोई निर्णय नहीं लिया है और न कोई नीति ही निर्धारित हुई है। जैसे ही भारत सरकार की घोषणा होगी, हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 4 किश्तों के दशहरा के पूर्व भुगतान किए जाने की घोषणा की है, तो क्या राज्य सरकार भी अपनी ही नीति के अनुसार इन 4 किश्तों का भुगतान अपने कर्मचारियों को कर देगी ? क्या महंगाई भत्ते और बोनस दोनों का भुगतान दशहरा या दीपावली के पूर्व कर दिया जायेगा ?

श्री बहादुर—

यह दो अलग-अलग प्रश्न हैं। बोनस के बारे में भारत सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद हम विचार करेंगे और जहां तक मंहगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान का प्रश्न है पूरी सूचना भारत सरकार से मंगाई है और इसको बहुत शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1983-84 का बोनस का आधार क्या होगा । 5-6 महीने के बाद भी आप इस को नहीं तय कर पाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है और इस बारे में कब तक फैसला ले लिया जायेगा ?

श्री बहादुर—

हम केन्द्र के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब उनकी घोषणा हो जायेगी तो हम अपनी परिस्थिति को देखते हुए उदारतापूर्वक निर्णय लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसी के सम्बन्ध में एक पूरक प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पिछली बार जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस दिया गया था उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भी दिया था। आज माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा, उसमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप देंगे । यह नई बात आपने खड़ी कर दी । इसका क्या मतलब है ? क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को जो बोनस देगी उसमें आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार यहां घोषणा करेंगे, उससे कम देंगे या उससे बढ़ाकर देंगे ?

श्री बहादुर—

मान्यवर, यह समय पर बताना सम्भव होगा ।

जनपद रायबरेली के थाना क्षेत्र डीह के ग्राम बीरेपुरवा में हरिजनों के घरों में आग लगन से क्षति तथा आर्थिक अनुदान

**2—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बीरेपुरवा, जनपद रायबरेली के थाना क्षेत्र डीह में दिनांक 6 जुलाई, 1984 को हरिजनों के घरों में आग लगाकर 11 हरिजनों को जिन्दा जलाकर मार डाला गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह राज्य मंत्री(श्री राम सिंह)—

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 6–7–1984 को प्रातः 8 बजे रघुबीर पुत्र भगौती पासी साकिन बीरे मजरे रसीदपुर रेघरा थाना डीह आदि 15 अभियुक्तों ने जंगली चमार के छप्पर में आग लगा दी जिससे मकान में बन्द 11 व्यक्ति दम घुटने से मर गये ।

इस सम्बन्ध में उसी गांव के श्री सुरई पुत्र मनबोध पासी द्वारा लिखित सूचना पर दिनांक 6–7–1984 को 9.30 बजे थाना डीह पर मु0 अ0 सं0 62/84 धारा 147/449/436/302 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध 15 नामजद अभियुक्तों के पंजीकृत हुआ । सूचना मिलते ही जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे । घटना के दिन ही 5 नामजद अभियुक्त बन्दी बनाये गये तथा शेष 10 फरार अभियुक्तों की दिनांक 6–7–84 को कुर्की की गई । जिसके फलस्वरूप 3 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा शेष 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । समस्त अभियुक्त जेल में हैं । विवेचना से समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र दिनांक 31–7–84 को प्रेषित किया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

मृतकों के परिवार वालों तथा गवाहों की सुरक्षा के लिए गांव बीरे में सशस्त्र गार्ड लगा दी गयी है ।

जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा 11 मृतक के 4 परिवारों को उसी दिन 500 रु0 प्रति परिवार के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की गई और तदोपरान्त 1000 रु0 प्रति परिवार को घर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ।

मृतकों के परिवार वालों को प्राप्त अन्य सहायता के अतिरिक्त शासन के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भी उसको पेन्शन स्वीकृत की गयी है।

श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार हरिजनों की रक्षक है या भक्षक है, यह इससे सिद्ध हो जाता है । यह प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है जहां 11 हरिजनों को जलाकर मार डाला गया और हमारे प्रदेश का कोई मंत्री वहां नहीं गया जबकि बेलछी और नारायणपुर में हमारी प्रधान मंत्री हाथी में बैठकर गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि 11 हरिजन वहां पर दम घुटने से मर गये । यह बताया गया कि हरिजन ने हरिजन का घर फूंका है और 15 अभियुक्त हैं । ये 15 अभियुक्त कौन–कौन हैं और किसने इनको घेर कर बन्द कर रखा था ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि आपने जो आरोप लगाया है कि हमारी मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य वहां नहीं गया, तो मैं बताना चाहता कि हमारे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री वहां गये थे और उन्होंने पांच–पांच हजार रुपये प्रति मृतक व्यक्ति को दिये थे । इसलिए सम्मानित सदस्य का यह आरोप गलत है । दूसरी बात यह है कि उन्होंने बताया कि उसमें 13 पासी हैं, एक ब्राह्मण है और 1 ठाकुर है । यह भी जिस समय इसकी विवेचना हो रही थी उससे सिद्ध हुआ कि पासी लोगों ने उसके छप्पर में आग लगायी थी और उसी बीच एक ब्राह्मण और एक ठाकुर भी वहां आ गया । सारा झगड़ा हरिजनों का ही था ।

श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी है इसमें जमींदारों के घर के कितने और कौन–कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने हरिजनों को खदेड़कर एक घर में बन्द कर लिया और तब तक निकलने नहीं दिया जब तक उसमें आग नहीं लगा दी गयी ?

यह जो रिपोर्ट दी गयी है और पुलिस की रिपोर्ट है, वह गलत है। जब कि वास्तविकता यह है कि जमींदारों ने उन्हें खदेड़ कर एक घर में बन्द कर दिया था और तब तक निकलने नहीं दिया जब तक उसमें आग न लगा दी गयी। उन्होंने स्वयं आग लगायी। एक हरिजन को फंसा दिया वह बीड़ी पीता था और उसकी जेब में माचिस थी इसलिए रिपोर्ट में उसका नाम हो गया कि इसने आग लगायी है लेकिन वास्तव में आग दूसरे लोगों ने लगायी। हरिजन जो सिंचाई कर रहे थे उनको खदेड़ कर 8 बजे का यह घटना है उस वक्त कोई सोता नहीं है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना की पुनः जांच करा कर जिन लोगों ने यह कांड करवाया उनको मुलिजम मान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक इस कांड को करने वालों की बात है उसमें तथ्य यह है कि जब यह घटना हुई उससे 10 दिन पूर्व उनके दो बच्चे जो मछली पकड़ रहे थे उनमें झगड़ा हो गया। उसके बाद जब राजाराम वहां सुअर चरा रहा था उसी समय राम दुलारे पासी लाठी लेकर आये और उसने वार शुरू कर दिया। वह भाग कर घर आ गये और उस मकान में एक ही दरवाजा था। तो बाहर से दरवाजे में कुंडा लगा दी गयी थी। चूंकि यह पासी लोगों का आपसी मामला है उसमें कोई तथ्य छुपाने की बात नहीं है।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर कई सदस्य खड़े होकर प्रश्न करने की मांग करने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 के अन्तर्गत सूचना दे दें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

माननीय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

11 आदमी जिंदा जला दिये गये तो इससे ज्यादा और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

30 मिनट समाप्त हो गये हैं।

(व्यवधान)

मैंने अब दूसरे सवाल को ले लिया है।

(व्यवधान)

आप नियम को देखें। आप लोग बैठें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय, हरिजनों का मामला है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठें।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

माननीय, इस पर चर्चा करा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मेरा एक निवेदन है। यह गंभीर सवाल है और हरिजनों से सम्बन्धित है लेकिन इसका उत्तर साफ नहीं आया है। करीब 5, 6 मिनट इस आवश्यक का इस प्रकार समय बर्बाद हो गया है। मेरा सुझाव है कि आपने एक प्रश्न एवं संबंध समिति इस तरह के सवालों के

लिए बना रखी है इसलिए इसको भी उसे संदर्भित कर दें। इसमें साफ आरोप है कि हरिजनों का उत्पीड़न हुआ है। इसलिए आप इसे उस समिति को संदर्भित कर दें क्योंकि नियम 49 में आने पर तो अगले बुधवार तक चर्चा होगी और वह आयेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर रहा हूं ताकि इसकी वहां जांच हो सके।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

ग्राम चमरूपुर, थाना खण्डासा, फैजाबाद में हरिजन उत्पीड़न की घटना

*1--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-12-80 को ग्राम चमरूपुर, थाना खण्डासा, फैजाबाद में कोई हरिजन उत्पीड़न की घटना घटी है और उक्त घटना के मुख्य अभियुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, सर्वोदय इन्टर कालेज, रामगंज, फैजाबाद, निवासी ग्राम चमरूपुर स्वयं है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध विभागीय स्तर से अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

शिक्षा मंत्री (श्री वीरसेन)--

जी हां।

9 अभियुक्तों में से एक श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह भी हैं। शिक्षा अधिनियम की धारा 16-जी तथा उस पर बने विनियम के अनुसार अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा दण्ड का प्रस्ताव करने का अधिकार सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धतंत्र को है। प्रबन्ध समिति का इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद की सूचना दिनांक 24-3-83 के अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह प्रवक्ता का मामला न्यायालय के विचाराधीन था। न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी अभियुक्त आरोप मुक्त कर दिये गये हैं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, यह जो श्री सुरेन्द्र सिंह हैं, ग्राम चमरूपुर, वह बहुत जबरदस्त, जमींदार पुराने हैं, आज भी उनका आतंक और दबदबा है, 1980 में अपने गांव में 80 हरिजन परिवारों का सामान कुयें में डाल दिया था, जिस पर डकैतों का अपराध दर्ज कराया गया था और मुकदमा कायम हुआ था। जिस स्कूल में वह पढ़ाते हैं वह जमींदारों का है, इसलिये स्कूल ने प्रस्ताव नहीं किया। इन पर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने चार्जशीट लगायी लेकिन अदालत ने गवाहों को तलब ही नहीं किया और न वह पेश हुए, इसलिये मुकदमा समाप्त कर दिया गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग ने ऐसे आतंकवादी और जालिम लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही किया और यदि नहीं किया, तो क्या कार्यवाही करने जा रहो हैं।

श्री वीरसेन--

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इनके खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया वह मारपीट का था चूंकि शिकायत थी कि घूसों और लातों से मारा। दो गवाह भी पेश हुए थे लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए न्यायालय उनके बारे में निर्णय नहीं दे सकी और वह छूट गये।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न था कि शिक्षा विभाग ने कोई कार्यवाही किया है कि नहीं?

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें जो कार्यवाही की जाती है वह प्रबंधतंत्र की ओर से की जा सकती है और शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, मैं घटना को भलीभांति जानता हूं । घटना घटित हुई और एफ0 आई0 आर0 लांज हुई और शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को जब यह जानकारी है कि रामगंज, सर्वोदय इंटर कालेज में वह प्रधानाचार्य हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया और अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि प्राइवेट संस्था में सरकार की तरफ से कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता है । यदि प्रबंध समिति आरोप लगाकर भेजे तो विभाग विचार म अता है और फिर विभाग आरोप लगाकर डी0 आई0 ओ0 एस0 के पास भेजता है । इसमें तो यह क्रिमिनल केस है और मैं समझता हूं कि क्रिमिनल की ही कार्यवाही की जा सकती थी, जो की गयी ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह सही है कि प्राइवेट एडेड स्कूल है । प्रबंधतंत्र इसमें एक्शन ले सकता है । लेकिन सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि प्रधानाचार्य ने नियमों की अवहेलना की और मैनेजमेंट उनको बचा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में उस मैनेजमेंट समिति को सुपरसीड करके, भंग करके, साधिकार नियंत्रक को नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री वीरसेन—

कमेटी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तो विद्यालय में कोई अनियमितता हो और विशेषतौर से वित्तीय अनियमितता हो तभी कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन कोई क्रिमिनल केस किसी व्यक्ति—अध्यापक के विरुद्ध हो तो मैं उसमें समझता हूं कि यह कार्यवाही मैनेजमेंट के विरुद्ध नहीं की जा सकती है ।

श्री मित्रसेन—

श्रीमन्, यह घटना मेरे क्षेत्र की है, मैं इसे शत-प्रतिशत जानता हूं । माधव प्रसाद जी भी इस घटना के बारे में पूरी तरह जानते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना के मुकदमें में न्यायालय ने गवाहों को तलब ही नहीं किया । इस प्रकार की मिली-भगत के कारण इस सारे मामले में अपराधी को छोड़ दिया गया । तो मैं आपसे यह निवेदन करना और जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे अपराधी को बचाने में शासन भी पक्षधर है ? यदि नहीं, तो क्या कोई अन्य कार्यवाही करके जैसे सी0 आई0 डी0 की जांच हो या विभागीय जांच हो, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री वीरसेन—

इसमें तो मामला अदालत में गया था और अदालत में सिर्फ दो गवाह पेश हुए । किन्तु दोनों के दोनों होस्टायल हो गये, तो मैं समझता हूं कि अब अदालत में दुबारा तो मामला उठाया नहीं जा सकता है और जो कुछ प्रमाण देने थे, उनको देने थे तो इस वक्त जब मामला ....

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

इसीलिए तो सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की मांग की जा रही है, जिससे सब तथ्य सामने आ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री वीरसेन—

तो इसमें जब न्यायालय में एक बार विवाद जा चुका है और उस पर निर्णय

हो चुका हूं, तो संविधान के अनुसार एक व्यक्ति के विरुद्ध दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ।

*2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में प्रोन्नतियों पर कथित रोक

*3—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में प्रोन्नतियों पर रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो इन प्रोन्नतियों में आने वाले रिक्त पदों को सरकार का भरने का इरादा कब तक है ?

श्री वीर सेन—

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में नियमानुसार प्रोन्नतियों पर शासन की ओर से कोई रोक नहीं लगी हुई है । अपितु उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (कनिष्ठ वेतनमान) पुरुष शाखा में तदर्थ प्रोन्नतियों सम्बन्धी जनवरी, 1981 के विभागीय आदेश पर कतिपय विभागीय व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया ।

फिलहाल अवरोध समाप्त करने के लिये, रिक्त उक्त पदों को भरने के लिये, 276 पुरुष एवं महिला शाखा के अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति माह जुलाई, 1984 में अनुमोदित की जा चुकी है ।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने पुरुष वर्ग की प्रोन्नतियों पर रोक लगाई थी, लेकिन महिला वर्ग को प्रोन्नति न देने का क्या कारण है रिट पिटीशन किसने—किसने किया था और उसमें क्या ग्राउन्ड्स लिये गये थे ? क्या शासन द्वारा उन ग्राउन्ड्स को रिमूव नहीं कराया जा सकता था ताकि प्रोन्नति शासन के हित में हो सके ?

श्री अध्यक्ष —

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, यह बहुत व्यापक है । आप दूसरा प्रश्न कीजिए ।

श्री राजकुमार राय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब महिलाओं की प्रोन्नति पर रोक नहीं थी, तो उनको क्यों नहीं किया गया ? और रिट पिटीशन किसने किया था और उसका मुख्य आधार क्या था ? क्या कोई ऐसा आधार था, जिसे शासन रिमूव नहीं करा सकता था ?

श्री वीरसेन—

यह प्रश्न बनता नहीं है, उठता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिए आपकी सूचना नहीं है तो कहिये सूचना की आवश्यकता है, लेकिन जिसको मैंने एक बार स्वीकार किया है, उसका उत्तर आपको देना ही है । इस तरह नहीं . . .

(व्यवधान)

माननीय राय जी इसका वह उत्तर दे रहे हैं, आप बैठिये ।

श्री वीरसेन—

276 पुरुष एवं महिला शाखा के अधिकारियों की प्रोन्नति या नियुक्तियां जुलाई, 84 में अनुमोदित की जा चुकी हैं । इसलिए उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है । महिलाओं की प्रोन्नति की जा रही है ।

श्री राजकुमार राय—

मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि 276 पुरुष एवं महिला शाखा के अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति माह

जुलाई, 1984 में अनुमोदित की जा चुकी है, तो यह उन्होंने अनुमोदन किया है किन्तु उसे कर देने में उन्हें क्या दिक्कत थी, जबकि 81 से 84 हो गया है और उसके लिए उच्च न्यायालय से कोई रोक भी नहीं थी, अन्य भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी ? तो यह मामला क्यों लटकाए रखा गया है ?

श्री वीरसेन—

19-4-84 को सुप्रीमकोर्ट का इसमें निर्णय हुआ है, उसके बाद इसमें कार्यवाही शुरू की गयी है । इसे करने का एक प्रोसीजर है, जो लम्बा है, उसमें कुछ देर लगती है । अब शीघ्र ही अमल हो जाएगा ।

सी0 एल0 इन्टर कालेज, चोलावन, चावली, बुलन्द-शहर में घपले की जांच

*4—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 27-12-82 सी0 एल0 इन्टर कालेज, चोलावन, चावली, जनपद बुलन्दशहर में प्रधानाचार्य व प्रबन्ध समिति के कुछ सदस्यों द्वारा गम्भीर घपले के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करायी गयी । जांच में अनियमितायें पायी जाने पर वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक को नियुक्ति की गयी ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत किये जाने के बाद आरोप सही पाये गये और उसके बाद विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गयी तो इस नियुक्ति को न्याय संमत नहीं कहा जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि घोर अनियमितायें थीं और जिन्होंने अनियमितायें की उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों नहीं की गयी ?

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, इसमें 2 अध्यापकों और 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन अनियमित रूप से आहरित करने एवं धन का दुरुपयोग किये जाने के आरोप थे । इसमें यह कार्यवाही की गयी है कि सी0 जे0 एम0, बुलन्दशहर के न्यायालय में वाद योजित किया गया है ।

श्री किरनपाल सिंह—

शायद मुख्य मंत्री जी को भी आज, अम्मार रिजवी के साथ जो अन्याय किया गया है, ग्लानि हो रही होगी माननीय मंत्री जी की परफारमेंस को देखकर । मैं जानना चाहता हूं कि जब घोर अनियमितायें पायी गयी तो उस कालेज का स्पेशल आडिट कराया गया ? यदि नहीं, तो यह जांच क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री वीर सेन—

अध्यक्ष महोदय, केवल 2 अध्यापकों और 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन अनियमित रूप से आहरित किया गया । सिर्फ एक ही चार्ज है । मैं समझता हूं कि इसके लिये विशेष आडिट की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनियमित रूप से सेलरी निकाली गयी, तो यह साफ-साफ 420, धोखाधड़ी का

मामला बनता है। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन अध्यापकों या कर्मचारियों के विरुद्ध और किन धाराओं में सी0 जे0 एम0 की अदालत में वाद नियोजित किया गया है ?

श्री वीर सेन-

अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय में प्राविकृत-नियन्त्रक को नियुक्ति कर दी गयी है और वेतन बिल के माध्यम से की गयी अनियमितता पर उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरुद्ध सी0 जे0 एम0, बुलन्दशहर के न्यायालय में वाद भी योजित कर दिया गया है।

इलाहाबाद जनपद की मेजा तहसील में सड़कों के निर्माण में कथित शिकायत

*5—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद की मेजा तहसील में अस्थायी खन्ड नं0-1 द्वारा निर्माणाधीन सड़कों में व्यापक घांधली एवं फर्जी मस्टर रोल बनाकर सरकार को काफी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच गुप्तचर विभाग से कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

इलाहाबाद जनपद की मेजा तहसील में निर्माणाधीन सड़कों पर मिट्टी का कार्य, कुटाई का कार्य एवं सतह लेपन का कार्य मस्टर रोल द्वारा विभागीय पद्धति के अनुसार कराया गया। निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता आदि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः गुप्तचर विभाग से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रेवती रमण सिंह—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कौन कौन सी सड़कें वहां पर बनाई जा रही हैं और कितनी लागत की बनाई जा रही हैं ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय अध्यक्ष जी, मेजा तहसील माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम ही होगा और यूं तो 21 सड़कें वहां पर बनाई जा रही हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सरयूपारियों में आप ही अकेले बचे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेई—

आप कन्यकुब्जों को सुनेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय बाजपेई जी से पूछ लीजिए कि इनकी आदत कब तक सुधरेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने प्रश्न यह किया कि मेजा तहसील में अस्थायी खंड नं0 1 द्वारा कितने किलो मीटर सड़क बनाई जा रही है और उसकी कितनी लागत है ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मांडा लालगंज मार्ग, चौकी दिविया मार्ग, मेजा रोड से मेजा क्रॉसिंग मार्ग का आधुनीकरण रामनगर पसनीपुर मार्ग का शेष भाग, भारतगंज प्रतापपुर मार्ग का आधुनीकरण .....

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब माननीय मंत्री जी क्या दे रहे हैं। ये सड़क का नाम दे रहे हैं, मैं पूछ रहा

हूं कि मेजा तहसील में कितने किलो मीटर सड़क बनाई जा रही हैं और उसकी लागत क्या है ?

श्री राम नरेश शुक्ल---

मिसिंग लिंक सिरसा मदिरा घाट का निर्माण 33, मांडा लालगंज मार्ग 18·57, चौकी दिविया मार्ग का आधुनीकरण 14·32, बरौधा बाजार से सिरवल झरमनियां मार्ग 0·62

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ---

आप लोग शान्त रहिए, माननीय मंत्री जी को पढ़ने दीजिए ।

श्री मुख्तार अनीस---

लाये हैं ढूढ़ -ढूंढ़ के आलू अच्छे, इसमें कुछ शक नहीं है हूर के लालू अच्छे ।

श्री अध्यक्ष ---

मंत्री जी आप अंग्रेजी में गिनती क्यों बोलते हैं, हिन्दी में क्यों नहीं बोलते ।

श्री राम नरेश शुक्ल---

आप कहें तो माननीय सदस्य के पास कापी भेज दूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, मंत्री जी ने कहा किसी प्रकार की शिकायत की जानकारी नहीं है । माननीय सदस्य ने लिखित प्रश्न दिया और अपेक्षा की कि पूरे मामले की जांच गुप्तचर विभाग से करा देंगे । माननीय मंत्री जी ने क्या कोई जांच कराई जिससे यह पता चला कि कोई शिकायत नहीं है ? अगर जांच कराई गई तो किस अधिकारी द्वारा कराई गई और कब कराई गई ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

चूंकि सम्मानित सदस्य ने अपनी जानकारी के आधार पर शिकायत की है । हम अवश्य इसकी जांच करायेंगे । मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य के पास जो शिकायत पहुंची हो उसको ब्यौरेवार भेज दें । मैं सम्मानित सदस्य का लिखना पर्याप्त समझता हूं । जहां तक विवरण का प्रश्न है, जैसा हमारे सम्मानित सहयोगी ने कहा 21 सड़कें मेजा में बनाई जा रही हैं । उनके खर्च का पूरा विवरण हमारे पास है । उसको पूरा पढ़ने में 5 मिनट का समय लग सकता है, सदन का इतना समय व्यय करना माननीय सदस्य उचित नहीं समझेंगे । माननीय सदस्य के पास मैं पूरा विवरण अभी भेज दूंगा । 133 किलो मीटर सड़क स्वीकृत कराई गई है । प्राप्त सूचना के अनुसार 1 करोड़ 25 लाख रुपया 31 मार्च, 84 तक व्यय किया जा चुका है । मैं विवरण आपके पास भेज रहा हूं । माननीय सदस्य के पास भजवा दें ।

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध हरिजन छात्रवृत्ति के व्यवहरण के आरोप की जांच

*6---श्री गोपीनाथ वर्मा---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित ता0 प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के शिक्षकों के पी0 एफ0 जी0 पी0 एफ0 के लाखों रुपये के भारी गबन तथा छात्रों की छात्रवृत्ति में लाखों रुपए की हेर फेरी किए जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा जांच विवेचना पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरसेन—

पुलिस विभाग की जांच विवेचना मात्र एक प्रकरण पर पूरी हो चुकी है जिसके अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव वर्ष 1980-81 की हरिजन छात्रवृत्ति के रु0 11,222 के व्यवहरण के अपराध के लिए पूर्णरूप से दोषी पाए गए हैं ।

प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है । प्रबंधाधिकरण के विरुद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही शिक्षा निदेशक द्वारा की जा रही है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव वर्ष 1980-81 की हरिजन छात्रवृत्ति के रु0 11,222 के व्यवहरण के अपराध के लिए दोषी पाये गये । उनके विरुद्ध पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही की गई क्या उनको गिरफ्तार किया गया और अगर किया गया तो किस आधार पर छोड़ा क्या ?

श्री वीरसेन--

उनके खिलाफ वाद योजित करा दिया गया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ही एक मंत्री इस पूरे मामले को दबाना चाहते थे । प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करके फैजाबाद कोतवाली लाया गया और फिर कोई कारण बताकर उसको रिहा कर दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया या नहीं ? अगर किया गया तो किस आधार पर छोड़ दिया गया ?

श्री वीरसेन--

अध्यक्ष महोदय, उन्हें गिरफ्तार किया गया था ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया था ? यदि गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें किस आधार पर छोड़ा गया । प्रधानाचार्य के खिलाफ 420 का मुकदमा दायर किया गया या नहीं ?

श्री वीरसेन--

मान्यवर, यह बात तो न्यायालय पर आधारित है वह जमानत पर छोड़ें या किसी और बात पर छोड़ें ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर 16 डी में उप निदेशक द्वारा कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा की धारा 16 डी में यह क्या कार्यवाही कर रहे हैं और किस धारा में कर रहे हैं क्योंकि 16 डी में तो कई धारायें हैं । इसमें कितनी प्रगति हुई है ? दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य दोषी पाये गये, इस वजह से पुलिस ने प्रधानाचार्य को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

श्री वीरसेन—

मान्यवर, हमने बताया कि गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया ।

औद्योगिक नव शिक्षा-यतन जू0 हा0 स्कूल, देवनगर (सरवा) तथा अमर शहीद बालिका जू0 हा0 स्कूल रणवीरपुर, आजमगढ़ का रोका गया क्षतिपूर्ति अनुदान

*7--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक नव शिक्षा-यतन

देवनगर (सरवा) जूनियर हाई स्कूल, आजमगढ़ और अमर शहीद जूनियर बालिका विद्यालय ग्राम रणवीरपुर, आजमगढ़ का राजकीय अनुदान 8 वर्षों से रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल)—

जी हां। औद्योगिक नव शिक्षा पतन जू0 हा0 स्कूल, देवनगर (सरवा), तथा अमर शहीद बालिका जू0 हा0 स्कूल रणवीरपुर, आजमगढ़ का वर्ष 1972 से क्षतिपूर्ति अनुदान रुका हुआ है।

विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त बालक विद्यालय के क्षतिपूर्ति अनुदान के प्रपत्र में प्रविष्टियों के सत्यापनार्थ विभागीय अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाने के कारण तथा उपरोक्त बालिका विद्यालय के सम्बन्ध में जांच हेतु छात्र उपस्थिति पंजिका आदि मूल अभिलेख मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने के कारण उपर्युक्त दोनों विद्यालयों का क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, हमने तो अपने सवाल में आठ वर्ष का ही जिक्र किया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने 12 साल स्वीकार कर लिया कि बारह साल से क्षतिपूर्ति अनुदान रुका है और इसलिए रुका हुआ है कि इसकी जांच रुकी हुई है। मेरा प्रश्न है कि बारह साल से आप इस बात की जांच नहीं करा पाये तो कौन सा अधिकारी इसमें जांच कर रहा है अगर आप इस बात की जांच कर लेते तो उन लोगों के खिलाफ चीटिंग में मुकदमा दायर हो जाता या उन लोगों को क्षतिपूर्ति अनुदान मिल जाता। इन दोनों में से आप कुछ नहीं कर पाए। न तो मुकदमा कायम करने का और न क्षतिपूर्ति अनुदान देने का। अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह घोषणा करेंगे कि एक महीने या दो महीने के अन्दर-अन्दर इस साल के अन्दर आप इसकी जांच कराकर अन्तिम निर्णय दे देंगे और उन लोगों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाएगी ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय सदस्य ने अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी का उत्तर पढ़ लिया होता तो यह प्रश्न उठता ही नहीं। इसमें बालक विद्यालय वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया है शासन इसमें भुगतान कर रहा है। क्षतिपूर्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बालिका विद्यालय का नवीनीकरण स्थाई मान्यता का नहीं है वह अमान्यता वर्ग में किया गया है इसलिए क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, जो आपने उत्तर दिया है उसमें आपने कहा कि सन् 1972 से अनुदान रुका हुआ है। दूसरे पैरे में कारण दिया है कि जांच की, कुछ फर्जी दस्तखत पाये गये, रजिस्टर नहीं दिया गया आदि, इसलिए इसकी स्वीकृति नहीं की जा सकी। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि 12 साल के अन्दर, यदि कोई गलत चीज उन्होंने आपके सामने रखी तो उनके खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया। यदि फर्जी दस्तखत या ऐसी और कोई बात थी तो पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिये था। या फिर जांच पूरी कराकर अनुदान मिल जाना चाहिये था। क्या आप यह आश्वासन देंगे कि इन दोनों कामों में से एक काम जल्द से जल्द कर लिया जाएगा ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय सदस्य इस बात पर बहुत बल दे रहे हैं कि इतने अर्से तक कैसे रुका रहा, लेकिन जो मांग की गयी, वही काफी विलम्ब से की गयी।

क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना-पत्र 7 वर्ष के बाद दिया गया। उसके बाद में जो खोज की गयी तो पता चला कि जो मांग की गयी हैं वह फर्जी दस्तखत करके की गयी है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने आठ साल की बात कही तो मंत्रीजी ने कहा कि 12 साल से रुका हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि जो इन्होंने कारण बताया कि दस्तखत फर्जी थे, या रिकार्ड नहीं दिया गया, तो कुछ न कुछ ऐसी बात थी जिसमें पुलिस में मामले को देकर कार्यवाही की जानी थी। आपने न तो काग्नेजिबिल आफेंस के अन्तर्गत कार्यवाही की और न क्षतिपूर्ति अनुदान ही दिया। मेरा प्रश्न है कि किस अधिकारी ने 12 साल में जांच की और जो पूरी नहीं हुई ? क्या आप आश्वासन देंगे कि मेरे उपरोक्त दोनों कार्यों में से एक कार्य हो जायगा, यानी या तो मामला पुलिस में दे दिया जायगा या अनुदान मिल जायगा ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन, जैसाकि अभी बताया गया कि आठ साल के बाद उन्होंने अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया, अतः इसमें शासन का कोई दोष नहीं है, फिर उसमें फर्जी दस्तखत किये गये। जहां तक बालिका विद्यालय की बात है उनकी ओर से मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः क्षतिपूर्ति अनुदान का प्रश्न नहीं उठता। उनके प्रबन्धक ने स्थानीय अधिकारी पर दबाब डलवाया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी हुई। अतः क्षति-पूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पाठशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद में वित्तीय अनियमितायें

* 8--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पाठशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद में शिक्षा सत्र 1978-79 में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण शासन द्वारा साधिकार नियन्त्रक नियुक्त हुआ था ? क्या इस संस्था के अभिलेखों का विशेष आडिट कराया गया ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर सेन--

जी हां।

जी नहीं।

अनियमितायें ऐसी नहीं थी जिनके लिए विशेष आडिट की आवश्यकता होती।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लाखों रुपयों की हेर फेरी और गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण 1978-79 में साधिकार नियन्त्रक का नियुक्ति की गयी, अतः विशेष आडिट न कराये जाने का क्या कारण है ? इसमें आपके विभाग के अधिकारी लीपापोती करने के लिये तो नहीं कह रहे हैं कि अनियमितायें नहीं हुई। यदि ऐसा था तो साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता थी। सारे प्रकरण में जो अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण में विशेष आडिट कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर सेन--

श्रीमन, इसमें केवल एक वित्तीय अमियमितता थी। भूतपूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ पेन्शन के मामले से सम्बन्धित इसलिए केवल एक मामले पर विशेष आडिट को बठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पंचानन राय--

जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अब तक कोई एजेंसी इस मामले में कोई जांच नहीं करेगी तो उस पर आरोप कैसे सिद्ध होंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस विद्यालय के फन्ड्स का विशेष आडिट कराने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है और जब तक मामले की किसी प्रकार की जांच नहीं होगी तो उसके आरोप कैसे सिद्ध होंगे और आप बिना किसी जांच के इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गये कि अनियमितता नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले पर विशेष आडिट कराये जाने के आदेश पारित करेगी ?

श्री वीर सेन--

जो आरोप लगाये गये हैं उनमें से सिर्फ एक ही आरोप है और वह कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसके खिलाफ विशेष आडिट कराया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जब किसी मामले में वित्तीय गड़बड़ियां बहुत ही गम्भीर रूप में होती हैं तभी साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति होती है, परन्तु माननीय मंत्री जी के उत्तर से ज्ञात हो रहा है कि कोई विशेष वित्तीय गड़बड़ी इस मामले में नहीं है, जिस वजह से आडिट की आवश्यकता भी वह नहीं समझ रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में फिर साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गयी है ?

श्री वीर सेन--

अध्यक्ष महोदय, विद्यालय में लगभग 7 अनियमितताओं की शिकायतें थीं और इन आरोपों की स्क्रूटिनिंग कराने के लिए साधिकार नियंत्रक को नियुक्ति हुई थी, जिसमें केवल एक मामला वित्तीय अनियमितता का पाया गया जैसा कि पहले भी मैंने कहा था। इसलिए इस पर अब कोई विशेष आडिट की आवश्यकता नहीं है।

[मंगलवार 11 सितम्बर, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पोयशा फैक्ट्री, गाजियाबाद के खुलवाने के सम्बन्ध में पंच-निर्णय

*1--श्री भोखा लाल--

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि जनवरी 23, 1984 को सभी पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि पोयशा फैक्ट्री, गाजियाबाद के खुलवाने के सम्बन्ध में विवादित प्रश्नों पर मा0 श्रम मन्त्री का जो आदेश होगा सभी को मान्य होगा ? क्या यह भी ज्ञात है कि उनके आदेश न पारित होने के कारण ही गाजियाबाद में दूसरे कारखानों में भी भूख हड़ताल एवं प्रदर्शन के पश्चात् 71 कारखानों में हड़ताल की सम्भावना पैदा हो गई है ? यदि हां, तो उन्होंने अभी तक अपना आदेश क्यों पारित नहीं किया ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हां।

2 से 3 अप्रैल, 1984 के मध्य 20 कारखानों में केवल सांकेतिक हड़ताल हुई थी। दिनांक 20-4-84 को अनौपचारिक पंच-निर्णय दे दिया गया है।

श्री भोखा लाल--

मा0 अध्यक्ष महोदय में मा0 श्रम मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 23 जनवरी, 84 को जब आपको अधिकार सभी पक्षों ने दे दिये थे तो फिर मामले के निबटारे में यह तीन माह का विलम्ब क्यों हुआ तथा दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो निर्णय दिया गया है उसमें क्या-क्या शर्तें हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, यह प्रतिष्ठान 13-2-82 से बन्द थे और 23 जनवरी, 84 को जब समिति पक्ष और सेवायोजक पक्ष हमारे समक्ष आए और हमारे ऊपर ही इसका पंच-निर्णय सौंपा। यह दो यूनियन थी इनके समस्त मामले पर अध्ययन करके विचार करना था, दूसरे उस समय विधान सभा का सत्र भी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं इस ओर पूर्ण समय नहीं दे सका, लेकिन इसमें कोई और विलम्ब नहीं हुआ है। जब भी हमें मौका मिला है समय-समय पर मैं अधिकारियों और सेवायोजकों को बुलाकर बात-चीत करता रहा हूं, तत्पश्चात् 20-4-1984 को इसका पंच-निर्णय हमने दे दिया।

श्री भीखा लाल—

निर्णय की शर्तें क्या-क्या हैं, मंत्री जी ने यह नहीं बताया, खैर, मैं अब माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पोयशा फैक्टरी अब कब खुलने जा रही है और बन्द पीरियड का वेतन क्या मजदूरों को दिलाने का निर्णय यूनियन्स ने किया है या नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जो समझौता हुआ था, जो अनौपचारिक पंच निर्णय लिया गया, वह तीनों पक्षों के ड्राफ्ट को देखकर दिया गया और उसके आधार पर पुनः पोयशा फैक्ट्री को चलाने का आश्वासन हमको सेवायोजक ने दिया है। उसमें वे नये तौर से इस प्रतिष्ठान को चलायेंगे और जो भी कार्यरत श्रमिक थे, उनकी सीनीयरिटी को देखते हुए, उन्हें इसमें नियोजित किया जायेगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि पिछले सत्र में जब यह हड़ताल चल रही थी, तो माननीय मंत्री जी को सभी पक्षों ने मान लिया था कि वे जो फैसला करेंगे, वह सभी पक्षों को स्वीकार होगा। और, श्रीमन् मैंने इसकी बाबत नियम 56 में एक कामरोको प्रस्ताव भी दिया था, आपने श्रम मन्त्री जी को उस पर कुछ कहने के लिए बुलाया था। माननीय मन्त्री जी ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था कि वे इसका निर्णय तुरन्त ही कर देंगे। मैं जानकारी यह चाहता हूं कि तब से लेकर आज तक इस पोयशा फैक्ट्री के बारे में निर्णय न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि निर्णय 20 अप्रैल को हो गया था, सत्र के समाप्त होते ही उसकी घोषणा कर दी गयी थी।

श्री भीखा लाल—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सेवायोजकों ने आश्वासन दिया था कि फैक्ट्री जल्दी ही खोलेंगे। तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक वह फैक्ट्री चालू हुई या नहीं ? और, यदि नहीं तो उसके भविष्य में कब तक खुल जाने की आशा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि दोनों पक्षों में कुछ विवाद है, जिसके कारण जो समझौता सेवायोजक और दोनों श्रमिक पक्षों का होना था, वह संभव नहीं हुआ। इसको दूर करने के लिए मैंने एक बैठक बुलाने की बाबत श्रम आयुक्त को निर्देश दिया। इसकी बाबत एक बैठक जुलाई में दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने दोनों पक्षों को सुना, उसके पश्चात् फिर भी कोई समझौता नहीं दिखायी दिया। उसके बाद मैंने अपने स्तर पर एक बैठक पुनः बुलायी और मैंने यह निर्देश दिया कि अगर श्रमिक

पक्ष में विवाद है और श्रमिक पक्ष चाहते हैं कि फैक्ट्री शुरू हो जाय तो उनसे सीधे सेवायोजक समझौता कर लें। वहां पर लगभग आठ सौ साढ़े आठ सौ श्रमिक हैं, अगर उसमें से सात सौ साढ़े सात सौ भी हस्ताक्षर करेंगे, तो श्रम विभाग को रजिस्ट्रेशन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा।

स्वतन्त्र भारत इन्टर कालेज, भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर की साधारण सभा के निर्वाचन की मांग

*2—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्र भारत इन्टर कालेज, भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर की साधारण सभा का निर्वाचन 25-3-84 को प्रातः 10 बजे होना था, जिसके कार्यक्रम का प्रसारण भी 1-3-84 को कर दिया था, किन्तु 10 मार्च, 1984 के पूर्व ही उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल ने साधिकार नियन्त्रक को नियुक्ति कर दी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? क्या शासन साधिकार नियंत्रण को वापिस कर साधारण प्रबन्ध समिति का निर्वाचन शीघ्र करायेगी ?

श्री वीरसेन—

विद्यालय की अनुमोदित प्रशासन योजना की धारा 7 के अनुसार प्रबन्ध समिति एवं उसके पदाधिकारों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो गया था। अतः उप शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ के पत्र दिनांक 5-3-84 द्वारा प्रबन्ध संचालक नियुक्त किया गया। जिसके विरुद्ध भूतपूर्व प्रबन्धक ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 3 अगस्त, 1984 के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चुनाव कराने की व्यवस्था कर दी गयी एवं प्रबन्ध संचालन द्वारा 21-9-84 चुनाव की तिथि भी निश्चित कर दी गयी है।

श्री किरन पाल सिंह—

मैं जानकारी यह चाहता हूं कि यह जो मैनेजमेंट था, इसका कार्यकाल कब समाप्त हुआ ?

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, इसका 30-9-81 को कार्यकाल समाप्त हो गया था।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद भी मान्यवर 25-3-84 को चुनाव होना था, उसकी घोषणा हो चुकी थी। 1-3-84 को इसकी घोषणा हो चुकी थी, इसकी बाबत नोटिस जारी कर दिया गया था। मान्यवर, एक प्राविधान यह भी था कि नया मैनेजमेन्ट जब तक नहीं चुन लिया जाय, पुराना मैनेजमेन्ट कार्य करता रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव की व्यवस्था होने तक पुरानी प्रबन्ध समिति को कार्य न करने देने का क्या कारण था ?

श्री वीरसेन —

अध्यक्ष महोदय, इस संस्था की जो प्रशासन योजना है, उसमें एक विशेष प्राविधान है, वह यह कि तीन साल के बाद में एक महीने तक प्रबन्ध समिति रह सकती है, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी। तो इस वजह से यह जो मैंने तारीख बतायी 30-9-81, तो इसमें एक महीने का जो ग्रेस पीरियड है, वह भी समाप्त हो गया था।

इसलिए यह कार्यवाही करनी पड़ी। उसके उपरान्त अब यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट के निर्णयानुसार छः सप्ताह के भीतर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर दी जायेगी। मैं समझता हूं कि 21-9-84 तारीख निश्चित कर दी गयी है, इलेक्शन पूरा हो जायगा।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, सब की एक सी प्रशासनिक योग्यता होती है, माननीय मंत्री जी को शायद ज्ञान नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने प्रशासक या संचालक नियुक्त किया है, क्या उनकी जो लिस्ट है मेम्बर्स की, उसको चेन्ज करने का अधिकार है ?

श्री वीरसेन--

ऐसा तो कोई आरोप है नहीं और इस प्रश्न से इसका प्रश्न उठता भी नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रबन्ध समिति की सदस्य संख्या क्या है ? क्या जो चुनाव 25-3-84 को होने वाले थे उसी सदस्य संख्या के आधार पर आगामी 21-9-84 वाले कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

मान्यवर, यह तो प्रश्न उठता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई उत्तर नहीं है जब प्रश्न मैंने स्वीकार कर लिया है। आप यह कहते हैं कि इसकी सूचना आपके पास नहीं है।

श्री वीरसेन--

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

सी0 पी0 के0 यू0 इन्टर कालेज, मूसानगर, कानपुर देहात परीक्षा केन्द्र में पुलिस मियों द्वारा नकल कराने के प्रयास के सम्बन्ध में जांच

*3--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 पी0 के0 यू0 इंटर कालेज, मूसानगर, कानपुर देहात परीक्षा केन्द्र पर वर्ष 1984 की परीक्षा में नकल कराने का आरोप उसी थाने के किसी थानेदार पर लगाया गया है ? यदि हां, तो उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठता।

श्री भूधर नारायण मिश्र--

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रश्न का उत्तर दिया है कि, "जी नहीं" और उसके बाद कहा है कि, "अन्य प्रश्न नहीं उठता" तो उक्त परीक्षा केन्द्र पर, जहां पर कि परीक्षा में नकल कराने के बारे में प्रश्न किया है, उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष थाने में तैनात योगेन्द्र सिंह राठौर की पुत्री कुमारी सुनीता राठौर ने इन्टरमीडिएट की परीक्षा दी थी और उसको नकल कराने का कार्य एस0 एस0 आई0 राठौर या अन्य पुलिस कर्मियों ने किया ?

श्री राम सिंह--

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, यदि लिखकर देंगे तो जांच करा लूंगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

यह बताने की कृपा करें कि इस प्रकार की जानकारी होने के पश्चात् क्या शिक्षा विभाग ने कोई जांच कराई है ? यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या था ?

श्री राम सिंह--

जो सूचना है उसमें न तो यह है कि किसी पुलिस कर्मी के पुत्र या पुत्री परीक्षा दे रहे थे और न मुझे स्पष्ट पता है कि पला-पला पुलिस कर्मियों ने नकल कराने का प्रयास किया। चूंकि मा0 सदस्य ने इंगित किया है, इसीलिए मैंने कहा है कि जांच करा लूंगा।

हरपालपुर, जिला हरदोई में राजकीय डिग्री कालेज खोलने की मांग

*4—श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हरपालपुर, जिला हरदोई में राजकीय डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह डिग्री कालेज कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री वीरसेन—

जी हां, इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रकरण में क्षेत्रीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर ली गई है। इसे सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उनकी संस्तुति के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री पारस नाथ अग्रवाल, अवर अभियन्ता के विरुद्ध आरोपों की जांच

*5—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यसूफ, श्री राम स्वरूप निम, श्री यदुनाथ सिंह, श्री विजय सिंह राना, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 विभाग, बस्ती में कार्यरत जूनियर इंजीनियर (श्री पी0 एन0 अग्रवाल) को किस तारीख को निलम्बित किया गया और उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाए गये ? क्या यह सत्य है कि निलम्बन के 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका और 10 वर्ष के बीच में कई आरोप-पत्र बदले गए ? क्या यह भी सत्य है कि निलम्बन अधिकारी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्वयं जांच अधिकारी हो गए, जो नियमों के विपरीत है ? क्या यह सही है कि सांसद मा0 राजीव गांधी ने जनवरी, 1983 में उक्त मामले को शीघ्र निपटाने को लिखा एवं श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, विधायक, बस्ती ने भी एक विस्तृत पत्र इस सम्बन्ध में लिखा है ? यदि हां, तो क्या श्री अग्रवाल को उनके विरुद्ध लगाए गये आरोप सिद्ध न होने के बावजूद परेशान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मा0 मन्त्री जी उन्हें तत्काल नियुक्त करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

श्री पारस नाथ अग्रवाल, अवर अभियंता को दिनांक 20-6-74 को निलम्बित तथा उन्हें दिनांक 24-5-77 को पेंडिंग इन्क्वायरी बहाल कर दिया गया था। उनके विरुद्ध 1,44,787·10 रुपये के सरकारी सामान की कमी, सरकारी अभिलेखों को अवैध रूप से अपने पास रखना, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना आदि आरोप थे।

जी नहीं, आरोप सिद्ध पाये नहीं तथा केवल दो आरोप-पत्र अलग-अलग परिस्थितियों में गठित किए गये।

निलम्बन आदेश तत्कालीन मुख्य अभियंत के निर्देशों पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया गया था, जो बाद में जांच अधिकारी नियुक्त किये गये थे, जो नियमानुकूल हैं।

जी हां, मा0 राजीव गांधी, सांसद के कार्यालय से श्री अग्रवाल का पिटीशन प्राप्त हुआ है तथा श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, विधायक का भी पत्र प्राप्त हुआ है। श्री अग्रवाल के विरुद्ध विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाये गये अतः उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है बल्कि उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है व सेवा समाप्ति की नोटिस दी गई है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं माननीय मन्त्री जी यह जानना चाहता हूं कि केवल दो आरोप-पत्र

अलग-अलग गठित किये गये तो वह कौन सी परिस्थितियां थी कि जिनमें दो आरोप-पत्र गठित किये गये और क्या आपकी सुप्रीम अथारिटी माननीय राजीव गांधी ने इस पर कार्यवाही करने के कोई निर्देश जारी किये हैं या नहीं ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

यह दो आरोप-पत्र जो जांच हुई थी उस पर फिर से परिवर्तित किये गये थे। राजीव गांधी का कोई निर्देश हमारे पास नहीं आया है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

जो अग्रवाल ने दरखास्त दी उसमें उसने क्या कहा कि जो यह जांच अधिकारी हैं इससे हमारी रंजिश रही है और ये बदला ले रहा है। श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय ने भी यही बात लिखी थी कि यह जो जांच अधिकारी हैं इससे 1973 से झगड़ा था इसलिए दूसरा जांच अधिकारी नियुक्त करके जल्दी से जल्दी क्या आप मामले को निपटाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

1973 से यह अग्रवाल साहब ट्रान्सफर पर नहीं जा रहे हैं जबकि प्रदेश के 7 मुख्य मन्त्री चले गये, दो सरकारें चली गयीं, जनता पार्टी के समय में भी कोशिश की गई थी, कांग्रेस दल ने भी कोशिश किया, आज भी कर रहे हैं तो इन सारी बातों में ये सरकार को परेशान कर रहे हैं, उनको कौन परेशान कर रहा है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

आपके उत्तर के तीसरे पैरा में लिखा हुआ है कि निलम्बन के आदेश तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के निर्देशों पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया गया था जो बाद में जांच अधिकारी नियुक्त किये गये थे जो नियमानुकूल हैं। जबकि मैंने प्रश्न किया था कि निलम्बन अधिकारी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्वयं जांच अधिकारी हो गये थे जो कि नियमों के विपरीत है, तो आप उत्तर दे रहे हैं तीसरे पैरा में कि यह नियमानुकूल है ?

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता ने किस अधिकारी की आख्या पर निलम्बन आदेश दिये ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

आदेशों का पालन न करने के कारण निलम्बन आदेश दिए गये।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी की आख्या पर निलम्बन के आदेश दिये गये, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल—

सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा की गई थी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। माननीय मन्त्री जी जांच करने के बाद इसका उत्तर दें।

श्रीमती अनीस खातून के प्रार्थना-पत्र पर श्री अरविन्द नरायन मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) लखनऊ द्वारा की गई मैजिस्टीरियल जांच

*6—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती अनीस खातून विधवा स्वर्गीय मोहम्मद यासीन खां, निवासी घसियारी मन्डी, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-8-83 पर श्री अरविन्द नारायन

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) लखनऊ द्वारा जो मजिस्टिरियल जांच कराई गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अरविन्द नारायन मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), लखनऊ द्वारा की गई मैजिस्टीरियल जांच के आधार पर दोषी पाए गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध थाना कैंसरबाग में अपराध संख्या 145 धारा 394/342 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा, कैंसरबाग द्वारा की जा रही है, जो प्रचलित है ।

भदोही रेलवे लाइन की पटरी पर रखे श्रीमती जरीना के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

*7—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही, थाना भदोही, जिला वाराणसी की रहने वाली जरीना की हत्या 26/27-8-83 को करके लाश भदोही रेलवे लाइन की पटरी पर रख दी गई थी और 27-8-83 को थाना ज0 आर0 पी0, भदोही ने पंचनामा कराकर लाश को कब्र में दफनवा दिया और अतिरिक्त जिला धीश (ई) वाराणसी ने 6-9-83 को आदेश देकर लाश को कब्र से 7-9-83 को निकलवा कर 8-9-83 को पोस्ट मार्टम करवाया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट, कई दरखास्तें एवं अखबारों की कटिंग को अपने पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता ने मुख्य सचिव को 18-10-83 को अनुसन्धान शाखा से जांच कराने हेतु दिया है, उस पर क्या कार्यवाही की गई और जी0 आर0 पी0 पुलिस एवं पंचनामा करने वाले तथा थाना भदोही की पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और अनुसन्धान शाखा को जांच दी गई कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 27-8-83 को श्रीमती जरीना का शव रेलवे लाइन के किनारे पाया गया । प्रारम्भ में इस की जांच थाना जी0 आर0 पी0 कैन्ट द्वारा की गई । उन्हें प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ अतः शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया । मृतक के पिता का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 7-9-83 को शव कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम कराया गया तथा थाना भदोही में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-10-83 नहीं वरन् दिनांक 18-11-83 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई । जांच से कोई पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से नहीं कराई गई क्योंकि शासन द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई ।

मंडलीय बालिका विद्यालय, निरीक्षिका, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद द्वारा शिक्षण संस्थाओं को दिये गये निर्देश

*8—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 11-83 पत्रांक/विविध/7196-7346-82-84 द्वारा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद ने अपने क्षेत्र की समस्त शिक्षण संस्थाओं को यह निर्देश दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर मुक्ती आन्दोलन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक संस्था में केन्द्रीय कैंसर होम्यो-पैथिक परिषद, स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनक-पुरी, नई दिल्ली द्वारा भेजे गये

चिकित्सक के भाषण कराए जायें तथा एक-एक रुपए के नकद कूपन बेचे जायें, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से लम्बी धनराशि वसूली गयी तथा बाद में इन्ही बालिका निरीक्षिका ने अपने पत्रांक/विविध 8746-8920/83-84 दिनांक 9-12-1983 द्वारा पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि कोई धनराशि न एकत्र की जाय ? यदि हां, तो किस आधार पर आदेश देकर यह अवैध वसूली की गयी और इन अवैध आदेश एवं वसूली करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

जी हां ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र 14 में निहित नीति के त्वरित कार्यान्वयन को दृष्टि में रखते हुए उक्त परिपत्र सद्भावनापूर्ण नीयत से निर्गत किया गया था । मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद को उक्त संस्था के संदिग्ध होने का बोध होने पर प्रकरण उनके द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद/जिलाधिकारी, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिया गया है ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई के बी0 ए0 द्वितीय वर्ष की छात्राओं की अंक तालिकाओं को उपलब्ध कराने के आदेश एवं कु0 आराधना चौधरी द्वारा निरीक्षण कार्य कराने के औचित्य एवं उद्देश्य

*9--श्री हरीशंकर --

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 1ले सोमवार (दिनांक 20-2-1984) के अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित प्रश्न पत्र की परीक्षा के दिन निरीक्षण कार्य श्रीमती सुधा चौधरी, प्राचार्या की पुत्री कु0 आराधना चौधरी द्वारा कराया गया? यदि हां, तो वह किसी विद्यालय की अध्यापिका थीं ? यदि नहीं, तो इनसे निरीक्षण कार्य कराने का औचित्य एवं उद्देश्य क्या था ? क्या यह सही है कि उक्त प्राचार्या एवं उनकी पुत्री ने सम्बन्धित उक्त छात्रा की उत्तर पुस्तिका गायब कराकर अभिलेखों में हेराफेरी एवं गम्भीर अनियमितताएं करके छात्रा को उक्त प्रश्न पत्र में अनुपस्थित दिखाया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या माननीय मन्त्री जी उक्त महविद्यालय के तत्सम्बन्धित रिकर्ड को सील करके शासन के किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराकर उसकी रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित प्रश्न-पत्र की परीक्षा के दिन निरीक्षण कार्य श्रीमती सुधा चौधरी, प्राचार्या की पुत्री कु0 आराधना चौधरी द्वारा किया गया । कु0 आराधना को नियुक्ति वाह्य परिप्रेक्ष्य के रूप में वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष (प्राचार्या) द्वारा की गयी थी । प्राचार्या के अवकाश पर होने के कारण यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है कि कु0 आराधना चौधरी किसी विद्यालय में अध्यापिका थी या नहीं ।

प्रतिपर्ण (काउन्टरफाइल) की जांच से यह पाया गया कि छात्रा के अनुक्रमांक 11801 के सम्बन्धित प्रश्न-पत्र के अंक उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अनुक्रमांक 13801 के अंक दो बार अनुक्रमांक 13801-ए एवं 13801-बी दिखाकर 18, 18 अंक उल्लिखित किये गये तथा अन्य समस्त छात्राओं के अंक उपलब्ध थे । यह मामला परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया और समिति ने यह निश्चय किया कि अनुक्रमांक 11801 की छात्रा को 18 अंक प्रतिपर्ण के अनुसार प्रदान किये जायं तदनुसार उसे सम्बन्धित प्रश्न पत्र में 18 अंक प्रदान

किये गये और विश्वविद्यालय द्वारा छात्रा को अंकतालिका दिनांक 29-8-1984 को पंजीकृत पत्र द्वारा उनके पते पर भेज दी गई हैं ।

विश्वविद्यालय आगामी परीक्षा सम्पादित होने से पूर्व पिछले वर्ष की उत्तर पुस्तिकायें नष्ट कर देता है । चूंकि उत्तर पुस्तिकायें नष्ट हो चुकी हैं अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

*10--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[दिनांक 14-2-1984 को अता0 प्र0 सं0 115 द्वारा उत्तरित--]

जनपद बिजनौर में ग्राम मुजफ्फर-नगर से ग्राम मिट्ठोपुर के बीच में लवड़ा नदी पुल और सड़क के निर्माण की जांच

*11--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर, ब्लाक कोतवाली में ग्राम मुजफ्फरनगर से ग्राम मिट्ठोपुर के बीच में लवड़ा नदी पुल और सड़क का निर्माण 4 वर्ष से हो रहा है परन्तु अभी तक यह दोनों चीजें वहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई नहीं गयी जिससे वहां के लगभग लाखों काश्तकारों को आने-जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगी ? क्या सरकार उपरोक्त लिंक रोड के निर्माण में जो सामान लगाया गया है और वहां पर फर्जी मजदूरों के मस्टर रोल भरे गये हैं तथा जिसका पेमेन्ट फर्जी बनाया गया है इसकी जांच करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम रानीखेड़ा, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ में श्रीमती कुन्ती देवी के साथ बलात्कार का कथित घटना

*12--श्री मन्जूर अहमद--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-6-1984 को ग्राम रानी-खेड़ा, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ में रात्रि समय श्रीमती कुन्ता देवी के साथ दो युवकों ने जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया ? यदि हां, तो सरकार ने मुलजिमान के खिलाफ, क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों और मुलजि-मान कौन-कौन हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-6-1984 को ग्राम रानीखेड़ा, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ में श्रीमती कुन्ता देवी के साथ बलात्कार की कोई घटना होना नहीं पाया गया । अन्य का प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी व महरौनी में इन्टर तथा डिग्री कालेज खोलने की मांग

*13--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े बुन्देलखंड क्षेत्र में छात्राओं की विज्ञान की शिक्षा हेतु झांसी व महरौनी में इन्टर तथा डिग्री कालेज खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

जी नहीं ।

सीधे इन्टर कालेज खोलने की कोई योजना शिक्षा विभाग में नहीं है । जहां तक डिग्री कालेज का प्रश्न है इन स्थानों पर राजकीय डिग्री कालेज खोलने का औचित्य स्थापित नहीं होता ।

नन्दप्रयाग (चमोली) गोली कांड के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन की मांग की जांच

*14--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उन्हें नन्दप्रयाग (चमोली) गोली कांड के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जातिगत द्वेष भावनाओं के कारण फंसाने विषयक चमोली जनपद की अनुसूचित जाति और निर्बल वर्ग की ओर से दिनांक 18 फरवरी, 1984 का ज्ञापन और तार प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन एवं तारों में क्या-क्या बिन्दुवार शिकायत और मांग की गयी हैं और सरकार द्वारा उक्त ज्ञापन व तार पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, सीमान्त जिला चमोली के अनुसूचित जाति और दुर्बल वर्ग की ओर से भेजे गये प्रइनगत ज्ञापन में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि कुछ जातिगत भावना से ग्रसित लोग श्री कुंवर राम शिल्पकार अपर जिलाधिकारी को दिनांक 9-2-84 को नन्दप्रयाग में हुये गोली कांड के लिये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जब कि वे उस दिन मुख्यालय पर नहीं थे। जिले में जितने भी पदाधिकारी आये उनका जाति भावना के कारण विरोध होता रहा है और आज भी हो रहा है।

दिनांक 9-2-84 की घटना शराब के कारण ही घटित हुई। शराब के नशे में धुत कुछ व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति के तहसीलदार श्री नन्दलाल, पटवारी, जीप ड्राइवर को बेंगनाह पीटा। अनुसूचित जाति के दरोगा कालूराम को गोली मारी गई और मनीष दरोगा को मार-मार कर बेहोश कर दिया। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाय और जब तक न्यायिक जांच पूरी न हो जाय तब तक अनुसूचित जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित न किया जाय।

इसी प्रकार श्री घुरालाल छिनका के तार में नन्द प्रयाग कांड के सम्बन्ध में चमोली के शिल्पकार अधिकारियों का उचित जांच तक स्थानान्तरण न किये जाने की मांग की गई है।

शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त ज्ञापन जांच आयोग को जांच में सम्मिलित करने हेतु भेज दिया गया है।

गणतन्त्र दिवस समारोह कार्यक्रम के आयोजनार्थ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच विवाद की घटना

*15--श्री पंचानन राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में गणतन्त्र दिवस समारोह, 1984 की तैयारी की बैठक में किसी जनप्रतिनिधि और जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोई विवाद हो गया था जिसके कारण पी0 सी0 एस0 अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश ले लिया ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित जन प्रतिनिधि द्वारा भ्रष्टाचार के मामले शासन के संज्ञान में लाए गए थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

दिनांक 26 जनवरी, 1984 को गणतन्त्र दिवस समारोह कार्यक्रम के के आयोजनार्थ, जिलाधिकारी फैजाबाद के सभा कक्ष में दिनांक 17-1-84 को एक बैठक आयोजित की गई थी। जब यह बैठक चल रही थी उसी बीच श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा अपने कई साथियों के

साथ सभा कक्ष में जबर्दस्ती आ गये और उन्होंने उक्त बैठक में अवरोध डालने का प्रयास किया तथा नगर मजिस्ट्रेट को उत्तेजना में अपशब्द कहा। उन्हें इस प्रकार की कार्यवाही करने से रोका गया तो कुछ देर बाद वे बाहर चले गये। बैठक में किसी जनप्रतिनिधि का किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई विवाद नहीं हुआ। जनपद फैजाबाद में कार्यरत सभी 14 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों ने अवकाश नहीं लिया, केवल, छः अधिकारियों ने 23-1-84 को निजी कारणों से आकस्मिक अवकाश लिया। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का जनपद फैजाबाद के मामले में एक शिकायती तार दिनांक 17-1-84 तथा एक शिकायती पत्र दिनांक 23-1-84 शासन को प्राप्त हुआ था।

थाना प्रयाग, बहराइच के अन्तर्गत हरे आम के वृक्ष कटाने वाले अपराधी, एस0आई0 द्वारा दो हरिजनों की कथित पिटाई

*16--श्री राजकुमार राय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष थाना प्रयाग बहराइच के अन्तर्गत 3 हरे आम के वृक्ष कटाने वाले अपराधी की सहायता करने वाले एस0 आई0 (श्री आर0 पी0 सिंह) ने दो हरिजन प्रधानों को मारते-मारते दांत तोड़ दिया था तथा उसी के अपराध में पुलिस अधीक्षक, बहराइच ने उन्हें निलम्बित करके पुलिस लाइन भेज दिया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें उस दण्ड से मुक्त करके थानाध्यक्ष, हुजूरपुर, जिला बहराइच में पुनः तैनात कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वैद्य भगवानदीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नानपारा, जिला बहराइच की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*17--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री वैद्य भगवानदीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच की प्रबन्ध समिति को निलंबित करके साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को अथवा उनके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरसेन--

जी हां।

1--विद्यालय की प्रामूत की भूमि 125 बीघा से होने वाली आय का अध्यक्ष द्वारा अपहरण करना।

2--अध्यक्ष द्वारा प्रामूत की अवशेष धनराशि 7,000 रु0 संस्था के खाते में जमा न करना।

3--चैरिटी शो के धन का अपहरण करना।

4--अध्यक्ष द्वारा अपने सगे भाई एवं भतीजे के नाम से संस्था के नाम फर्जी ऋण प्रदान करने का लेखा प्रदर्शित करना।

5--विकास कोष से प्रबन्धक द्वारा अवैधानिक रूप से 2,000 रु0 की धनराशि निकालना।

6--अध्यक्ष द्वारा विद्यालय प्रामूत से 32,300 रु0 की धनराशि अर्जित कर गबन कर लेना।

7—क्रीड़ा मैदान को अवैधानिक रूप से खेती के लिए 500 रु0 पर बटाई पर देना ।

8—जलपान का ठेला रखकर होने वाली आय को अध्यक्ष द्वारा स्वयं हड़प जाना आदि वित्तीय अनियमितताएं ।

शासन द्वारा शिक्षा निदेशक को जांच कराके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम पिपरा नारायण के हरिजनों को डकैती में फंसाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना कौठीभार से सम्बन्धित ग्राम पिपरा नारायण के हरिजनों आदि को फर्जी ढंग से डकैती में फंसाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दि0 30-9-82 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई । जांच में इस पत्र में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

*19—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[3रे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री राम लखन, लिफ्टमैन द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जांच

*20—श्री यमुना प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम लखन, लिफ्ट मैन, पुत्र श्री मंगरू हरिजन, गांधी स्मारक मेडिकल कालेज, लखनऊ के नाबालिग चार बच्चों और पत्नी निवासिनी ग्राम गाजनपुर, पो0 धुरियां, थाना मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर को बलात् अपहरणकर्त्ता श्री शौकत अली, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर जोकि ग्राम गाजनपुर में हरे पेड़ों के कटवाने का काम करता है, के विरुद्ध बलात् अपहरण के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 1984 में कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को तथा माननीय मुख्य मन्त्री को उनके पत्र सं0 1007/अ0 अनु0/-1/6-4-84 द्वारा प्राप्त हुए हैं और उसके आधार पर श्री शौकत अली, ठेकेदार के विरुद्ध कौन-कौन सी कठोर कार्यवाही की गई और श्री राम लखन को उनके चार नाबालिग बच्चों (तीन लड़की और एक लड़का) को मुक्त कराके वापस दिला दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री राम लखन, लिफ्टमैन के दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । जांच से आरोप निराधार पाये गये ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हमीरपुर में क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

1—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार बतायेंगी कि जनपद हमीरपुर के ब्लाक सुमेरपुर से मुंडेरा तथा इंगोहटा से छानी पक्के मार्ग कब से बाढ़ में टूटे पड़े हैं ? क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्षा ऋतु में टूट जाते हैं ? यदि हां, तो इनके टूटने का कारण क्या है तथा कोई स्थायी हल इसका हो सकता है, तो वह क्या है ? यह दोनों सड़कें कब तक ठीक हो जायेंगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन मार्गों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति इस प्रकार है :—

सुमेरपुर-मुंडेरा मार्ग का किमी0 6—वर्ष 1982-83 में	

क्षतिग्रस्त होने पर मिट्टी का कार्य तथा डिप का निर्माण कराया गया था जो पुनः क्षतिग्रस्त नहीं हुआ ।

सुमेरपुर–मुंडेरा मार्ग का कि0 मी0 12, वर्ष 1982–83 में क्षतिग्रस्त होने पर मिट्टी का कार्य कराया गया तथा वर्ष 1983–84 में भी क्षति होने पर पुनः मिट्टी का कार्य कराकर मार्ग चालू कर दिया गया ।

क्षति होने का कारण उक्त दोनों स्थानों पर बरसात के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होना है । इसका स्थायी हल क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुलिया के निर्माण से हो सकता है ।

इंगोहटा–छानी मार्ग कि मी0 2 में 1983-84 में क्षतिग्रस्त हुआ था । उस वर्ष लोरा नाले की बाढ़ के कारण कमरिया बंधी का स्लूश गेट बह गया था और बाढ़ के पानी से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। सिंचाई विभाग द्वारा उसे पुनः बनाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त सा0 नि0 विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त स्थल पर डिप भी बनाया जाना प्रस्तावित है जो एक स्थायी हल हो सकता है ।

दोनों मार्गों का ठीक होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में टोन्स नदी पर पुल का शिलान्यास तथा व्यय

2––श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में टोन्स नदी पर वर्ष 1983 में एक पुल का शिलान्यास विभागीय मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो कितने लागत का तथा अब तक उसके निर्माण के लिए कितना धन व्यय किया गया है ? उसका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जी हां ।

पुल की अनुमानित लागत पहुंच मार्ग सहित 65 लाख रुपय हैं । जून, 1984 तक उक्त पुल के निर्माण पर 6.10 लाख रुपये व्यय हो गए हैं । उसका निर्माण जून, 1985 तक पूर्ण होने का अनुमान है ।

फैजाबाद–अकबरपुर रोड से अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग को जोड़ने की मांग

3––श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती' तथा प्रियदर्शी जेतली––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में नगरपालिका के बाहर से फैजाबाद––अकबरपुर रोड से अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग को जोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी तथा कब तक उस सड़क का कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है । निर्माण कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

श्री सभापति वर्मा, ग्राम मलाहपुर रजौर टाण्डा, फैजाबाद द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र पर कृत कार्यवाही

4––श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सभापति वर्मा ग्राम

मल्लाहपुर रजौर टाण्डा, फजाबाद द्वारा दिनांक 29–6–82 को अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड नं0–2, सा0नि0वि0, फैजाबाद को कोई आवेदन–पत्र दिया गया है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जी हां, 30–6–82 को प्राप्त हुआ था । सम्बन्धित नलकूप तथा मशीनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद को अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1680/1–सी, दिनांक 20–7–82 द्वारा भेज दी गई । उक्त पत्र की प्रतिलिपि श्री समापति वर्मा को भी भेजी गई थी ।

सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कथित जांच

5––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा के अन्तर्गत वर्तमान समय में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है ? जांच कब प्रारम्भ हुई तथा उनके विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं ? क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों को सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा से अब तक स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ? क्या अब स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नाम से कोई जांच प्रचलित नहीं है । एक विषय विशेष के ऊपर कतिपय आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है । जांच पूर्ण हो जाने पर ही यह ज्ञात हो सकेगा कि इस प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा के कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा पुलों एवं मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

6––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने वर्ष 82–83 के लिये किन–किन पुलों एवं मार्गों के निर्माण को वार्षिक जिले की योजना में कितना रुपया स्वीकार किया है ? उनके नाम क्या हैं और उन पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जनपद वाराणसी की वर्ष 1982–83 की जिला सेक्टर की वार्षिक योजना के अन्तर्गत पुलों एवं मार्गों के निर्माण हेतु कुल रु0 90.49 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसमें से विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 80.31 लाख व्यय किया जा चुका है । जनपद के पुलों एवं मार्गों की सूची मेरे कार्यालय में देख सकते है ।

सेतु निगम इकाई, वाराणसी द्वारा पुलों का निर्माण तथा व्यय

7––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम इकाई वाराणसी ने कहां–कहां पिछले पांच वर्षों में पुलों का निर्माण किया है और उसमें कितना–कितना रुपया मरम्मत आदि कार्यों पर खर्च हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

सेतु निर्माण इकाई, वाराणसी सितम्बर, 1979 में आरम्भ हुई थी । तब से इस

इकाई द्वारा संलग्न सूची में उल्लिखित सेतुओं का निर्माण कराया गया है । इस इकाई द्वारा मरम्मत के कार्य पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145 पर ।)

गंगा नदी में रामनगर के पास जिला वाराणसी में पुल बनाने का प्रस्ताव

8—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी में रामनगर के पास जिला वाराणसी में पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार किया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुल पर कब तक कार्य शुरू करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं, यह कार्य भारत सरकार के नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित है । अतः इसका प्रस्ताव उन्हें भेज दिया गया है । उनकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

जलालपुर—मड़ियाहूं मार्ग जिला जौनपुर का मरम्मत

9—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर मड़ियाहूं मार्ग, जिला जौनपुर भारी वाहन चलने की वजह से काफी खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर जल्द से जल्द मरम्मत करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

मरम्मत करायी जा रही है ।

सई नदी पर नये पुल के निर्माण की स्वीकृति

10—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि जलालपुर में सई नदी पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से भारी वाहन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल की जांच कराकर पुल का भी निर्माण कराया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । नये पुल का निर्माण मई 1984 में स्वीकृत हो गया है ।

फूलपुर-सिधौरा मार्ग, वाराणसी में डामर लेपन का कार्य

11—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 6ठे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 99/100 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सा0 नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न योजना नं0 3, 4 व 5 पर प्राथमिकता के आधार पर डामर लेपन का कार्य थोड़ा-थोड़ा कराने पर सरकार विचार करेगी और उक्त योजनाओं में बनी सड़कों को धन स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह प्रश्न विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 8वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के रूप में आया था । उसका उत्तर दे दिया गया था ।

पिंडरा, देवराई सराय मार्ग, वाराणसी के निर्माण की स्वीकृति

12—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री अता0 प्र0 सं0 110, दिनांक 15-3-83 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि

उक्त पिंडरा, देवराई सराय मार्ग, वाराणसी का डामर लेपन कर दिया जायगा ? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्त्ता ने मन्त्री जी को उक्त मार्ग को डामर लेपन हेतु एक पत्र फरवरी, 83 में दिया था ? क्या उक्त मार्ग पर प्रश्नकर्त्ता का गांव देवराई पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार प्राथमिकता देकर इस मार्ग को बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत आता है और इसके पक्का करने के प्रस्ताव पर विचार सम्बन्धित जिला समिति द्वारा किया जायगा ।

जी नहीं । अप्रैल, 1983 का एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

जी हां । मार्ग का निर्माण तो स्वीकृत है किन्तु निर्माण कार्य का कराया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

फूलपुर-सिंधौरा मार्ग, वाराणसी की कथित जांच

13--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 6ठे मंगलवार के अता० प्र० सं० 97 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर-सिंधौरा मार्ग, वाराणसी की जांच किस अधिकारी ने की है ? क्या सरकार पुनः जांच करायेगी कि पत्थर सब उखड़े हैं और सड़क चलने लायक नहीं है ? क्या उसकी जांच प्रश्नकर्त्ता के साथ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

किसी अधिकारी ने जांच नहीं की है ।

पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पत्थर को सोलिंग की कुटाई ठीक है और यह मार्ग विशिष्टियों के अनुरूप है बनाया गया है तथा आवागमन हेतु ठीक दशा में है ।

पिंडरा देवराई, सराय मार्ग, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में पुलियों का निर्माण

14--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा देवराई, सराय मार्ग, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में एक नाले में पुल तथा चार पुलियों का निर्माण अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार जल्द से जल्द निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां । कोई पुल नहीं है । सभी पुलियां हैं, जिनकी संख्या सात है । ईटों की आपूर्ति के अभाव में पुलियों का निर्माण नहीं किया जा सका । सभी पुलियां स्वीकृत हैं ।

फूलपुर सिंधौरा मार्ग, वाराणसी में गिट्टी की कुटाई का कार्य

15--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर सिंधौरा मार्ग वाराणसी में गिट्टी की कुटाई करने की व्यवस्था अब तक न करने का कारण क्या है और तीन मील तक गिट्टी न डाल कर कूटने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

गिट्टी की कुटाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

बरेली जिले में कतिपय मार्गों पर पुलियों की स्वीकृति

16—श्री नन्द राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बरेली जिले में वर्ष 1981-82 में निर्माण हेतु स्वीकृत कंजा चकरपुर से रसूलपुर वाहनपुर (2 कि0 मी0), चकरपुर से बरेली मार्ग से मिलना (5 कि0 मी0), रसूलाव हनपुर से ककराकलां (3 कि0 मी0), सड़कों तथा उन पर पुलिया कब तक पूरी होनी थी ? क्या उक्त कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1981-82 में इन मार्गों और उन पर पुलियों को स्वीकृति नहीं दी गई बल्कि उस समय वे पहले से ही स्वीकृत थे। इनका निर्माण पूरा होने की कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। इनमें से अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। केवल कंजाचकरपुर से रसूलपुर वाहनपुर (2 कि0 मी0) का 200 मीटर और चकरपुर से बरेला मार्ग से मिलान (5 कि0 मी0) का 100 मीटर भाग भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहीं बन सके हैं। उसको पूरा करना भूमि उपलब्ध होने के बाद सम्भव हो सकेगा। रसूलपुर-ककराकलां मार्ग पर पुलियों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा शेष कार्य पूरे हो चुके हैं।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी पर पुल का निर्माण

17—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के मोहाना लोटन सड़क मोहाना के पास कूड़ा नदी पर जो पुल बन रहा है उस पुल का बनना कब से शुरू हुआ है और वह पुल कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस पुल का निर्माण 1971-72 में ठेकेदार के माध्यम से आरम्भ कराया गया किन्तु उसने 1976 में कार्य छोड़ दिया। 1978 में उसका अनुबन्ध निरस्त करने के उपरांत 1979-80 में यह कार्य सेतु निगम को दिया गया। नवम्बर, 1982 में पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत किया गया। सेतु स्थल सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो गयी है और इस बरसात के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा जिसके पूरा होने में करीब दो वर्ष लगने की सम्भावना है।

ग्राम शिवराजपुर थाना गगहा, जनपद गोरखपुर में डकैती की घटना

18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना गगहा के ग्राम शिवराजपुर में कई हरिजनों के घर माह मार्च, 1983 से माह अक्तूबर, 1983 तक कितनी बार डकैती हुई ? क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित थाने में उक्त अवधि में हुई डकैतियों को थानेदार ने इन हरिजनों को डरा-धमका कर चोरी की रपट करने हेतु मजबूर किया, जिसके विरोध में इन हरिजनों ने एक शिकायती-पत्र रजिस्ट्री डाक द्वारा मुख्य मंत्री को दिनांक 2-2-1984 ई0 में भेजा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम शिवराजपुर, थाना गगहा जनपद गोरखपुर में प्रश्नगत अवधि में एक घटना हुई। थानेदार द्वारा डराने धमकाने की बात सही नहीं है। शिकायती पत्र दिनांक 2-2-1984 पर जांच करायी गयी। जांच में मामला डकैती का पाया गया। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

मऊरानीपुर, जिला झांसी में बाढ़ को विभीषिका से सड़कों को पक्का कराने के सम्बन्ध म पत्र

19—श्री भागीरथ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1981 में कोई पत्र राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण को मऊरानीपुर, जिला झांसी में बाढ़ की विभीषिका से कच्ची, पक्की व टूटी हुई सड़कों को पक्का कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देहुआ नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण

20—श्री जगदीश सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 3586/ई/23-सा0 नि0 अनुभाग-11, लखनऊ दिनांक 19 जून, 1982 के द्वारा प्रश्न-कर्त्ता को सूचित किया गया था कि निगोही-तिलहर मार्ग के 13 कि मी0 पर देहुआ नदी पर पुल स्वीकृत किया गया ? काफी समय व्यतीत होने पर भी अभी तक उस पर कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ? क्या शासन इस पर अविलम्ब कार्यवाही कर पुल का निर्माण कराने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

उपर्युक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण कई बार सर्वे करना पड़ा जिसके कारण कार्य समय से आरम्भ न हो सका ।

अब प्रश्नगत पुल के आगणन का पुनरीक्षण किया जा रहा है । उस पर स्वीकृति दिये जाने के बाद ही निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा ।

डागीपुर-मिर्जापुर मार्ग का नाम महुई-सुधरपुर-मिर्जापुर करने के प्रस्ताव पर विचार

21—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न कर्त्ता द्वारा दिनांक 12-1-84 एवं 24-1-84 को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को राप्ती नदी पर गजपुर घाट, आमी नदी पर कुस्मौल एवं जरलही के पास पुल निर्मित कराने एवं डागीपुर, मिर्जापुर मार्ग का नाम महुई सुधरपुर, मिर्जापुर करने कंकराखोर लिंक मार्ग जनपद गोरखपुर को पूरा कराने के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त अधूरे पुलों एवं मार्गों का निर्माण कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 25 जनवरी, 1984 जो मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र में डागीपुर-मिर्जापुर मार्ग का नाम महुई-सुधरपुर-मिर्जापुर करने का प्रस्ताव है । उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा-आगरा राजमार्ग पर बाईपास के निर्माण की मांग

22—श्री कन्हैया लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तेल शोध कारखाना,

बन जाने के कारण मथुरा–आगरा राज–मार्ग पर आवागमन बहुत बढ़ गया है जिससे औरंगाबाद ग्राम में जिसके मध्य होकर यह राजमार्ग जाता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दुर्घटनाओं के निराकरण हेतु औरंगाबाद ग्राम में शीघ्र ही बाई–पास बनाने पर विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

यह सही है कि यातायात बढ़ गया है, किन्तु दुर्घटनाओं में अधिकता नहीं हुई है ।

बाईपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

देवरिया जनपद अन्तर्गत देवरिया से राम लक्षन मार्ग का निर्माण

23––श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद अन्तर्गत देवरिया से राम लक्षन मार्ग 3 वर्षों से बन रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि आज तक सड़क नहीं बना ? क्या इसको जांच कराकर तत्काल बनवाने का कष्ट करग ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जी हां ।

मार्ग का निर्माण काश्तकारों से निःशुल्क भूमि प्राप्त होने पर कराया जाना था । जिन मार्ग खंडों पर भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है वहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ है । जिन खंडों में भूमि प्राप्त हो गयी वहां निर्माण पूर कराया जा चुका है । शेष भाग का पूर्ण कराया जाना भूमि की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

थाना महाराजगंज चौकी बरही, थाना झंगहा, चौक बाजार के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

24––श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज चौकी बरही, थाना झंगहा, चौक बाजार के कितने पुलिस कर्मियों के (सिपाही एवं सब–इंस्पेक्टर) के विरुद्ध माह मार्च, 1983 से माह 10 अगस्त, 1983 तक प्रश्नकर्त्ता ने कितनी शिकायतें की हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

प्राप्त सूचना के अनुसार एक थानाध्यक्ष, दो उप निरीक्षक व दो सिपाहियों के विरुद्ध चार शिकायती–पत्र प्राप्त हुए सभी शिकायती पत्रों पर जांच करायी गयी । दो शिकायती–पत्र के आरोप जांच में प्रमाणित नहीं हुये । चौक बरही थाना झंगहा के दोनों शिकायती–पत्र अवैध हरे पेड़ काटने से सम्बन्धित हैं । वाद न्यायालय के विचाराधीन हैं । इस बीच एक दोषी पाये गये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को दुश्चरित्र लेख भी दिया गया है ।

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पांडे के प्रार्थना–पत्र पर कृत कार्यवाही

25––श्री राजेन्द्र सिंह चौहान––

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर में उल्लिखित श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पांडे के दिनांक 14 अप्रैल, 1981 का प्रार्थना–पत्र थाना हैदरगंज, जिला फैजाबाद में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसमें प्रार्थी ने अपने जान–माल की सुरक्षा का

अनुरोध किया था ? यदि ऐसा अनुरोध किया गया था तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उभय पक्षों में किसकी उपस्थिति में कब और क्या समझौता हुआ तथा उसके अनुपालन मे क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

26--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त ।]

जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय मार्ग 28 के शेष भाग हेतु पुनर्निर्माण क मांग

27—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष भाग के पुनर्निर्माण के लिए आगणन तथा मांग भारत सरकार को कब भेजा गया और इस मार्ग के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति एवं धन आवंटन कराने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय मार्ग 28 के शेष भाग के पुनर्निर्माण के लिए मांग एवं आगणन भारत सरकार के दिसम्बर, 1981, मार्च 1981, अक्तूबर 1982, नवम्बर, 1982, नवम्बर 1983, तथा मार्च 1984 में भेजे गये ।

आगणनों को शीघ्र स्वीकृति एवं धन आवंटन के लिए भारत सरकार से पत्रों और अधिकारियों के व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा बराबर अनुरोध किया जा रहा है ।

हापुड़—गाजियाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग पर नया पुल का निर्माण

28—श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब पुराना पुल वर्ष 1979 में ही क्षतिग्रस्त हो गया था तो नये पुल का आगणन दो वर्ष से भी अधिक देरी में क्यों भेजा गया ? इस देरी और उसके कारण बेलीपुल पर हुई अनावश्यक व्यय के लिए कौन जिम्मेदार है और मन्त्री जी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आगणन भेजने में विलम्ब लम्बी प्रक्रिया के कारण हुआ । पुल दिसम्बर, 1979 में टूटा था । दूसरा पुल बनाने के लिय भारत सरकार के अधिकारियों ने जनवरी, 1980 म स्थल निरीक्षण किया और फरवरी, 1980 में स्थल की स्वकृति दी उसके बाद नक्शे आदि बनाने का कार्य नवम्बर, 1980 में पूरा हुआ और भारत सरकार को उसे भेजा गया । उनकी स्वीकृति फरवरी, 1981 में प्राप्त हुई । उसका आगणन जुलाई, 1981 में बना उसमें कमियां पायी गयी । जिनका निराकरण अक्तूबर, 1981 में हो सका । सिंचाई विभाग की स्वीकृति भी आवश्यक थी जो अक्तूबर, 1980 में प्राप्त हुई । तब उक्त आगणन नवम्बर, 1981 में भारत सरकार को भेजा गया । अतः बेली पुल पर व्यय अनावश्यक नहीं था ।

काष्ठ कला विद्यालय, बरेली तथा जो0 आई0 टी0 आई0 मेरठ में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में अनियमितता तथा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही

29--डा0 बृज किशोर मिश्र--

क्या श्रम मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि काष्ट कला विद्यालय, बरेली तथा जो0 आई0 टी0 आई0, मेरठ में वर्ष 1983 में चतुर्थ वर्ग के किन-किन लोगों की नियुक्तियां की गयी है तथा उनके निवास जनपद क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि यह सभी नियुक्तियां बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे हुये सीधे निदेशक द्वारा की गई हैं तथा इनमें निर्धारित चयन प्रक्रिय नहीं अपनायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन अनियमित नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जायगा ? इन नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

राजकीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली में सर्वश्री देवी प्रसाद यादव, जयन्त कुमार, सुबेदार मिश्र, मर्यादि राम, जसवन्त सिंह, राम बचन यादव तथा हरिलाल की नियुक्ति की गई हैं तथा उनके गृह जनपद क्रमशः फैजाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, गाजीपुर, आगरा, आजमगढ़ तथा आजमगढ़ हैं। जी0 आई0 टी0 आई0, मेरठ में सर्वश्री तालेश्वर सिंह, देवेन्द्र सिंह, अशोक कुमार तिवारी, श्रीमती पुष्पा देवी की नियुक्ति की गई हैं तथा इनके गृह जनपद क्रमशः आगरा अल्मोड़ा, एटा तथा मुजफ्फर-नगर हैं।

उपरोक्त नियुक्तियों में से श्री जयन्त कुमार सहदूपुर हत्याकान्ड में प्रभावी व्यक्ति थे जिनको नियुक्ति जी0 आई0 टी0 आई0 बरेली में की गयी थी। श्रीमती पुष्पा देवी, मृतक कर्मचारी की आश्रित थीं, इसलिए इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गई थी। सर्वश्री तालेश्वर सिंह, देवेन्द्र सिंह तथा श्री अशोक कुमार तिवारी की नियुक्ति सीधे आवेदन-पत्र लेकर तदर्थ रूप से जो0 आई0 टी0 आई0 मेरठ में की गयी थी।

सर्वश्री देवी प्रसाद यादव, सूबेदार मिश्र, मर्यादि राम, जसवन्त सिंह, राम बचन यादव तथा श्री हरि लाल की नियुक्ति जो0 आई0 टी0 आई0, बरेली में तदर्थ रूप से की गई थी परन्तु अब उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी गयी हैं।

इन कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा-योजन कार्यालय से नाम मंगाकर की गयी थी या नहीं, इस सम्बन्ध में अभि-लेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं किन्तु इस मामले की छानबीन की जा रही है। दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

चूंकि तदर्थ नियुक्तियों को विनि-यमित किये जाने की कार्यवाही कर ली गयी है अतः उन्हें निरस्त किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

30--डा0 बृज किशोर मिश्र--

क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिन जनपदों में उपरोक्त नियुक्तियां की गयी हैं वह कई वर्षों से रिक्त चल रहे थे। उन्हें भरने के लिए शासन की अनुमति क्यों नहीं ली गयी ? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या निर्देश लागू किए गये हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पद समय-समय पर रिक्त होते रहे थे। अतः निदेशक द्वारा शासन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इस सम्बन्ध में निदेशक से वस्तुस्थिति स्पष्ट

कराई जा रही है । शासन के आदेश हैं कि दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से रिक्त चले आ रहे पदों को दो वर्ष की अवधि बीतने पर समर्पित माना जायगा तथा छः माह से अधिक अवधि के रिक्त पदों को विशेष परिस्थितियों में शासन की पूर्व अनुमति से भरा जा सकेगा ।

कृषि अभियन्त्रण में डिप्लोमा धारकों को विभाग में जूनियर इंजीनियर अथवा समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु शासनादेश

31—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, सा0 नि0 वि0 को विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन (श्री हरिमोहन) प्राविधिक शिक्षा अनु0-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या यू0 ओ0 87 ई0 डी0 18-ष-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, के अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारकों के समकक्ष बताते हुए नियुक्ति के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद अब तक विभाग में कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां हुईं तथा उनमें कितने कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारकों में से नियुक्त किये गये ? यदि नहीं नियुक्त हुए, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

सन्दर्भित शासनादेश द्वारा कृषि अभियन्त्रण में डिप्लोमाधारकों को विभाग में जूनियर इंजीनियर अथवा समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शासनादेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी ।

सन्दर्भित राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद विभाग के अन्तर्गत 359 अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति हुई है । उनमें से कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों में से किसी को भी नियुक्त नहीं की गयी है ।

विभाग में आवश्यकतानुसार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रूल्स के प्राविधानों के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारकों की ही नियुक्तियां की जाती हैं । कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारक इस विभाग के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के लिये उपयुक्त नहीं हो सकते हैं ।

श्री के0 एस0 उपाध्याय, अवर अभियन्ता के विरुद्ध गबन का आरोप

32—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में पिपरी तुर्रा, जिला मिर्जापुर के जे0 ई0 के0 एस0 उपाध्याय ने 50,000 रु0 का गबन किया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? क्या यह भी सही है कि उसी गबन के मामले में असिस्टेंट इंजीनियर, पिपरी तुर्रा, मिर्जापुर ने इनकी सर्विस बुक पर बैड इण्ट्री भी दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर कार्यवाही करेगी ? क्या यह सही है कि उक्त उपाध्याय वर्तमान में जे0 ई0 राष्ट्र मार्ग (2), इलाहाबाद में तैनात हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री के0 एस0 उपाध्याय, अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नगत गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

सर्विस बुक में बैड इण्ट्री नहीं की जाती, अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नगत अवर अभियन्ता इस समय राष्ट्रीय मार्ग (2), इलाहाबाद में तैनात हैं ।

श्री कृपा शंकर उपाध्याय, अवर अभियन्ता द्वारा बनवाये गये मकान व दुकान की लागत तथा व्यय किये गये धन के स्रोतों के सम्बन्ध में जांच

33—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपाशंकर, जे0 ई0 राष्ट्रीय मार्ग–2, इलाहाबाद ने अपनी स्त्री के नाम एक मकान नं0 1 बी/8 सी, बाघम्बरी रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद में में कई लाख रुपये का बनवाया है ? क्या सरकार इसकी जांच सी0 आई0 डी0 एवं विभाग से कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

प्रश्नगत मकान की लागत एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा उस पर व्यय किये गये धन के स्रोतों के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है ।

34—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपाशंकर उपाध्याय, जे0 ई0 राष्ट्रीय मार्ग–2, इलाहाबाद ने चौरी बाजार, जिला वाराणसी में मकान व दुकान तीन–चार लाख रुपये की बनाई है ? क्या सरकार इसकी जांच करएगी कि इतना रुपया कहां से प्राप्त किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री कृपा शंकर उपाध्याय, अवर अभियंता ने सूचित किया है कि यह मकान उनकी पैतृक भूमि पर बना तथा उनके पिता के नाम है ।

35—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपा शंकर उपाध्याय, जे0 ई0 राष्ट्रीय मार्ग–2, इलाहाबाद ने गांव जमुआं, पो0 परसोपुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी में भी एक लाख रुपये का मकान बनाया है ? क्या सरकार इसके सन 70 से लेकर दिसम्बर, 83 तक के सभी कार्यों की जांच करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री कृपा शंकर उपाध्याय, अवर अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, खंड नं0 2, इलाहाबाद ने सूचित किया है कि गांव जमुआं, पो0 परसोपुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी में एक मकान उनकी पैतृक भूमि पर बना है जो उनके पिता के नाम है ।

अवर अभियन्ता के प्रश्नगत 14 वर्ष की अवधि के सभी कार्यों की जांच कराया जाना व्यवहारिक नहीं है ।

हरिजन समिति का सार्वजनिक निर्माण विभाग की खाली भूमि लीज पर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र

36—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री त्रिलोकी नाथ, अध्यक्ष, आदर्श मुर्गी पालन एवं अण्डा विक्रय साधन सहकारी समिति बेतवाल–गुनही (बेलौहा) का हरिजन समिति को सार्व0 नि0 वि0 की खाली भूमि लीज पर देने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 12–4–82 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हरिजन समिति को सार्वजनिक निर्माण विभाग की खाली भूमि लीज पर देने के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकी नाथ, अध्यक्ष, आदर्श मुर्गी पालन एवं अन्डा विक्रय साधन सहकारी समिति का प्रार्थना–पत्र सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है जिसकी सूचना प्रार्थी को दे दी गयी है ।

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा आगरा व मेरठ मन्डल में किये गये दौरे पर व्यय

37--श्री बदन सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, निदेशालय, इलाहाबाद ने जनवरी, 1981 अक्तूबर, 1982 तक आगरा व मेरठ मन्डल में क्रमशः कितने दौरे किये हैं और उन पर कितना सरकारी व्यय किया गया है ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संस्कृत, उर्दू अनुदान का भुगतान

38--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978 से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संस्कृत, उर्दू अनुदान का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है जब कि अन्य विद्यालयों को 80-81, 81-82 तक विधिवत भुगतान किया जा चुका है ?

श्री वीर सेन--

वर्ष 1978 के पूर्व से मान्यता प्राप्त असहायिक माध्यमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत कार्यरत संस्कृत उर्दू अध्यापकों के क्षति पूर्ति अनुदान का नियमित भुगतान किया जा रहा है ।

बरेली मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पेन्शन का भुगतान

39--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीर सेन--

निम्न अध्यापकों को पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है :--

सर्वश्री--

1--विशुद्धानन्द ।

2--बुधपाल सिंह ।

3--तारा चन्द सक्सेना ।

4--जयवती देवी ।

5--सतीश चन्द्र रावत ।

6--जे0 चन्द्र ।

7--सच्चिदानन्द सक्सेना ।

8--कुन्ती कटियार ।

मुरादाबाद तथा लखनऊ मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पेन्शन का भुगतान

40--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं, जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं ? किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीर सेन--

निम्नलिखत शिक्षकों को पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ :-

सर्वश्री--

1--दुर्गा सिंह ।

2--मंगल देव शास्त्री ।

3--रामेश्वर प्रसाद ।

4--नारायन सिंह ।

5--यशोदा देवी ।

6--कुन्दन सिंह ।

7--शकुन्तला मित्तल ।

8--याद राम सिंह ।

9--चेतराम शास्त्री ।

10--पी0 एस0 भटनागर ।

41--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं, जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीर सेन--

लखनऊ मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे 21 शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूची संलग्न है, जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं किन्तु जिन्हें अभी पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

(देखिए परिशिष्ट 'ख' आगे पृष्ठ 146 पर ।)

कुमाऊं, झांसी, फैजाबाद, आगरा में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की पेन्शन के भुगतान के संबंध में कार्यवाही

42--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं, जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीरसेन--

ऐसे शिक्षक निम्नलिखित हैं जिन्हें पेन्शन प्राप्त नहीं हो रही है :--

(1) श्री दुर्गा प्रसाद हटवाल ।
(2) श्री गणेश दत्त लोहनी ।
(3) श्री एस0 एल0 जौहरी ।
(4) श्रीमती जीवन देवी ।
(5) श्रीमती सी0 स्टीफन ।

43--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीरसेन--

निम्नलिखत केवल एक शिक्षक को पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है :--

श्री चन्द्रशेखर दत्त पाण्डेय ।

44--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मंडल में सहायता

प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीरसेन--

फैजाबाद मन्डल में 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके ऐसे कुल 29 शिक्षक हैं जिन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ । उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 148 पर ।

45--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो दिनांक 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीरसेन--

निम्न शिक्षकों को पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है :--

सर्वश्री

1--रामजी शरण शर्मा ।

2--श्याम सुन्दर लावानिया ।

3--रामजी लाल शर्मा ।

4--बाबू राम ।

5--बृजराज शरण ।

6--प्रेम शंकर जैन ।

7--इन्द्रजीत तिवारी ।

8--लक्ष्मी प्रसाद गर्ग ।

9--पालिक राम आर्य ।

10--रणवीर सिंह ।

11--के0 एस0 उपाध्याय ।

12--एस0 एल0 गुप्ता ।

13--जनार्दन शास्त्री ।

14--चन्द्र भान शर्मा ।

15--राम चन्द्र शर्मा ।

16--कुमा कृष्ण माटिया ।

17--ब्रह्म प्रकाश शर्मा ।

18--बाबू राम महेश्वरी ।

19--राम रतन रजपूत ।

20--बाबू लाल राकेश ।

21--कल्याण दत्त शर्मा ।

22--महेन्द्र पाल सिंह ।

23--सुशील चन्द्र अग्रवाल ।

24--दीनानाथ चतुर्वेदी ।

25--ज्वाला प्रसाद शर्मा ।

26--नत्थी लाल गुप्ता ।

27--राममूर्ति शर्मा ।

28--चिरंजी लाल मिश्र ।

29--सच्चिदानन्द कुलश्रेष्ठ ।

30--दिगम्बर सिंह ।

31--नत्थी सिंह चौहान ।

32--लल्लू सिंह चौहान ।

33--लाल सहाय ।

34--महा बीर प्रसाद ।

35--एस0 एस0 गौड़ ।

36--एस0 ए0 केला ।

37--रामेश्वर दत्त मिश्र ।

इलाहाबाद गोरखपुर मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पेन्शन के भुगतान की मांग

46--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मन्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेन्शन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर, लखनऊ मंडल के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद

48--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मंडल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

49--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मंडल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

दिनांक 31-10-83 को लखनऊ मण्डल में 15 विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद था ।

वाराणसी मंडल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पेन्शन का भुगतान तथा प्रबन्धकीय विवाद

50--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल में सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री वीरसेन--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

51--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद, आगरा, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद

52--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में सहायता

प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

फैजाबाद मण्डल में दिनांक 31-10-83 को 23 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद था ।

53--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

आगरा मण्डल के 31 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

54--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

झांसी मण्डल में दिनांक 31-10-83 को 8 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद था ।

55--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे की मेरठ मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

56--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

दिनांक 31-10-83 को मुरादाबाद मण्डल के 9(नौ) सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद था ।

कुमायूं, गढ़वाल मंडल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद

57--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मंडल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीरसेन--

कुमायूं मण्डल के किसी भी माध्यमिक विद्यालय में 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद नहीं था ।

58--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था ?

श्री वीर सेन--

दिनांक 31-10-83 को गढ़वाल मण्डल के किसी विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद नहीं था ।

फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी के माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही

59--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-10-83 को फैजाबाद

मण्डल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर सेन--

फैजाबाद मण्डल के निम्नलिखित नौ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विरुद्ध दिनांक 31-10-83 को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी:--

1--गांधी विद्या मन्दिर इंटर कालेज, गोण्डा।

2--हुकुम सिंह इंटर कालेज, कैसरगंज, बहराइच।

3--आजाद इंटर कालेज, बहराइच।

4--बलभद्र इंटर कालेज, डीहा, प्रतापगढ़।

5--कालिका सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहनगंज, प्रतापगढ़।

6--सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक वि0, बहुवा, प्रतापगढ़।

7--वारसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवाशरीफ, बाराबंकी।

8--जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मानपुर, बाराबंकी।

9--एम0 एल0 एस0 एल0 इंटर कालेज, फैजाबाद।

60--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध दिनांक 31-10-83 को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर सेन--

लखनऊ मण्डल के निम्नलिखित विद्यालयों में 31-10-83 को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी :--

1--कालीचरन इंटर कालेज, लखनऊ।

2--काल्विन तालुकेदार इंटर कालेज, लखनऊ।

3--प्रगति आश्रम हायर सेकेन्डरी स्कूल, बालागंज, लखनऊ।

4--श्री दुर्गागीता विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाबूगंज, लखनऊ।

5--सिटी मान्टेसरी हायर सेकेन्डरी स्कूल, राजेन्द्रनगर, लखनऊ।

6--सिटी मान्टेसरी हाई स्कूल, महानगर, लखनऊ।

7--सिटी मान्टेसरी हाई स्कूल, आर0 डी0 एस0 ओ0 कालोनी, लखनऊ।

8--श्री देवदरबार आश्रम इंटर कालेज, सांण्डी हरदोई।

9--आर्य कन्या इंटर कालेज, सीतापुर।

10--जवाहर लाल नेहरू स्मारक इंटर कालेज, काथा, उन्नाव।

11--इंटर कालेज, सगवर, उन्नाव।

61--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को वाराणसी मण्डल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद, गढ़वाल, मेरठ मंडल के माध्यमिक विद्यालयों के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही

62--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को इलाहाबाद मण्डल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन--

इलाहाबाद मण्डल में दिनांक 31-10-83 तक 13 बालक तथा 3 बालिका विद्यालयों के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जिनका विवरण निम्नवत् है—

1--लवकुश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हिम्मतगंज, इलाहाबाद ।

2--आई0 के0 एम0 इन्टर कालेज, आनापुर, इलाहाबाद ।

3--श्री केदारनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरगिया, जसरा इलाहाबाद ।

4--हरबंश सिंह इन्टर कालेज, रेवाड़ी, फतेहपुर ।

5--विद्युत् परिषद् हायर सेकेन्डरी स्कूल, पनकी पावर हाउस, कानपुर ।

6--नोनापुर इंटर कालेज, नोनापुर, कानपुर ।

7--मारवाड़ी इंटर कालेज, कानपुर ।

8--क्षेत्रीय विद्यालय इंटर कालेज, रंजीतपुर, कानपुर ।

9--पथिक शिक्षा परिषद् इंटर कालेज, साढ़, कानपुर ।

10--गुरुनानक खत्री इंटर कालेज, कानपुर ।

11--श्री राधारमन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फफूंद, इटावा ।

12--भारतीय इंटर कालेज, मतौली, फर्रुखाबाद ।

13--जनता इंटर कालेज, खडिनी, फर्रुखाबाद ।

14--आदर्श बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल, पी0 रोड, कानपुर ।

15--जनता बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल, झींझक, कानपुर ।

16--ज्ञान भारतीय बालिका विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, अरोल, कानपुर ।

63--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को गढ़वाल मंडल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

64--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को मेरठ मंडल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर, झांसी, कुमायूं, आगरा मंडल के विद्यालयों के विरुद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही

65––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31–10–83 को गोरखपुर मंडल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन––

सूचना एकत्र की जा रही है।

66––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31–10–83 को झांसी मंडल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन––

झांसी मंडल में दिनांक 31–10–83 को निम्नलिखित चार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विरुद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी––

1––गांधी इन्टर कालेज, उरई, जालौन ।

2––रहकनियां इन्टर कालेज, मौदहा, हमीरपुर ।

3––सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इन्टर कालेज, झांसी ।

4––श्री वर्णी जैन इन्टर कालेज, ललितपुर ।

67––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31–10–83 को कुमायूं मंडल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन––

कुमायूं मंडल में दिनांक 31–10–83 को केवल खालसा नेशनल बालिका इंटर कालेज, हल्द्वानी, नैनीताल के विरुद्ध अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी ?

68––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31–10–83 को आगरा मंडल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन––

आगरा मंडल के निम्नलिखित माध्यमिक विद्यालयों के विरुद्ध दिनांक 31–10–83 को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी––

1––जनकल्याण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिकरारी, लालपुर, एटा ।

2–– जनता इण्टर कालेज, नगला गजपति, एटा ।

3––एल0पी0 एस0 इण्टर कालेज, अबलपुर, एटा ।

4––जनता इण्टर कालेज, परसौन, एटा ।

5––मुन्ना लाल गुलजारी लाल हिन्दू मुस्लिम इण्टर कालेज, मारहेरा, एटा ।

6––राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिन्हेरा मिरहची, एटा ।

7--चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज, मथुरा ।

8-- जैन इण्टर कालेज, चौरासी, मथुरा ।

9--आर0 बी0 एस0 इण्टर कालेज, आगरा ।

10--सी0 पी0 पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आगरा ।

11--गिरधारी लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चुल्हावली, आगरा ।

12--जनता इण्टर कालेज, नौनेर मैनपुरी ।

13--लोकमनदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरिरामपुर, अलीगढ़ ।

14--राष्ट्रीय इण्टर कालेज खैर, अलीगढ़ ।

15--सासनी विद्यापीठ उ0 मा0 वि0 सासनी, अलीगढ़ ।

16--आर्यन कल्चर ऐकेडमी उ0 मा0 वि0, मालवीयनगर, अलीगढ़ ।

17--एम0 एम0 इण्टर कालेज, अण्डला, अलीगढ़ ।

18--मलखान सिंह इण्टर कालेज, टुकई, अलीगढ़ ।

19--चम्पा इण्टर कालेज, अलीपुर, अलीगढ़ ।

20--डी0 आर0 बी0 इण्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।

21--जवाहर इण्टर कालेज, इगलास, अलीगढ़ ।

69--श्री सरदार सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

बेसिक शिक्षा परिषद् (नगर क्षेत्र), शाहजहांपुर के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि की पास बुकों को पूर्ण कराने की मांग

70--श्री सिकन्दर अली खां नवाब--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् (नगर (क्षेत्र), शाहजहांपुर के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि की पास बुकें अब तक न बनने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

प्रश्नगत अध्यापकों/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि की पास बुकें मुख्य रूप से इस कारण पूर्ण नहीं हैं कि 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व के भविष्य निधि लेखे नगरपालिका शाहजहांपुर से पूर्ण और सही प्राप्त नहीं हुए थे । पास बुकों को पूर्ण कराने का कार्य शीघ्रता से कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ई0 के अन्तर्गत अनिर्णीत अपीलें

71--श्री पचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ई (10) के अन्तर्गत कितनी अपीलें 31-10-1983 को शासन में और कितनी अपीलें शिक्षा निदेशालय में अनिर्णीत पड़ी हैं । इनके निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इनके निस्तारण में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में सहायता-
प्राप्त उच्चतर माध्यमिक
विद्यालयों में शिक्षकों के
वेतन का भुगतान

72--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1981-82 में प्रत्येक माह में अलग-अलग कौन से सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान आगामी माह की 20 तारीख के बाद किया गया है ?

श्री वीर सेन--

जी हां ।

सूची संलग्न† है ।

प्रदेश में सहायताप्राप्त हाई
स्कूल व इन्टरमीडिएट कालेजों
में विभिन्न वेतनक्रमों में
कार्यरत शिक्षक एवं
कर्मचारी

73--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेज हैं तथा इनमें विभिन्न वेतनक्रमों में कितने शिक्षक एवं कर्मचारी दिनांक 31-10-1983 को कार्यरत थे ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*छापी नहीं गयी।

श्रीमती कटोरी देवी, अध्यापिका,
निवासी दलपत खिड़की,
मथुरा द्वारा दिये गये
पत्र पर निर्णय

74—श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कटोरी देवी, अध्यापिका, निवासी दलपति खिड़की, मथुरा का स्मृति-पत्र दिनांक 29-8 1983 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं और उनकी मांगों पर सरकार ने अभी तक क्या निर्णय लिया है ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पलिया ब्लाक, जनपद लखीमपुर
खीरी में बेसिक प्राथमिक
पाठशाला तथा कार्यरत
अध्यापक

75--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पलिया ब्लाक, जनपद लखीमपुर-खीरी में कितने बेसिक प्राथमिक पाठशाल हैं ? पठशालाओं हेतु कितने अध्यापक आवंटित हैं ? क्या यह भी सच है कि आवंटित संख्या के एक तिहाई भी शिक्षक कार्यरत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या शासन शिक्षकों के अभाव को पूरा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी से प्राप्त सूचना के अनुसार पलिया ब्लाक में 81 जूनियर बेसिक स्कूल संचालित हैं और इन विद्यालयों हेतु अनुमानतः 195 अध्यापक के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 145 अध्यापक कार्यरत हैं जो एक तिहाई से कहीं अधिक हैं ।

रिक्त पदों में अधिकतर प्रधानाध्यापकों के पद हैं जिसका कारण सहायक अध्यापकों द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार कर देना है। इन रिक्तियों को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा यथाशीघ्र भर लिया जायगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के अधीन प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पूर्ति

76—श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के अधीन प्राइमरी पाठशालाओं में जनवरी, 1982 से जून, 1983 तक कितने सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार बच्चों की शिक्षा में हो रही क्षति को रोकने हेतु अविलम्ब नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीरसेन—

225 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त थे। फरवरी, 1984 तक 201 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

प्रदेश के शिशु मंदिरों को समाप्त करने की कथित योजना

77—श्री दूध नाथ राजभर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 31-12-1983 तक कितने शिशु मंदिर कायम हुये हैं? क्या सरकार इन शिशु मंदिरों को समाप्त करके शासन की नीतियों के अनुरूप चलाये जा रहे बेसिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की दिशा में कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री वीरसेन—

प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों से सूचना प्राप्त की जा रही है जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

इस प्रकार की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

एम0एम0 हा0 से0 स्कूल, कन्नौज फर्रुखाबाद में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर वरिष्ठतम शिक्षक की नियुक्ति न होने के संबंध में कार्यवाही

78—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि एम0 एम0 हा0 से0 स्कूल, कन्नौज, फर्रुखाबाद में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर वरिष्ठतम शिक्षक को कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है? क्या यह भी सही है कि शासन में इस संबंध में शिक्षा निदेशक का निदेश दिया है किन्तु इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है?

श्री वीरसेन—

जी हां।

जी हां। परन्तु प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।

रजा पुस्तकालय, रामपुर को अग्नि व पानी से सुरक्षित रखने हेतु कार्यवाही

79—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वित्तीय वर्षों में रजा पुस्तकालय, रामपुर में वर्षवार क्रमशः कितनी पुस्तकें, पत्रिकायें, पाण्डुलिपियां

क्रय की गयीं व कितनी खोयीं और कितनी नष्ट हो गयीं ? इस पुस्तकालय को आग, पानी से पूर्णतया सुरक्षित रखने हेतु सरकार न अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

रजा पुस्तकालय, रामपुर भारत सरकार के नियत्रणाधीन है जिसके द्वारा इस समय स्टाक चेकिंग करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में इन्वेन्ट्री तैयार होने के पश्चात् ही बताया जाना संभव होगा कि वर्ष वार क्रमशः कितनी पुस्तकें, पत्रिकायें, पाण्डुलिपियां क्रय की गयीं व कितनी नष्ट हो गयीं।

अग्नि सुरक्षा हेतु 24 अग्निशमन यंत्र लगाये जा चुके हैं तथा पानी से बचाव हेतु मरम्मत के कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकार किया जा चुका है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में सहायक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति का औचित्य

80—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो यह नियुक्ति कब की गयी और इन्हें क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं तथा इनकी नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

श्री वीरसेन—

जी हां।

जून, 1983 में।

बेसिक शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मण्डलीय कार्यालय पर कार्यभार अधिक बढ़ गया था। इन बढ़े हुए कार्यों को सुचारुरूप से सम्पादित किये जाने हेतु मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, पौड़ी के कार्यालय में सहायक निदेशक (बेसिक) का पद स्वीकृत किया गया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्तियां एवं उनके स्थानान्तरण की मांग

81—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है। इसके क्या कारण हैं और कब तक निर्धारित मानक के अनुसार नियुक्ति होने की सम्भावना है ?

श्री वीरसेन—

विद्यालयों की संख्या की जानकारी की जा रही है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्तियां न होने का कारण जनपद में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों व विज्ञान विषय के शिक्षकों का उपलब्ध न होना है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा सकेंगी।

82—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह नवम्बर, दिसम्बर, 1983 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के प्रधान ग्राम सभा, गेंड पट्टी, बनेलस्यूं में प्राइमरी स्कूल गेंड में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है तथा इन अध्यापकों का कब तक स्थानान्तरण किया जा सकेगा ?

श्री वीरसेन—

जी हां । शिकायती-पत्र स्थानान्तरण हेतु प्राप्त हुआ था । इस पर सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षक से जांच करायी गयी । जांच के समय दोनों अध्यापक उपस्थित पाये गये । फिर भी भविष्य के लिए उन्हें सतर्क कर दिया गया । तदुपरान्त वार्षिक प्रबन्ध के समय विचारोपरान्त एक अध्यापक को प्राइमरी पाठशाला गेंड से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को विभागीय पदोन्नति तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में निर्गत किये गये आदेश

83—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1/108-25 (1)-167-73-शिक्षा (1) अनुभाग, दिनांक 4 जनवरी, 1974 द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को क्या-क्या आदेश निर्गत किये गये थे तथा शिक्षा निदेशक उ0 प्र0 ने उक्त शासन देश के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में सी0 टी0 (हिन्दी) में विभागीय पदोन्नति एवं लोक सेवा आयोग की चयन समिति द्वारा विभागीय कोटे में अनुमोदित कितने एल0 टी0 (हिन्दी) पदाधिकारियों को स्थायी किया है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के रिटायर्ड व मृत अध्यापक तथा पेन्शन का भुगतान

84—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30-6-79 से दिनांक 30-6-83 तक कुल कितने अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद् आजमगढ़ के रिटायर हुए हैं तथा मरे हैं और उसमें कितने लोगों के भविष्य निधि का ब्याज देकर भुगतान कर दिया गया है ?

श्री वीरसेन—

30-6-79 से 30-6-83 तक 343 अध्यापक रिटायर हुए तथा 60 अध्यापकों की मृत्यु हुई ।

178 अध्यापकों को भविष्य निधि की ब्याज रहित धनराशि का भुगतान कर दिया गया है । शेष 225 अध्यापकों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

85—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 79 से 83 तक रिटायर हुए कितने शिक्षकों को नियमित पेंशन दी जा रही है और कितने लोग दिसम्बर, 83 तक पेंशन पाने से वंचित रहे हैं ? इसका कारण क्या ?

श्री वीरसेन—

सन् 1979 से 1983 तक सेवा निवृत्त शिक्षकों में से 197 शिक्षकों को नियमित रूप से पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है । शेष 146 अध्यापक पेंशन पाने से वंचित रहे हैं । इन में से 46 के प्रकरण पूर्ण कराकर पेन्शन स्वीकृति अधिकारी को भेजे जा चुके हैं । शेष 100 शिक्षकों से पेंशन के पत्रजात अपूर्ण प्राप्त हुए थे । पत्रजात पूर्ण हो जाने पर पेन्शन स्वीकृत कर दी जायेगी ।

श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक (गोरखपुर) के विरुद्ध शिकायती पत्र

86—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल,

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक (गोरखपुर) के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13-10-83 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उरसान, जिला कानपुर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

87-श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित श्री राम बाबू कटियार, उ० मा० विद्यालय उरसान, जिला कानपुर देहात का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-9-83 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उक्त विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद में गबन की जांच

88-श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज फर्रुखाबाद में मार्च, 1982 में दस हजार रुपया वेतन बिल में अधिक निकाल लिया गया, जो शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त ट्रेजरी में जून, 1983 में जमा किया गया ? यदि हां, तो इस गबन काण्ड की एफ० आई० आर० सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कब दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

जी हां ।

एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराई गई क्योंकि जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद ने परगना मजिस्ट्रेट सदर एवं कोषाधिकारी, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) को दिनांक 11-6-83 को जांच हेतु भेजा था और जांच के दौरान सम्बन्धित अभिलेखों में अनियमितताएं पायी गयी जिसके कारण अभिलेखों को मुहर बन्द करके उक्त अधिकारीगण अपने साथ ले गए थे । सम्बन्धित प्रधान लिपिक श्री रामेश्वर प्रसाद सक्सेना, राजकीय इन्टर कालेज फर्रुखाबाद को दिनांक 18-1-84 को अपरान्ह से निलम्बित कर दिया गया है । श्री सक्सेना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में एम० ए०, डी० पी० एड० अध्यापकों को प्रवक्ता वेतन क्रम में पदोन्नति की मांग

89-श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में एम० ए०, डी० पी० एड० अध्यापक जो एल० टी० वेतन क्रम में शिक्षण कार्य कर रहे हैं इनको प्रवक्ता वेतन क्रम में पदोन्नति देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस समय कुल कितने ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं हैं तथा इनको कब तक प्रोन्नति कर दी जायेगी ?

श्री वीरसेन—

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय इन्टर कालेज, गरुड़, जिला अल्मोड़ा के भूतपूर्व प्रधानाचार्य डा0 बुद्धि सागर के विरुद्ध जांच

90--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, गरुड़, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा के भूतपूर्व प्रधानाचार्य, डा0 बुद्धि सागर दिनांक 24 सितम्बर, 1982 से 14 जून, 1983 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे ? मा0 शिक्षा मंत्री जी व अन्य विभागीय अधिकारियों को जनता द्वारा डा0 बुद्धि सागर के विरुद्ध शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

प्रश्नगत अवधि में डा0 बुद्धिसागर दिनांक 27-9-1982 से 23-10-1982 तक एवं दिनांक 2-11-1982 से 23-12-1982 तक चिकित्सीय अवकाश पर तथा दिनांक 9-5-1983 से 21-5-1983 तक उपार्जित अवकाश पर रहे ।

जी हां ।

शिकायतों के सम्बन्ध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, नैनीताल को जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

फिलहाल उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद, पौड़ी-गढ़वाल में शिक्षा अनुदान में अवशेष धनराशि तथा प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में पत्र

91--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल में 30-6-83 तक शिक्षा अनुदान में कितनी धनराशि अवशेष थी ? इस धनराशि का उपभोग यथा-समय न किये जाने के कारण क्या हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री वीरसेन--

जिलाधिकारी, गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार 30-6-83 को जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा अनुदान में रु0 1,66,675'21 पैसे अवशेष थे । ये अवशेष निर्माण कार्यों की कीमतें बढ़ जाने व स्वीकृत धनराशियों से उनका निर्माण न हो पाने के कारण थे । इसमें रु0 79,600 जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी-गढ़वाल को क्लेज्ड है और पोस्ट आफिस के पास-बुक में जमा है । मामले की आगे छान-बीन की जा रही है ।

92--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, अध्यक्ष जिला परिषद्, पौड़ी-गढ़वाल को प्रश्न-कर्त्ता के पत्रांक 3/शिक्षा, 83-84 दिनांक 21-8-83 के द्वारा जनपद की कतिपय प्राइमरी स्कूल भवनों की मरम्मत के सुझाव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो परिषद् द्वारा उन स्कूलों भवनों की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की गई और कब तक उन स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री वीरसेन--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल के माध्यम से जिलाधिकारी, गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित माननीय विधायक का पत्र उनके अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है । हां प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में माननीय विधायक के पत्र दिनांक 8-1-84 तथा 21-1-84 प्राप्त हुये । विधायक महोदय के सुझावा-

नुसार कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है ।

जौनपुर जनपद के विकासक्षेत्र जलालपुर के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन से राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीदने हेतु की गयी कटौती के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

93--श्री प्रभूनारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त कटौती का भुगतान सम्बन्धित अध्यापकों को कर दिया गया ? प्रश्नगत अनियमितता के लिए दोषी कौन था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय तथा उनके वेतन का भुगतान

94--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में अप्रैल, 1982 से अक्तूबर, 1983 तक प्रत्येक माह में अलग-अलग कौन से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अगली माह की 20 तारीख के बाद किया गया है ?

श्री वीरसेन--

जी हां ।

सूची†संलग्न है ।

†छापी नहीं गयी ।

आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ तथा अलीगढ़ जनपदों में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में उत्तर पुस्तिकों पर व्यय

95--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में सादी उत्तर-पुस्तिकाओं के क्रय में आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ तथा अलीगढ़ जनपदों में प्रति छात्र अलग-अलग क्या व्यय हुआ ?

श्री वीरसेन--

लखनऊ जनपद में प्रति छात्र दो रुपया 82 पैसा और वाराणसी जनपद में प्रति छात्र तीन रुपया 38 पैसा व्यय हुआ । शेष जनपदों से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

हामिद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिहानी, हरदोई में अबैध धन की वसूली की जांच

96--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में वर्ष 1982-83 में इण्टर की अनधिकृत कक्षाएं चलाये जाने एवं अवैध धन वसूल किए जाने के सिलसिले में श्री प्रकाश चन्द्र बाजपेयी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र सितम्बर-अक्तूबर, 1982 में उप निदेशक शिक्षा, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही क्या हुई ?

श्री वीरसेन--

जी हां ।

हामिद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिहानी, हरदोई में जांच करने के पश्चात् अवैध धन की वसूली प्रधानाचार्य से कराई गई है । प्रबन्धक को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रधानाचार्य

के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा प्रधानाचार्य को सचेत कर दिया गया ह कि वे भविष्य में अनधिकृत कक्षायें न चलायें ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेन्शन एवं उस पर राहत की सुविधा की मांग

97—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् की सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन पर राहत की सुविधा से बेसिक शिक्षा परिषद्, हरदोई के 1973 में सेवा-निवृत्त प्रधान लिपिक, श्री लाल बहादुर सिंह एवं 1977 में सेवा निवृत्त श्री राम पाल सिंह को वंचित रखा गया है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों सेवा-निवृत्त कर्मचारियों द्वारा 30-9-82, 6-11-82, 11-4-83 तथा 21-7-83 में बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को देय राहत सुविधा के भुगतान के सिलसिले में प्रार्थना-पत्र भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरसेन—

जी हां ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेन्शन की सुविधा दिनांक 1-4-1980 से दी गयी है इसके पूर्व सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन एवं उस पर राहत की सुविधा देय नहीं है । अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा अबैरनी, ब्लाक बल्देव, जिला मथुरा के प्रा0 स्कूलों के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

98—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अबैरनी, ब्लाक बल्देव जिला मथुरा के प्रा0 स्कूलों के भवनों में मरम्मत के सम्बन्ध में 4 फरवरी, 83 को प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

जी हां । प्रश्नगत पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को भेज दिया गया था । प्रश्नगत मामलों में कार्यवाही की सूचना प्राप्त की जा रही है ।

संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय गदुरही बाजार, फैजाबाद को प्रदान की गयी अस्थायी मान्यता

99—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय, गदुरही बाजार, फैजाबाद को सत्र 1980-81 अथवा 1981-82 में जूनियर कक्षाओं को चलाने की मान्यता प्रदान की गयी है ? जूनियर स्तर तक अध्यापन हेतु कितने अध्यापकों एवं चपरासियों की नियमित नियुक्ति की गयी है ? क्या अध्यापकों एवं चपरासियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के अध्यापकों एवं चपरासियों के नाम क्या हैं ?

श्री वीरसेन--

जी हां । सत्र 1981-82 में अस्थायी मान्यता प्रदान की गई।

प्रधानाध्यापक सहित 5 अध्यापकों एवं 3 चपरासियों की नियुक्ति की गयी है ।

चपरासियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कर लिया गया है । अध्यापकों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है ।

अनुसूचित जाति के कोई अध्यापक कार्यरत नहीं है । अनुसूचित जाति के अन्तर्गत चपरासी के पद पर श्री पल्टू हरिजन की नियुक्ति की गयी है ।

जिला बेसिक शिक्षा संघर्ष समिति ललितपुर द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर कृत कार्यवाही

100--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 82 प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षक संघर्ष समिति, ललितपुर द्वारा मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरसेन--

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 1982 को काफी छानबीन के बावजूद उपलब्ध न होने पर अर्धशासकीय पत्र सं0 5875/15(5) 84, दिनांक 20-7-84 द्वारा माननीय सदस्य से प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । इस हेतु एक स्मरण-पत्र भी दिनांक 1-9-84 को भेजा गया है । उक्त पत्र के प्राप्त होने पर शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री चन्द्रपाल को हाई स्कूल परीक्षा.फल दिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

101--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रपाल को वर्ष 1977 का हाई स्कूल परीक्षाफल अभी तक न दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 30-3-83 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो परीक्षाफल दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई और इसके लिए दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी गई ?

श्री वीरसेन--

जी हां । हाई स्कूल परीक्षा 1977 के परीक्षार्थी चन्द्रपाल आत्मज शिव नारायण अनुक्रमांक 201100 तथा चन्द्रपाल आत्मज मोहन अनुक्रमांक 201101 के अनुक्रमांक आपस में बदल जाने के फलस्वरूप परीक्षाफल नहीं मिला था । अनुक्रमांक सत्यापन तथा आवश्यक जांच के बाद दोनों परीक्षार्थियों के परीक्षाफल दिनांक 1-4-80 को ही संशोधन करके बी0 डी0 त्रिपाठी इंटर कालेज, मियांगंज उन्नाव को भेजे जा चुके हैं ।

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव को कन्या जनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां में प्रधान अध्यापिका के पद का चार्ज दिलाने तथा बकाया वेतन का भुगतान कराने के संबंध में कार्यवाही

102--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतांने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव को कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां में प्रधान अध्यापिका के पद का चार्ज दिलाने के सम्बन्ध में तथा उनका पिछले तीन साल के बकाया वेतन के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का अर्द्ध0 शा0 पत्र

संख्या बे0 शि0 प0/8254/57/एक-1982-83, दिनांक 10 जून, 1982 जो जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को सम्बोधित है और जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली का पत्र संख्या शि0 प0/2100-1/82-83, दिनांक 22-7-82 को अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), रायबरेली को सम्बोधित है, का परिपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके परिपालन न करने का कौन दोषी है ?

श्री वीरसेन--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त सूचनानुसार संदर्भित आदेश के परिपालन में श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका को उनके कार्यविधि जनवरी, 1982 से अगस्त, 1982 तक का वेतन का भुगतान 4,672 रु0 दिनांक 27-8-83 को कर दिया गया है । अध्यापिका बिना आवेदन पत्र के 10-2-80 से 31-12-81 के बीच अधिकांश अवधियों में विद्यालय से अनुपस्थित रहीं । उक्त अवधियों के प्रार्थना-पत्र/चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अध्यापिका को लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देश देने पर भी उनके प्राप्त न होने पर भुगतान की कार्यवाही संभव नहीं हो सकी है । इस मामले में कोई अधिकारी दोषी है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है ।

103--श्री मीरा लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां, जिला रायबरेली के पिछले तीन साल के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में डा0 जेड0 ए0 अहमद, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1983 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वेतन का भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर सेन--

माननीय सदस्य का दिनांक 23-7-83 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अध्यापिका के कार्यविधि जनवरी, 1982 से अगस्त, 1982 तक का वेतन का भुगतान 4,672 रु0, दिनांक 27-8-83 को किया जा चुका है ।

श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय सफेदाबाद, बाराबंकी को बकाया वेतन का भुगतान कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही

104--श्री कुबेर भंडारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समायोजित करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या अगले माह में वेतन समायोजित कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित अध्यापिका माह सितम्बर, 80 में अवकाश पर रही ? यदि हां, तो वेतन क्यों आहरित किया गया तथा आहरित होने के बाद समायोजित करने के आदेश सहित भुगतान क्यों नहीं कराया गया ?

श्री वीर सेन--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

अवकाश पर होने की सूचना के अभाव में सम्बन्धित अध्यापिका बिना किसी सूचना के दिनांक 8-9-80 से 31-10-80 तक अनुपस्थित रही और दिनांक 1-11-80 को विद्यालय में उपस्थित होने पर जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिया, वह संदिग्ध पाया गया । अतः अवकाश की स्वीकृति के अभाव में वेतन का भुगतान नहीं किया गया । समायोजन की शर्त सहित वेतन का भुगतान अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।

अध्यापिका के उक्त अवधि के वेतन का भुगतान अवकाश स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 23-4-83 को किया जा चुका है ।

जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा में शिक्षकों द्वारा सी0 टी0 वेतनक्रम की धनराशि की मांग

105—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इंटर कालेज, विशुनपुर में जुलाई, 1963 में जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में कौन-कौन से सहायक शिक्षक नियुक्त हुए और पांच साल की शिक्षण अवधि पूरी करने के बाद की तिथि से सुमोटी पद्धति में वर्ष 1974 से वर्ष 1979 के बीच पदोन्नति दे दी गई ? इस श्रेणी में आने वाले किन-किन शिक्षकों ने पांच साल पूरा होने के बाद जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में किए गए कार्य पर सी0 टी0 वेतनक्रम की धनराशि की मांग प्रबन्धक अंशदान कोष से देने हेतु स्थानीय अधिकारियों व शासन से माह जनवरी, 1982 से माह अक्तूबर, 1982 के अन्दर कितनी बार सूचना देकर मांग किया है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई और नहीं की, तो क्यों ?

श्री वीर सेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी पाठशाला वारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

106—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 वारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 4-10-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को की गई तथा जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता से भी लिखित या मौखिक बयान लिया गया ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीरसेन—

जी हां । माननीय विधायक का यह पत्र श्री राम तेज यादव, सदस्य शिक्षा समिति प्राइमरी पाठशाला, वारपुर के पत्र दि0 28-9-82 सहित प्राप्त हुआ था । श्री राम तेज यादव के इस पत्र को मूल रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को जांचोपरान्त शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था । उक्त अधिकारी द्वारा यह सूचित करने पर कि उनके कार्यालय में श्री यादव का उपरोक्त पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनको निदेश किया गया था कि वे उक्त पत्र को पुनः ढूंढवायें और यदि वह उपलब्ध न हो पावे तो श्री यादव से सम्पर्क स्थापित कर उक्त पत्र की प्रति-लिपि प्राप्त कर उस पर आवश्यक कार्यवाही करें तथा आख्या शासन को भेजें । इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अनिवार्य जमा किस्त का स्टाफ को वितरण न दिया जाना

107—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक तथा अध्यापिकाएं तथा आरक्षण कोटा

108--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के कितने जनजाति के कितने पिछड़ी वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्री वीरसेन--

प्रश्न में वांछित सूचना निम्नवत् है —

अध्यापक	अध्यापिकायें	योग
2,04,162	43,516	2,47,678

अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति
28,682	331	39,359

अल्पसंख्यक

15,799

बस्ती जिले के माध्यमिक विद्यालयों का बकाया शिक्षा शुल्क

109--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत पिछले वर्षों से किन-किन विद्यालयों को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने से लिए सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

बस्ती जनपद में विगत तीन वर्षों 80-81, 81-82 तथा 82-83 में सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या प्रत्येक वर्ष में 115 थी। इनमें से वर्ष 80-81 में 76 विद्यालयों, वर्ष 81-82 में 115 विद्यालयों तथा वर्ष 82-83 में 115 विद्यालयों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि इन विद्यालयों ने अनुदान प्राप्त करने हेतु जि0 वि0 नि0, बस्ती के कार्यालय में मांग-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये। चूंकि विद्यालयों ने मांग-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त विद्यालयों को उल्लिखित वर्षों हेतु कितना-कितना धन बकाया है।

इसी प्रकार वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में असहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या क्रमशः 6, 8 तथा 15 थी जिनमें से वर्ष 80-81 तथा 81-82 में उल्लिखित सभी विद्यालयों को भुगतान हो चुका है। वर्ष 82-83 में केवल 7 विद्यालयों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि इन विद्यालयों ने जि0 वि0 नि0, बस्ती के कार्यालय में मांग-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये। चूंकि इन विद्यालयों ने मांग-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इन 7 विद्यालयों का कितना-कितना धन बकाया है।

जहां तक बकाया क्षतिपूर्ति अनुदान के भुगतान का प्रश्न है, निदेशालय द्वारा विगत वर्षों की क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु पुनः एक मुश्त धनराशि जि0 वि0 नि0, बस्ती को वर्ष 83-84 में इस आशय से आवंटित की जा चुकी है कि वे सम्बन्धित संस्थाओं से मांग-पत्र प्राप्त करके भुगतान की कार्यवाही करावें। जि0 वि0 नि0, बस्ती ने मांग-पत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को निर्देश दिए परन्तु वर्ष 83-84 के अन्त तक कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः कोई मांग ऐसी नहीं है जो प्राप्त हो, परन्तु उसकी स्वीकृति न दी गई हो।

बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वां-गोसाईपुर शिक्षा क्षेत्र, बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव द्वारा फर्जी ट्रांसफर आदेश बना लेने के विरुद्ध कार्यवाही

110--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वां गोसाईपुर शिक्षा क्षेत्र, बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव, फर्जी ट्रांसफर आदेश, गाजीपुर का बना कर ता० 30-7-80 से कार्य-भार ग्रहण किया था ? क्या यह सही है कि पद स्थापना आदेश श्रीमती कालिन्दी पाण्डेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला, वाराणसी के आदेश से था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई ? क्या यह सही है कि बे० प्रा० पा० मढ़वा, ब्लाक हरहुआ, जिला वाराणसी के प्रधान अध्यापक, अमरनाथ लाल ने 20-7-82 को एक रिपोर्ट प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, हरहुआ, वाराणसी को लिखित दिया है कि उक्त आदेश को उन्होंने श्रीमती कालिन्दी पाण्डेय को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्ताक्षर है उसको कार्य-भार ग्रहण करा दीजिए ? क्या लाग बुक पर भी सभी आदेश संख्या अंकित है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर्य कन्या इंटर कालेज, बिल्सी (बदायूं) के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सी० डी० एस० का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

111--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फण्ड कमिश्नर, कानपुर से धनराशि प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या प्राप्त धनराशि को प्रश्न से सम्बन्धित समस्त अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को जुलाई, 1974 से 1977 तक सी० डी० एस० का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक बकाया भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीरसेन--

आर्य कन्या इंटर कालेज, बिल्सी (बदायूं) के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सी० डी० एस० के अन्तर्गत जमा धनराशि 9,593 रु० में से 1,849.00 रु० मूल तथा 1,149.54 रु० ब्याज अर्थात् 2,998.54 रु० के बैंक ड्राफ्ट भविष्य निधि कानपुर से प्राप्त हुए थे इन प्राप्त बैंक ड्राफ्टों की धनराशि को सम्बन्धित कर्मचारियों को उनके खाते में दिनांक 3-4-82 को जमा कराकर भुगतान कर दिया गया है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मामले को टाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस की जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

शेष रु० 7744.00 तथा इस पर देय ब्याज की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अभी प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके लिये प्रधानाचार्या भविष्य निधि आयुक्त को निरन्तर लिख रही है । संस्था अधिकारियों द्वारा मामले को टाला नहीं गया है । भुगतान निमित्त भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

एस0 के0 पी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान की शिकायत

113--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5-11-1981 तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है तथा 15-4-1983 तक क्या कार्यवाही गयी है ?

श्री वीर सेन--

अभिलेख प्राप्त न होने के कारण जांच पूरी न हो सकी। इस कारण 5-11-1981 तथा 15-4-1983 तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अब जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। उस पर विचारोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायगी ?

श्री राम जनम सिंह, जिला मन्त्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ के पत्र में लिखित शिकायतों का निस्तारण

114--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न 12 शिकायतों के सन्दर्भ में अलग-अलग क्या निर्णय लिये गये तथा शेष आठ प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर में प्राइमरी पाठशालाओं के स्थानान्तरण पर विचार

115--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में 118 प्राइमरी पाठशाला बालक एवं बालिकाओं के ऐसे भी हैं जो एक ही गांव में चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उन प्राइमरी पाठशालाओं को एक वहां छोड़ कर दूसरे को अन्यत्र गांव में, जहां पाठशाला नहीं है, स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर सेन--

जी नहीं।

56 गांव ऐसे हैं जिनमें से प्रत्यक में दो प्राइमरी पाठशालायें हैं। इनमें से एक-एक पाठशाला अन्य गांवों में जहां प्राइमरी पाठशाला नहीं है, स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बस्ती जनपद के जोगिया गांव में जूनियर हाई स्कूल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार

116--श्रीमती कमला साहनी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड जोगिया के जोगिया गांव में स्थित जूनियर हाई स्कूल कितने वर्षों से निष्क्रिय है और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय को विकास खण्ड के किसी अन्य गांव में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर सेन--

छात्र संख्या नगण्य हो जाने के कारण प्रश्नगत जूनियर हाई स्कूल लगभग 12 वर्षों से निष्क्रिय है। एक

अध्यापक के वेतन का भुगतान हो रहा है जिससे अध्यापन कार्य निकटस्थ विद्यालय में कराया जा रहा है। विद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के विषय पर विचार किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का औचित्य

117—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने अध्यापक क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं ? अध्यापकों का उक्त क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर सेन—

प्रदेश के 56 जनपदों में से 50 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 14 जनपदों में 46 अध्यापक क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं। शेष 6 जनपदों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। उक्त अध्यापकों का क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का औचित्य क्या है इसका परीक्षण कराने में पर्याप्त समय लगेगा।

देशराज नारंग दयानन्द इण्टर कालेज, गोविन्दनगर, वाल्टरगंज, बस्ती के कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की कटौती

118—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देशराज नारंग दयानन्द इण्टर कालेज, गोविन्दनगर, वाल्टरगंज, बस्ती के कर्मचारियों का भविष्य निधि प्रत्येक माह के वेतन से कटकर जमा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल, बरवां, ब्लाक भदोही, वाराणसी की टूटी इमारत का पुनर्निर्माण

119—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जू0 हाई0 स्कूल, बरवां, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की इमारत गिर गई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरसेन—

जी हां।

जांच करा ली गयी है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, वाराणसी द्वारा विद्यालय भवन का आगणन तैयार कराया जा रहा है।

मोहनलाल जूनियर हाई स्कूल (नगर क्षेत्र), हरदोई के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का प्रशिक्षित वेतनक्रम में निर्धारण

120—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहनलाल जूनियर हाई स्कूल (नगर क्षेत्र), हरदोई के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का जुलाई, 1979 से सहायक अध्यापक के पद पर नवीन वेतनमान इण्टर प्रशिक्षित वेतनक्रम में निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनका वेतन निर्धारण अब तक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

प्रश्नगत जूनियर हाई स्कूल के श्री भगवन दयाल शर्मा, प्रधानाध्यापक का वेतन सहायक अध्यापक के पद पर इन्टर प्रशिक्षित वेतनक्रम में निर्धारित करके वित्त परामर्शदाता को जांच हेतु भेजा

गया है । वित्त परामर्श दाता की सहमति प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी । शेष अध्यापकों का वेतन नवीन वेतनमान में निर्धारित किया जा चुका है ।

राजकीय आदर्श इन्टर कालेज, अफजलगढ़, जिला बिजनौर के सहायक अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

121--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आदर्श इन्टर कालेज, अफजलगढ़, जिला बिजनौर के सहायक अध्यापक (1) विजयनाथ, (2) विजय नारायण श्रीवास्तव, नैत्यिक लिपिक गोविन्द सिंह, (3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओम प्रकाश व महबूब पूसी का 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक के वेतन का किस तिथि को भुगतान किया गया ? यदि नहीं किया गया है तो कब तक करा दिया जायगा तथा विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री वीरसेन--

विद्यालय के सम्बन्धित पदों के सततीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति शासन के विचाराधीन होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका । अब सततीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही भुगतान हो जायेगा ।

राजकीय आदर्श इन्टर कालेज, अफजलगढ़, जिला बिजनौर में मुख्य लिपिक का रिक्त पद

122--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श इण्टर कालेज, अफजलगढ़, जिला बिजनौर में मुख्य लिपिक का पद 1 जुलाई, सन् 1981 से रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर किसी को नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीरसेन--

जुलाई, 1981 से 13-2-84 के मध्य प्रधान लिपिक के पद पर विद्यालय के ही वरिष्ठतम लिपिक से आन्तरिक व्यवस्था के रूप में कार्य लिया जा रहा है । दिनांक 14-2-84 से पदोन्नति द्वारा पद भरा जा चुका है ।

जनपद वाराणसी में प्रा0 पाठशाला, आनन्द नगर (वाड़ा कोट) के भवन का अवरुद्ध निर्माण कार्य

123--श्री बनवारी राम--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी में नगर पालिका भदोही के प्रा0 पाठशाला, आनन्द नगर (वाड़ा कोट) के भवन का निर्माण कार्य धन के अभाव में रुक गया है ? यदि हां, तो उसे और धन देकर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरसेन--

जी हां ।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । निर्माण की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

जनपद वाराणसी में प्रा0 स्कूल, जूनियर स्कूल व हाई स्कूल खोलने की कथित स्वीकृति

124--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में वाराणसी जनपद में कितने प्रा0 स्कूल, जू0 स्कूल व हाई स्कूल छात्राओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं ? क्या स्थान पिंडरा, जिला

वाराणसी में कन्या हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति दे दी गयी है ?

श्री वीरसेन—

प्रश्नगत वर्ष में छात्राओं के लिए अलग से कोई प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत नहीं किया गया । कोई राजकीय हाई स्कूल नहीं खोला गया ।

जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान

125—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अगस्त, 1972 से लागू वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण पुनरीक्षित वेतनमान के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री वीरसेन—

आजम गढ़जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जिनके वेतनमान का पुनरीक्षित अगस्त, 1972 से किया गया था, अवशेष का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के प्रधानाध्यापक को वेतनावली जमा करने के निर्देश, एवं श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका द्वारा लिया गया चिकित्सा अवकाश तथा उस पर निर्णय

126—श्री हरिवंश सहाय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के निदेशानुसार प्रधानाध्यापक को वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर यानी कि दिनांक 13–11–1979 तक कार्यालय में जमा कर देनी चाहिए थी ? यदि हां, तो वेतनावली दिनांक 22–11–1979 को कार्यालय में जमा करने का क्या औचित्य था, क्या उपरोक्त कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिकारी के निदेशानुसार है ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रहा है ।

127—श्री हरिवंश सहाय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के अतारांतिक प्रश्न संख्या–85 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका को अगस्त, 1979 का वेतन श्री सतीश कुमार, सहायक अध्यापक द्वारा प्राप्त करा दिया गया है, इसका कोई प्रमाण कार्यालय में है ? यदि हां, तो क्या ।

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

128—श्री हरिवंश सहाय—

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के आठवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर के क्रम में

शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्णित विद्यालय का वातावरण दूषित होने एवं अध्यापकों के मध्य विवाद एवं आपस में तालमेल न होने की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी को किस माध्यम से और कब प्राप्त हुई तथा इसकी पुष्टि हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में वातावरण दूषित होने के क्या-क्या कारण बताये गये तथा उन बताये गये कारणों को दूर करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

129--श्री हरिवंश सहाय--

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के आठवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को वेतन वितरित कर वेतन वली जमा करने के निर्देश लिखित दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह निर्देश केवल माह अक्तूबर के वेतन के लिए ही दिए थे ? यदि नहीं, तो माह नवम्बर का भी वेतन पूर्व की भांति ही निदेशों के साथ क्यों नहीं दिया गया ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

130--श्री हरिवंश सहाय--

विधान सभा के 1983 के प्रथम सत्र के आठवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वेतन वितरित कर वेतन वली एक सप्ताह के अन्दर उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने के निदेशों के अनुपालन में प्रधानाध्यापक ने वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर जमा कर दी ? यदि नहीं, तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध निदेशों की अवहेलना के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सम्बन्धित अध्यापिका के अवकाश पर निर्णय दिनांक 21-11-1979 को हो जाने के बाद ठीक दूसरे दिन 22-11-1979 को वेतन बैंक में जमा करना क्या विद्यालय का वातावरण दूषित होना सिद्ध होता है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

131--श्री हरिवंश सहाय--

विधान सभा 1984 के प्रथम सत्र के आठवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्बन्धित अध्यापिका के चिकित्सा अवकाश पर दिनांक 22-11-1979 के पूर्व दिनांक 21-11-1979 को ही निर्णय नहीं हो चुका था अर्थात् अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ था, यदि अवकाश स्वीकृत हो चुका था तो और क्या निर्णय होना शेष था ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर क्षेत्र बिसवां, सीतापुर के अध्यापकों के ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

132--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 नवम्बर, 1983 को नगर क्षेत्र बिसवां, सीतापुर के अध्यापकों का एक शिष्ट मण्डल बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को मिला और उसने अपना कोई ज्ञापन दिया ? क्या यह सत्य है कि लोक सभा निर्वाचन 1980 तथा विधान सभा निर्वाचन 1980 तथा अप्रैल, 1982 का पंचायत निर्वाचन का यात्रा-भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार उनके मांग-पत्र पर तुरन्त विचार करके उनकी

मांगों को पूरा करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

जी हां ।

जी हां ।

अध्यापकों द्वारा यात्रा भत्ता बिल विलम्ब से प्रस्तुत किया गया । बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में निर्वाचन कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय मान्यता प्राप्त मदरसा अरविया अजीजिया महगांव, परगना चायल, जिला इलाहाबाद के अध्यापकों का वेतन भुगतान

133—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि राजकीय मान्यता प्राप्त मदरसा अरविया अजीजिया महगांव, परगना चायल, जिला इलाहाबाद के अध्यापकों का वेतन भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मदरसा के अध्यापकों का वेतन भुगतान कब तक बैंक द्वारा किया जायगा ?

श्री वीरसेन—

जी नहीं ।

ऐसा कोई नियम अथवा शासनादेश नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव बालक राम, भूतपूर्व हेड मास्टर, जूनियर हाई स्कूल सिमौनी के प्राविडेन्ट फण्ड का बकाया भुगतान

134—प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के श्री शिव बालक राम, भूतपूर्व हेड मास्टर, जूनियर हाई स्कूल सिमौनी, तहसील बबेरू का प्राविडेन्ट फण्ड भुगतान सन् 1972 से अब तक न किए जाने का कारण क्या है ? क्या उक्त अध्यापक को जून, 1984 तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व0 श्री महावीर सिंह गुसाईं की विधवा श्रीमती शिवदेई देवी की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति न किये जाने का कारण

135—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के आधारिक विद्यालय बहेड़ाखाल के प्रभारी प्रधानाध्यापक स्व0 श्री महाबीर सिंह गुसाईं की मृत्यु के बाद उनकी विधवा श्रीमती शिवदेई देवी को चतुर्थ श्रेणी के पद पर अभी तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो स्व0 श्री महावीर सिंह गोसाईं की मृत्यु के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब तक कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है और श्रीमती शिवदेई देवी की नियुक्ति न किए जाने के कारण क्या है तथा कब तक इनकी नियुक्ति की जाने की सम्भावना है ?

श्री वीरसेन—

जी हां ।

स्व0 श्री महाबीर सिंह गुसाईं की मृत्यु 1973 में हुई थी । बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार सेवा में लिए जाने की सुविधा बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेश दिनांक 24

अगस्त, 1981 द्वारा वर्ष 1981 से अनुमन्य की गयी है। उक्त आदेश के उपरान्त तीन मृतक आश्रितों की नियुक्ति की गयी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय जनपद पौड़ी गढ़वाल में जूनियर हाईस्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त नहीं हैं। स्व0 श्री महावीर सिंह गुसाईं की विधवा को उक्त आदेशों के अनुसार मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दी गयी सुविधा के अन्तर्गत नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के शिक्षा विभाग के चपरासी स्व0 श्री दलीप सिंह भंडारी को रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी का बकाया भुगतान

136--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के शिक्षा विभाग के चपरासी स्व0 श्री दलीप सिंह भंडारी को रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की ग्रान्ट का भुगतान स्व0 दलीप सिंह भंडारी की विधवा श्रीमती पीताम्बरी देवी, ग्राम बिचली राई, पौड़ी गढ़वाल को किए जाने के सम्बन्ध में उच्च विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी के पत्रांक 2737/21-5, दिनांक 3-3-78 के क्रम में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और श्रीमती पीताम्बरी देवी को कब तक अवशेष देयकों का भुगतान किया जाना सम्भव होगा तथा अब तक भुगतान न होने के प्रति कौन उत्तरदायी है।

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र खिर्सू के अन्तर्गत डूंगर में प्राइमरी स्कूल संचालित करने की स्वीकृति

137--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र खिर्सू के अन्तर्गत डूंगर में प्राइमरी स्कूल को स्वीकृति शिक्षा समिति द्वारा कब दी गयी थी और क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा समिति के निर्णयों के विपरीत डुंगरा के लिए स्वीकृति स्कूल की स्थापना ग्राम आरस्यूं में की गयी? यदि हां, तो क्यों? शिक्षा समिति के निर्णय के विपरीत स्कूल की स्थापना करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीरसेन--

जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 19-2-83 द्वारा डुंगरा में प्राइमरी स्कूल संचालित करने की स्वीकृति दी गई थी। किन्तु बाद में स्कूल ग्राम आरस्यूं में संचालित किया गया। अब यह स्कूल ग्राम डुंगरा में ही संचालित हो रहा है। बीच में किन कारणों से यह स्कूल ग्राम आरस्यूं में संचालित किया गया इसकी जांच कराई जा रही है और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद में उप विद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं के स्वीकृत पद

138--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् में 31-1-84 को प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और इन स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं तथा शेष पदों पर नियुक्तियां न किए जाने के कारण क्या हैं और कब तक इन पदों पर नियुक्तियां किये जाने की सम्भावना है?

श्री वीरसेन--

दिनांक 31-1-84 को जनपद पौड़ी गढ़वाल के लिये प्रति उप विद्यालय

निरीक्षकों के 31 पद तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के 5 पद स्वीकृत हैं ।

उक्त स्वीकृत पदों पर दिनांक 31-1-84, को 17 प्रतिशत उप विद्यालय निरीक्षक तथा 5 सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें कार्यरत हैं ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के 14 रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने पर तथा सी0 टी0 वेतन क्रम में कार्यरत प्रसर अध्यापकों तथा शिल्प शिक्षकों को संवर्गानुसार प्रोन्नति देकर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी ।

बृजराज आदर्श इन्टर कालेज, चौखडा, मिर्जापुर में अध्यापकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

139--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 27-1-84 को बृजराज आदर्श इन्टर कालेज, चौखडा मिर्जापुर में नव नियुक्त अध्यापकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में उन्हें मिला था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम से प्रवक्ता वेतनक्रम में पदोन्नति

140--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सी0 टी0 वेतन से पदोन्नत प्रवक्ता वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों का लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अनुमोदन के अभाव में उक्त शिक्षकों की प्रवक्ता वेतनक्रम में प्रोन्नति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त शिक्षकों के अनुमोदन प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन--

सी0 टी0 वेतनक्रम से प्रवक्ता वेतनक्रम में पदोन्नति देने का कोई नियम नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जे0 टी0 सी0 एवं सी0 टी0 ग्रेड में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थायी किये जाने की मांग

141--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जे0 टी0 सी0 एवं सी0 टी0 ग्रेड में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकाएं पन्द्रह वर्षों से सेवारत रहने के बाद भी अस्थायी हैं ? यदि हां, तो उनको स्थायी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर सेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में गैर सरकारी सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालय के शिक्षकों को अवशेष धन का भुगतान

142—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने ऐसे गैर सरकारी सहायता प्राप्त उ0मा0 विद्यालय हैं, जिनके शिक्षकों को द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप होने वाले निर्धारण के बाद भी अवशेष धन का भुगतान नहीं किया गया है ? अवशेष धनराशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा शासन द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर सेन—

आजमगढ़ जनपद में ऐसे 128 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जिनके शिक्षकों के अवशेष का भुगतान होना है । इनमें से 112 विद्यालयों को भुगतान हेतु अनुदान दिया जा चुका है । शेष 16 विद्यालयों में से 8 विद्यालयों के अनुदान देयक प्रस्तुत न किये जाने, 4 विद्यालयों के पत्रजात प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका । 4 विद्यालयों के प्रकरणों पर निदेशालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है । विद्यालयों द्वारा पूरे पत्रजात उपलब्ध कराये जाने पर ही भुगतान सम्भव होगा ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्र नगर) के कार्यालय में अध्यापकों के अवकाश प्रकरण के पेंडिंग मामले

143—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्र नगर) के कार्यालय में कितने अध्यापकों के अवकाश प्रकरण कई वर्षों से पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो इस विषय में विलम्ब का क्या कारण है और उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर सेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के विभिन्न गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों में तदर्थ रूप से प्रोन्नत शिक्षकों की सेवायें नियमित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

144—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 से 1983 तक प्रदेश के विभिन्न गर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों में कितने तदर्थ रूप से प्रोन्नत तथा कितने तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षक कार्यरत हैं ?

श्री वीर सेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

145—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि ऐसे तदर्थ शिक्षकों की सेवायें पूर्व की भांति नियमित की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों की भांति इनकी सेवायें नियमित न करने के क्या कारण हैं तथा इस भेदभाव पूर्ण नीति का क्या कारण है ?

श्री वीर सेन—

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के तदर्थ शिक्षकों की सेवायें नियमित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

प्रतापगढ़ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का मांग-पत्र और उस पर हुये समझौते का विवरण

146--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों के 18 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिनांक 1-1-84 को एक समझौता प्रारम्भिक शिक्षक प्रतिनिधियों से किया था ? यदि हां, तो मांग-पत्र तथा समझौते का विवरण क्या है ?

श्री वीर सेन--

जी हां ।

प्राथमिक शिक्षकों का मांग-पत्र और उस पर हुए समझौते का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 150 पर ।)

147--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि समझौते का कार्यान्वयन न होने के कारण शिक्षक पुनः आन्दोलन की नोटिस दे चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार समझौते को कार्यान्वित कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर सेन--

जी हां ।

अध्यापकों ने दिनांक 17-2-84 से पुनः आन्दोलन की नोटिस दी थी । मांगों पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने के आश्वासन के बाद आन्दोलन समाप्त कर दिया था । समझौते को कार्यान्वित कराने की कार्यवाही की जा रही है और जो कार्य अपूर्ण है उन्हें नियमानुसार पूर्ण कराया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ में गर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पी0 एफ0 को जी0पी0 एफ0 में स्थानान्तरण तथा सी0डी0 एस0 की किस्तों के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

148--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कौन से ऐसे गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें अभी तक पी0 एफ0 को जी0पी0 एफ0 में स्थानान्तरित नहीं किया गया है ? स्थानान्तरण न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

149--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने ऐसे गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके अध्यापकों को अभी तक सी0डी0 एस0 की किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है ? शासन द्वारा भुगतान कराये जाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में बेसिक प्राइमरी स्कूल व उनके भवन

150--श्री सन्तबख्श रावत--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में कितने बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं ? उसमें कितने निजी तथा कितने किराये के भवन में हैं ?

श्री वीरसेन--

जनपद सुल्तानपुर में कुल 1546 बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें से 1121 विद्यालयों के निजी भवन हैं तथा 15 विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं । शेष भवनहीन हैं ।

बस्ती जिले के रिटायर अध्यापकों की पेंशन नौगढ़ तहसील से देने की मांग पर विचार

151--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के जिला परिषद के रिटायर अध्यापक जो कि नौगढ़ तहसील के निवासी हैं उनको पेंशन का धन बस्ती जिले के हेड क्वार्टर से मिलता है जिसके कारण उनका पेंशन का 3/4 धन आने जाने के किराये में खर्च हो जाता है ? क्या सरकार ऐसे रिटायर अध्यापकों की पेंशन बस्ती में न देकर नौगढ़ तहसील से देने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर सेन--

जी हां ।

किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि आने जाने में पेन्शन की धनराशि का कितना भाग पेन्शन प्राप्त करने में व्यय हो जाता है ।

सेवा निवृत्त परिषदीय अध्यापकों के वेतन का निकटतम कोषागार उप-कोषागार द्वारा भुगतान किय जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

राजकीय बालिका इंटर कालेज, जलेसर, एटा में रेगुलर प्रधानाचार्य नियुक्त करने की मांग

2--श्री राम सिंह रावल--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय बालिका इंटर कालेज, जलेसर, एटा में जो कार्यवाहक प्रधानाचार्या कार्यरत हैं, की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम में की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विद्यालय में रेगुलर प्रधानाचार्या नियुक्त करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अलख नारायण सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला अमवां, विकास खंड, भदोही के स्थानान्तरण पर विचार

153--श्री बनवारी राम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के श्री शिव कंडे सिंह, थाना चौरी के गिरोहबन्द डकैत को संरक्षण देने वाले श्री अलख नारायण सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, अमवां खंड भदोही के स्थानानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का एक आवेदन-पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1984 का शिक्षा मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त व्यक्ति का स्थानान्तरण कहां किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर सेन--

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी से प्राप्त सूचनानुसार आवेदन पत्र के अभाव में श्री अलख नारायण सिंह, सहायक अध्यापक के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता । माननीय विधायक के उनके आवेदन-पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1984 की प्रतिलिपि मांगी गयी है । जिसके प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

जनपद गाजियाबाद के बिसरख तथा दादरी विकास खंडों के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी

154--श्री विजय पाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के बिसरख तथा दादरी विकास खंडों के प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूलों में मानक के आधार से कितने अध्यापकों की कमी है ? सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री वीर सेन--

40:1 के अनुपात के आधार पर विकास खंड दादरी एवं बिसरख के प्राइमरी पाठशालाओं में क्रमशः 42 तथा 45 तथा जूनियर हाई स्कूलों में क्रमशः 4 तथा 8 अध्यापकों की कमी है । संसाधन उपलब्ध होने पर ही पदों की कमी को दूर करने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी ।

आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, कालपी, जनपद जलौन के अध्यापकों के अनिवार्य जमा योजना के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

155--श्री शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज कालपी, जनपद जालौन के प्रबन्धक और प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक को 1983 व 84 में पत्र लिख कर यह मांग की कि कालेज की निलम्बित प्रधानाचार्या द्वारा गायब किए गये रिकार्ड के वेतन बिलों को अपने कार्यालय से प्रतिलिपियां करा दें जिससे अध्यापकों का सी0 डी0 एस0 (अनिवार्य जमा योजना) का भुगतान किया जा सके ? वेतन बिलों की प्रतिलिपियां, देने में जिला विद्यालय निरीक्षक को क्या आपत्ति है ?

श्री वीरसेन--

जी हां, वेतन बिलों की प्रतिलिपियां देने में कोई आपत्ति नहीं है, तथा सी0 डी0 एस0 के भुगतान हेतु समस्त पत्र जात तैयार कराकर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 27-2-84 को प्रोविडेन्ट कमिश्नर, कानपुर को भुगतान हेतु भेजे जा चुके हैं ।

के0 के0 इन्टर कालेज, हरहुआ, जिला वाराणसी के श्री शिवरतन सिंह प्रवक्ता की मृत्यु तथा उनके पुत्र श्री सूर्यबली को नियुक्त किये जाने की मांग

156--श्री ऊबल--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि के0 के0 इन्टर कालेज, हरहुआ, जिला, वाराणसी के श्री शिवरतन सिंह प्रवक्ता की मृत्यु कालेज के सामने जनवरी, 83 में बस एक्सीडेंट में हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कालेज में क्लर्क के पद पर उनके पुत्र श्री सूर्यबली को नियुक्त किया गया ? क्या सूर्यबली ने जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को जनवरी, 1983 में ही प्रार्थना-पत्र मय सर्टिफिकेट के दे दिया था ? क्या सरकार राजाज्ञा के मुताबिक उप निदेशक शिक्षा, वाराणसी मण्डल व जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को उसे तुरन्त नियुक्त करने का आदेश देने की कृपा करेंगी ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के जमा जी0 पी0 एफ0 की जांच

157--श्री ऊदल--

प्रथम सत्र 83 के 5वें सोम0 के अता0 प्र0 सं0 40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग में जो0 पी0 एफ0 दस फीसदी था ? वह पास बुक नं0 15053 जिला परिषद्, वाराणसी के नाम जो0 पी0 एफ0 हैंड 838 में कचहरी पोस्ट आफिस में जमा होता है ? यदि हां, तो इस मद को जांच न कराने का औचित्य क्या है । क्या यह भी सही है कि सैकड़ों अध्यापकों का सन् 62 से लेकर सन् 77 तक का रुपया जमा ही नहीं किया गया है जबकि मूल वेतन से काटा गया है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है । प्रश्न में उल्लिखित मामलों में बेसिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 के लेखाधिकारी को जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

158--श्री ऊदल--

प्रथम सत्र 83 के पांचवें सोम0 के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 पी0 एफ0 के मद में आधा अध्यापकों का तथा आधा अंशदान बेसिक शिक्षा परिषद् का होता है जिसका वाराणसी बेसिक का हेड 077 है ? क्या यह सही है कि नया पेंशन आदेश लागू होने से अंशदान खत्म कर दिया गया है ? यदि हां, तो 30 जून 1977 के पूर्व का कटा हुआ अंशदान तथा आधा अध्यापकों का कितना रुपया होता है वह कहां है ? क्या सरकार जी0 पी0 एफ हेड 838 पास बुक संख्या 15053 तथा अंशदान हेड 077 की पूरी जांच करा कर पूर्ण ब्योरा मय रुपए के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है । प्रश्न में उल्लिखित मामलों में बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के लेखाधिकारी को जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्राइमरी स्कूल रिहन्द रेणुकूट, जिला मिर्जापुर की 5वीं कक्षा का इम्तहान कराये जाने का आदेश

159--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्राइमरी स्कूल रिहन्द रेणुकूट, जिला मिर्जापुर सन् 1957 से चल रहा है और इस स्कूल की 5वीं कक्षा का इम्तहान हमेशा बेसिक शिक्षा विभाग करता रहा है ? क्या यह सत्य है कि सन् 83 की कक्षा 5 की परीक्षा नहीं करायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

जी हां । जी नहीं सन् 83 की परीक्षा करायी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता

160--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कूल में 5वीं कक्षा का इम्तहान कराने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर ने आदेश भी दिया था ? यदि हां, तो एस0 डी0 आई0 म्योरपुर (श्री राम सरोज मिश्र) ने परीक्षा क्यों नहीं करवायी ?

श्री वीरसेन--

जी हां ।

ब्लाक बड़ागांव तथा चोलापुर में कमला बालिका विद्यालय में अध्यापिकाओं का संख्या बढ़ाने पर विचार

161--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कमला बालिका विद्यालय, बसनी, वाराणसी पिडरा, बड़ागांव, हरहुआ, चोलापुर, ब्लाक वाराणसी में छात्राओं के लिए शिक्षा देने की सिर्फ एक संस्था

है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्राओं के लिए हास्टल एवं यातायात के लिए धन की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरसेन--

जी नहीं । बड़ागांव ब्लाक में इस विद्यालय को लेकर दो तथा चोलापुर ब्लाक में एक बालिका विद्यालय है । प्राइवेट विद्यालयों में छात्रावास के लिये एवं छात्राओं के लिए यातायात के लिए कोई प्राविधान नहीं है ।

162--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतने की कृपा करेंगे कि छात्राओं की संख्या को देखते हुए कमला बालिका विद्यालय, बसनी, वाराणसी में अध्यापिकाएं कम हैं ? यदि हां, तो क्या लड़कियों की शिक्षा प्रसार को देखते हुए अध्यापिकाओं की तादाद बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री वीरसेन--

जी हां । प्रबन्धक द्वारा पद की मांगें की गई हैं । जिस पर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नियमानुसार विचार करके कार्यवाही की जायेगी ।

स्व0 श्री सुक्खन राम के पुत्र को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही

163--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल मंगारी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में सुक्खन राम, गांव बैकुंठपुर, पो0 मंगारी, जिला वाराणसी सहचर के पद पर कार्य कर रहा था और उसकी मृत्यु कार्य करते हुए 20-9-82 को हो गई ? यदि हां, तो क्या स्व0 सुक्खन राम के लड़के शर्मानन्द ने दिसम्बर, 1982 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी मन्डल तथा निदेशक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो राजाज्ञा के मुताबिक ड्यूटी करते वक्त मरने वाले कर्मचारी के वारिस को उसकी योग्यतानुसार अब तक कार्य न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसे सहचर पर नियुक्त करने की आज्ञा देने की कृपा करेगी ?

श्री वीरसेन--

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार स्व0 श्री सुक्खन राम के लड़के के आवेदन-पत्र पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा है और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को ज्येष्ठताक्रम में अवसर आने पर नियुक्ति दे दी जायेगी ।

राजकीय कालेज, गोंडा में कार्यरत अध्यापिकाओं एवं प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण किये जाने के आदेश

164--श्री अकबाल हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध राजकीय कालेज, गोंडा में 15 वर्षों से अधिक अवधि से अध्यापिकाएं एवं प्रवक्ताएं कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कैसे ? उनका स्थानान्तरण कब तक किया जायगा ?

श्री वीरसेन--

जी हां ।

प्रशासनिक एवं व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। शासन की नीति के अनुसार स्थानान्तरण किए जाने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिए गये हैं ।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किये जाने की कथित कार्यवाही

165—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बीस हजार तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने का कोई आश्वासन उत्तर प्रदेश माध्यमिक अध्यापक मंच को फैजाबाद में 4-12-83 को दिया था ? यदि हां, तो क्या उसके आदेश निर्गत कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

शिक्षा विभाग को मुख्य मंत्री जी द्वारा दिए गये कथित आश्वासन की जानकारी नहीं है । विभाग द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री बद्रीधर द्विवेदी, प्रधान लिपिक, बेसिक शिक्षा परिषद बस्ती कार्यालय को निलम्बन भत्ता न दिये जाने का कारण

166—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बद्रीधर द्विवेदी, प्रधान लिपिक, बेसिक शिक्षा परिषद् बस्ती कार्यालय, विद्यालय उप-निरीक्षक, बस्ती को शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश ने दिनांक 28-4-73 को निलम्बित किया था ? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने श्री द्विवेदी को निर्दोष घोषित करके इनको सी० आई० डी० द्वारा लगाये गये सभी आरोपों से दिनांक 21-9-81 को बरी कर दिया ? यदि हां, तो उनको बहाल किए जाने और पिछले दस वर्षों में निलम्बन भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में विलम्ब करने वाले उत्तरदायी अधिकारी तथा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा श्री द्विवेदी को दिनांक 28-4-73 को निलम्बित किया गया था ?

जी हां ।

श्री द्विवेदी ने अपनी जन्म तिथि तथा स्वयं के बेसिक शिक्षा परिषद् का कर्मचारी न होने के सम्बन्ध मे सिविल जज, बस्ती के न्यायालय में वाद संख्या 101/74, दिनांक 4-12-74 दायर किया था जो स्थानान्तरित होकर लोक सेवा अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत हुआ । अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 31-12-79 के अनुसार श्री द्विवेदी को बेसिक एजूकेशन ऐक्ट, 1972 की धारा 9 (2) के अन्तर्गत जिला परिषद् का कर्मचारी घोषित किया और इन्हें बेसिक शिक्षा परिषद का कर्मचारी नहीं माना । इस प्रकार लोक सेवा अधिकरण के निर्णयानुसार श्री द्विवेदी बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारी नहीं रहे । अतः बेसिक शिक्षा परिषद की निधि से उन्हें

निलम्बन भत्ता दिये जावे अथवा शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

नरेन्द्र महिला कालेज टिहरी गढ़वाल की अध्यापिका श्रीमती प्रेमवती नौटियाल को वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

167—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र महिला कालेज, टिहरी गढ़वाल की अध्यापिका श्रीमती प्रेमवती नौटियाल की सेवाएं जो प्रबन्ध समिति ने समाप्त कर दी थी, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा अमान्य किये जाने पर भी किन कारणों से अभी तक सेवा में वापस नहीं लिया गया है और शिक्षा विभाग विद्यालय के अनुदान से क्यों इस अध्यापिका को वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती सुशीला चन्द्र, प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय, बहराइच की अवशेष वेतन धनराशि का भुगतान

168—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती सुशीला चन्द्र, प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय, बहराइच का वेतन एवं अन्य भत्ते मिलाकर वर्ष 1970 से अब तक कितना रुपया (धनराशि) सरकार पर बकाया है ? इसके लिए बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी इस धनराशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया जब कि श्रीमती सुशीला चन्द्र को सेवा मुक्त होने में केवल दो ही वर्ष शेष हैं ? श्रीमती सुशीला का अवशेष वेतन धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायगा ? अब तक श्रीमती सुशीला चन्द्र को वेतन न भुगतान होने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों द्वारा वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु चलाया गया आन्दोलन

169—श्री भोलालाल—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकगण परिषद् कार्यालय द्वारा पैदा की गयी वेतन विसंगतियों से परेशान होकर पिछले 6 महीने से निरन्तर आन्दोलन चला रहे हैं ? यदि हां, तो इनके निराकरण के लिए क्या उपाय

किये गये ? क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय के दो लिपिकों का स्थानान्तरण अन्य जिले को हो गया है, लेकिन उनको अभी तक कार्य मुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी से प्राप्त सूचनानुसार जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों द्वारा वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु आन्दोलन चलाया गया था जो बाद में समाप्त कर दिया गया। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए योजनाबद्ध कार्य चल रहा है। जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के जिन दो लिपिकों का स्थानान्तरण हुआ था उन्हें उप विद्यालय निरीक्षक के आदेश सं0 2/83-84, दिनांक 11-10-83 के द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड व पदोन्नति किये जाने की मांग

170—श्री शेर बहादुर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोलह वर्ष पूर्व से निरन्तर कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक जो सर्विस काल में ही ट्रेनिंग पाए हैं, को आज तक न तो सेलेक्शन ग्रेड में लिया गया न उनकी पदोन्नति ही हुई ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति कब तक की जायगी ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना एकत्र होने में अभी कुछ समय लगने की सम्भावना है क्योंकि यह सूचना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत प्राथमिक दीक्षित शिक्षकों के वेतन में अन्तर का औचित्य

171—श्री राज कुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत प्राथमिक दीक्षित शिक्षक जो वर्ष 1974 में नियुक्त हुये हैं, वर्ष 1971 के नियुक्त दीक्षित शिक्षकों से अधिक वेतन पा रहे हैं ? यदि हां, तो समान योग्यता रखने वाले दीक्षित वरिष्ठ शिक्षकों को कम वेतन देने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर सेन—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त सूचनानुसार जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1974 में नियुक्त शिक्षकों को वर्ष 1971 में नियुक्त शिक्षकों से अधिक वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह बताया गया है कि वर्ष 1971 से 1974 तक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अपेक्षित वेतन-क्रम में हुई और उन्हें 1975 से प्रशिक्षित वेतन-क्रम दिया गया तथा समान स्तर पर उनके वेतन निर्धारण किये गये।

किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती के कर्मचारियों के सी0 डी0 एस0 की कटौती के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

172—श्री मसरूर जाफरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती के कर्मचारियों का

सी० डी० एस० अनिवार्य जमा योजना का 1974 से 1980 तक कुल कितना धन कर्मचारियों के वेतन से काटा गया तथा कितना धन अक्तूबर, 1983 तक कर्मचारियों को भुगतान किया तथा कितना शेष है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर सेन—

प्रश्नगत विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन से सी० डी० एस० की कटौती वर्ष 1974 से 1980 तक नहीं बल्कि जनवरी, 1976 से अप्रैल, 1977 तक की गयी है। कटौती की कुल धनराशि 10,043 रु० है जिसके भुगतान के लिए समस्त पत्रजात रीजनल प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर, कानपुर को भेज दिये गये हैं किन्तु अभी तक उनसे बैंक ड्राफ्ट प्राप्त न होने के कारण उसका भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके लिये किसी विभागीय अधिकारी को उत्तरदायी ठहराने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

जनपद हरदोई में जनता उ० मा० विद्यालय, पुरसौली में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में कथित कटौती

173—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में जनता उ० मा० विद्यालय, पुरसौली में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा दिये जाने वाले वेतन का भुगतान भारी कटौती के बाद किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य की जांच कराकर प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर सेन—

नहीं।

जांच करा ली गयी है। कोई प्रमाण नहीं मिला, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरीराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध की गयी शिकायत पर कृत कार्यवाही

174—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि श्री हरी राम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा उक्त विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में शिकायत करने के कारण वर्ष 1983 के प्रारम्भ में ही सेवामुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करा कर कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर सेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के आई० आर० इन्टर कालेज, सडीला में अध्यापकों की अवैधानिक पदोन्नति किये जाने की शिकायत

175—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के आई० आर० इन्टर कालेज, संडीला में वर्ष 1983 के दौरान सी० टी० ग्रेड के तीन अध्यापकों की पदोन्नति एल० टी० ग्रेड में की गयी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के कुछ भूतपूर्व छात्रों द्वारा इन पदोन्नतियों को अवैधानिक बताते हुए कोई शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई को की गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर सेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के जूनियर विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद

176—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के जूनियर विद्यालयों में कितने प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करेगी ?

श्री वीर सेन—

जनपद जौनपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्रश्नगत विद्यालयों में सृजित सभी पद भरे हुये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के इन्टर कालेजों का नामिका निरीक्षण तथा निरीक्षण आख्या

177—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद जौनपुर के किन-किन इन्टर कालेजों का नामिका निरीक्षण किया गया ? क्या उक्त सभी विद्यालयों को निरीक्षण आख्या प्रेषित कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

सूची संलग्न है ।

केवल राजकीय कन्या इन्टर कालेज, जौनपुर को निरीक्षण आख्या भेजी गई थी शेष विद्यालयों की निरीक्षण आख्या नामिका निरीक्षकों से अप्राप्त होने के कारण नहीं भेजी जा सकी ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 152 पर ।)

जनपद प्रतापगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी नियुक्तियां

178—श्री मोहन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत 77-78 में कितने ऐसे लोग प्राइमरी स्कूल में अध्यापक रखे गये हैं जिनकी नियुक्तियां वर्ष 1972-73 में बी० टी० सी० ट्रेनिंग सैनिक अभ्यर्थी के रूप में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी है ? इस सम्बन्ध में दिनांक 23 अप्रैल, 1973 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक आदि को श्री जगन्नाथ पान्डेय ने अपने शिकायती-पत्र द्वारा सूचित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद, आगरा के प्राइमरी शिक्षकों के प्राविडेंट फण्ड के भुगतान के संबंध में कार्यवाही

179—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद, आगरा के प्राइमरी शिक्षकों का सन् 1960 से प्राविडेंट फन्ड का कितना धन ऐसा है जो अध्यापकों को अभी तक नहीं भुगतान किया गया है ? क्या यह भी सच है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा के कार्यालय में अध्यापकों की पासबुक व लेजर बुक भी उपलब्ध नहीं है ?

श्री वीरसेन—

प्रवीडेंट फन्ड के लेखाओं के अपूर्ण होने के कारण सम्प्रति यह बताना संभव नहीं है कि अध्यापकों के फन्ड का सन 1960 से कुल कितना धन ऐसा है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के फन्ड की धनराशि का भुगतान कार्य प्रगति पर है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा के कार्यालय में लेजर उपलब्ध हैं । पास बुकें पूर्ण संख्या में उपलब्ध नहीं हैं । जिसकी व्यवस्था राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से कराई जा रही है ।

शाहजहांपुर जनपद के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में प्रधाना-ध्यापिका का रिक्त पद

180--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में कितने प्रा0 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रधानाध्यापक 1 जुलाई, 1983 से अब तक नहीं है और क्यों ?

श्री वीरसेन--

दिनांक 1-7-83 को शाहजहांपुर जनपद के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत पदों में से केवल 30 पद रिक्त थे। फरवरी, 1984 तक 17 रिक्त पद भरे जा चुके हैं। शेष 13 रिक्त पदों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री व्यास मिश्र द्वारा परिषदीय कर्मचारियों के वेतन मांगने पर अपशब्दों का प्रयोग

181--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (श्री व्यास मिश्र) ने परिषदीय कर्मचरियों के वेतन मांगने पर दिनांक 4 अप्रैल, 1983 को अपशब्दों का प्रयोग किया था तथा इस पर कर्मचारियों द्वारा शासन से उनके निलम्बन एवं उनके विरुद्ध जांच की मांग की गयी थी और इसके लिए शिक्षा निदेशक ने 1 मास का समय निश्चित किया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीरसेन--

दिनांक 4 अप्रैल, 1983 को कतिपय लिपिक और कर्मचारियों ने उप विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ का घेराव कर रखा था, जिस कारण वे मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं जा सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ (श्री व्यास मिश्र) स्वयं उप विद्यालय निरीक्षक को बैठक में ले जाने हेतु उनके कार्यालय गये, जहां कर्मचारियों मे स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण बना रखी थी। कर्मचारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रति भी वैसा ही व्यवहार किया और उप विद्यालय निरीक्षक को बैठक में नहीं जाने दिया। ऐसी परिस्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ (श्री व्यास मिश्र) ने कर्मचारियों से नहीं, अपितु उप विद्यालय निरीक्षक से कहा कि "ये लोग बड़े बदतमीज हैं।"

जो हां।

जो नहीं।

जांच आख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने परिस्थितिवश "बदतमीज" शब्द का प्रयोग अवश्य किया, किन्तु कर्मचारियों से नहीं, अपितु उप-विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ से कर्मचारियों के सम्बन्ध में ये शब्द कहे।

श्री राधेश्याम, मंत्री, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, उन्नाव का लंबित मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में पत्र

182--श्री भोखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राधेश्याम, मंत्री, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग, उन्नाव का स्मृति-पत्र दिनांक 2-12-83 कर्मचारियों की लम्बित मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उनकी पूर्ति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरसेन--

जी हां। मांगें निम्नवत् हैं--

1—भविष्य निर्वाह निधि की वार्षिक लेखा पर्ची एवं पास बुक पूर्ण कराना ।

2—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाना ।

3—अपूर्ण सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण कराना ।

4—जुलाई तथा दिसम्बर, 1982 के अवशेष का भुगतान किया जाना ।

5—चयन वेतनमान दिया जाना ।

6—जाड़े तथा गर्मी की वर्दी प्रदान कराना ।

उपर्युक्त मांगों में क्रम (3) व (5) पर अंकित मांगों की पूर्ति की जा चुकी है । शेष मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

डाक्टर जी0 नाथ जी दयाल बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव की प्रधानाचार्या के अवकाश प्राप्त करने पर वरीयता क्रम में नियुक्ति न किये जाने के संबंध में कार्यवाही

183—डाक्टर शिव नन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर जी0 नाथ जी दयाल बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव की प्रधानाचार्या के अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त वरीयताक्रम में प्रथम स्थान पर रहने वाली प्रवक्ता को प्रोन्नति न देकर प्रबन्धक मण्डल ने उनसे कनिष्ठ तथा कम अनुभवी अध्यापिका को वह स्थान दे दिया ? इसके क्या कारण हैं एवं शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की पदोन्नति

184—श्री अबुल कलाम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की पदोन्नति माह सितम्बर से नवम्बर तक सन् 1983 में की गयी है ? क्या यह सही है कि प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के उर्दू अध्यापकों को इससे वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है-। सूचना एकत्र होने में अभी कुछ समय लगने की संभावना है क्योंकि यह सूचना प्रदेश के सभी जनपदों से सम्बन्धित है ।

जनपद शाहजहांपुर के जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू अध्यापक

185—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में जूनियर हाई स्कूल में कितने उर्दू अध्यापक हैं ? किन-किन स्थानों पर हैं, जिन स्थानों पर उर्दू अध्यापक नहीं हैं उसका कारण क्या है ?

श्री वीरसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर0 आई0 जी0 एस0, गोरखपुर के विरुद्ध श्रीमती शैलजा राय का पत्र तथा उस पर जांच

186—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्हें श्रीमती शैलजा राय, निर्मल मेडिकल

स्टोर्स, सूरजपुर, आजमगढ़ का दिनांक 13-10-83 का पत्र प्रश्नकर्ता के संस्तुत पत्र दिनांक 31-10-83 के साथ आर0 आई0 जो0 एस0, गोरखपुर के विरुद्ध मिला था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की और उसमें क्या परिणाम निकले ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हिन्दू कन्या इन्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के लेखों की सम्परीक्षा में आडिट आपत्तियां एवं उनके निवारण हेतु कार्यवाही

187--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतल येंगे कि हिन्दू कन्या इन्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1962 से वर्ष 1982 तक हुए कालेज लेखों की सम्परीक्षा म कितनी आडिट आपत्तियों का निवारण 31-5-83 तक किया गया और कितनी आडिट आपत्तियां शेष हैं ? यदि आडिट आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है तो शिक्षा निदेशक के पत्रांक अ-9623/वा-ग/99-78-79, दिनांक 18-8-78 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री वीरसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

188--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1962 से अब तक की अवशेष आडिट आपत्तियों के निवारणार्थ मैनेजमेंट को अपने स्रोतों से कालेज निधि में कितना धन जमा करना अवश्यक है तथा मैनजमेंट द्वारा आपत्तियों के निस्तारण हेतु नीति स्रोतों से धन जमा न करने के फलस्वरूप क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक निष्कर्ष निकल सकेगा ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ मण्डल में प्रश्न-पत्रों की छपाई पर प्रति छात्र व्यय की गई धनराशि

189--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ मण्डल में प्रश्न-पत्रों की छपाई में प्रति छात्र अलग-अलग क्या धनराशि व्यय की गई है ? क्या यह सही है कि प्रति छात्र लखनऊ मण्डल में 5 रुपए से अधिक तथा वाराणसी मण्डल में 2 रुपए से कम व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री वीर सेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनता पार्टी के नेता श्री जार्ज फर्नाण्डीज आदि की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

*मुख्य मन्त्री (श्री नरायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, जो हमारे पुराने सम्मानित सदस्य रियासत हुसैन जी ने और सम्मानित सदस्य गोरखपुर श्री ओझा जी ने जो जानकारी प्राप्त करने को कहा था, तो श्रीमन्, हमारी कभी जानबूझकर किसी को गिरफ्तार करने की नीति नहीं रही है और न कभी ऐसा चाहा ही है कि कोई हमारा साथी गिरफ्तार किया जाये। हम लोग राजनीतिक जीवन में साथ-साथ काम करने वाले और सहकर्मी हैं, हमारी उनके साथ विचारों में भिन्नता हो सकती है लेकिन ऐसा सोचना कि हम किसी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गिरफ्तार करें, उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन आप हमारी विधान सभा की जो परिसर है, कई सरकारें आयी हैं, उधर के भी सम्मानित सदस्य इधर बैठे हैं, इस सदन को कुछ मान्यतायें हैं, जब कभी सदन चाहता है तो जो सदन का परिसर है वहां पर किसी को मीटिंग करने को या प्रदर्शन करने की छूट नहीं है। विधान सभा के परिसर के सम्मुख कोई मीटिंग न करे, यह प्रत्येक शासन को नीति रही है और वह नीति आज भी है और बहुत वर्षों से चली आ रही है। तो अगर कोई निषधाज्ञा का उल्लंघन करता है और स्वयं गिरफ्तारी देना चाहता है तो फिर शासन की मजबूरी हो जाती है। तो 400 लोगों की गिरफ्तारी इसी कारण से हुई है। 4 बजे 8 सौ लोगों का जलूस लाजपतनगर पहुंचा उनको धारा 144 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, जार्ज फर्नाण्डीज वगैरह को गिरफ्तार किया गया। वह सब 161 कार्यकर्ताओं के साथ उन्नाव जेल में हैं। उनको धारा 144 में गिरफ्तार किया गया और वह लोग उन्नाव जेल में हैं। मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह चिन्तित न हों, उनको जेल में कोई असुविधा न होगी।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सही कहा है कि यदि कोई अपनी गिरफ्तारी देना चाहे तो निषेधाज्ञा के उल्लंघन में सरकार उनको गिरफ्तार करती है लेकिन अगर कोई सत्याग्रही निषेधाज्ञा में गिरफ्तार होता है तो उसके साथ राजनैतिक बन्दी जैसा व्यवहार होना चाहिए। जार्ज फर्नाण्डीज इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के महामन्त्री हैं और पार्लियामेंट के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

सामने बैठे हुए हमारे माननीय मित्रों से वे ज्यादा राष्ट्र-भक्त, भारत माता के महान सपूत और इस देश में लोक-तंत्र को पुनः स्थापित करने वाले एक राष्ट्र-पुरुष हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया गया है उसके बारे में जो टेलीग्राम आपको मिला है, उसके कुछ अंश में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं।

इसमें उन्होंने लिखा है कि--

"एलांग विद एबाउट 200 युवा जनता डिमांस्ट्रेटर्स आई वाज अरेस्टेड टूडे ऐट 3.30 पी0 एम0 नियर असेम्बली हाल। नाट प्रोड्यूस्ट बिफोर मजिस्ट्रेट टिल 10 पी0 एम0, नार टोल्ड आफ चार्जेज। नार सर्वड डिनर। सेन्ट टू उन्नाव जेल आन फोरटीन डेज रिमांड। आवर डिटेन्शन विदाउट ट्रायल टोटली अनवारन्टेड एन्ड इल्लीगल डिमांड इमीडिएट एण्ड टू सच लालेसनेस।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कहते हैं कि उनको लगभग 200 साथियों के साथ विधान भवन के समक्ष गिरफ्तार किया गया। 3-30 बजे के करीब गिरफ्तार हुआ। 10 बजे रात तक उनको बिठाये रखा गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। कौन सा अपराध किया था, यह नहीं बताया गया और बिना भोजन दिये यहां से उन्नाव जेल भेज दिया गया। मान्यवर, एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र के नाम पर टिकी हो और सत्याग्रही के नाम पर ही बैठी हो वही सरकार सत्याग्रहियों के साथ इस तरह का व्यवहार करे। जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने सदाशयता का परिचय दिया है और कहा कि हमारी यह इच्छा नहीं है तो क्या आप इस बात की ताईद भी करेंगे कि राजनैतिक बंदियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जायेगा और कानून की विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत उनको रखा जायेगा। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है जिन्होंने स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी है उनके प्रति आपका क्या रवैया है और जो 14 दिन के रिमान्ड की बात कही गई है, उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जायेगा ?

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में सूचना दी है कि 161 बंदियों के साथ जार्ज फर्नाण्डीज जी उन्नाव में है। जनता पार्टी या में इस बात की कोई न तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और न इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं उनको छोड़ें या न छोड़ें। यह तो आपके हाथ में है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की जांच कर ली जाय कि रात के साढ़े बारह बजे जब दो बसों में 80 सत्याग्रही पुलिस लाइन भेजे गये, बिना खाना खाये, बिना पीने के पानी का इन्तजाम किये, मैंने 12-30 बजे उनको खाना खिलाया, उनको रखा गया। पुलिस लाइन में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है। रास्ते में उनको पीने के लिये पानी नहीं मिला है। जो आपका थाना आलमबाग है वहां इन लोगों को ले गये। रात में एक बजे मैंने जब टेलीफोन किया तो आलमबाग के सब-इंस्पेक्टर ने कहा हमारे यहां कोई रिकार्ड नहीं है कि वह कहां हैं और कहां नहीं हैं आप हजरतगंज थाना से पूछें। जब हजरतगंज कान्टैक्ट किया तो उन्होंने ताज्जुब से कहा हमें कोई पता नहीं है। सुबह फिर कांटैक्ट किया तो फिर कहा पता नहीं। बिना खाने के बिना पानी के उनको रखा गया और उनके साथ ज्यादती की उसमें जार्ज फर्नान्डीज और बिहार के एक विधायक सम्मिलित हैं। तो उन सारे लोगों के साथ जो गैर-इंसानी बर्ताव किया गया उसकी मालूमात करायेंगे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, अभी तो प्रश्न किया गया था कि उन लोगों का पता नहीं है कि कहां हैं और अब माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया। यानी सारी जानकारी उनको थी।

(व्यवधान)

जो गिरफ्तारी देना चाहते हैं और गिरफ्तार होते हैं तो उसमें जब पुलिस रिमांड लेती है तो अदालत में उसके कारण बताने पड़ते हैं। इसमें भी रिमांड ली गयी ह 14 दिन की रिमांड ली है। जहां तक यह बात कि वह महान आदमी हैं। [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह --

विमान अपहरण करने वाले इस सदन में बैठे हैं इसलिए इनको यह कहने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

आप इंदिरा गांधी की करतूतों को भूल गये हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, आज इनको बुरा लग रहा है ...

श्री अध्यक्ष --

अब इस पर बहस समाप्त हो गयी है, आप बैठें।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

माननीय प्रमोद कुमार जी आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं आपका कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय प्रमोद कुमार जी ने आक्षेपात्मक शब्द माननीय जार्ज फर्नान्डीज के लिए प्रयोग किये जिनका इस समय कोई संदर्भ नहीं था । माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि वह एक महान देशभक्त हैं और सत्ता के टकराव में वह बाहर आये । इस प्रकार के आरोप यहां पर लगाना ठीक नहीं है । मैं चाहूंगा कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष --

ठीक है मैंने कह दिया है ।

श्री मुख्तार अनीस--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि राजनीतिक बंदियों के सा राजनीतिक बंदी का सा ही व्यवहार होना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । तो हमारे जो राजनीतिक बंदी हैं उनके साथ राजनीतिक बन्दी का ही व्यवहार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में अगर कहीं पर जो हमारी पद्धति है उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसका पालन कराया जायेगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अब तो मेजें थपथपाइये ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय बाजपेयी जी आप बार-बार क्यों बोलते हैं ?

[12 बजकर 34 मिनट]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है कि श्री श्यामलाल बाजपेयी, उप मंत्री बीच बीच में बोलते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो पहले ही कह दिया है कि वह भविष्य में ध्यान रखें । इसलिये व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (बस्ती) के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0 एन0 तिवारी द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्त- र्गत सूचना

श्री अध्यक्ष --

नियम 301 में आज 35 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें 8 को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है । जिनकी सूचनाओं कोस्वीकार किया है वह है--श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्रीमती किशोरी शुक्ला, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री इन्द्रजीत, श्री अकबर हुसैन एवं श्री रियासत हुसैन, श्री मोहन सिंह, श्री केदारनाथ सिंह और श्री जसवन्त सिंह विष्ट ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ --

मान्यवर, बस्ती जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की हालत अत्यन्त खराब और दुखद है । अधिशासी अभियंता श्री आर0 एन0 तिवारी द्वारा कई लाख रुपये का दुरुपयोग और गबन किया गया है । पिछले मार्च में जो 18 लाख रुपया इन्हें शासन द्वारा मिला था उसके सम्बन्ध में उन्होंने मनमाने ढंग से इस्ते- माल किया और ह्यूम पाइप खरीद कर भारी कमीशन लिया जबकि ह्यूम पाइप घटिया किस्म का है, इन्होंने फर्जी क म करवा कर सड़कों पर लगभग 5 लाख रुपया अर्जित किया । यह भ्रष्टाचार के आदी हैं । इससे पूर्व ये जिन जिलों में रहे उन्हीं का मामला लेकर सरकार ने इन्हे निलम्बित कर दिया है तब से ये बस्ती से कार्यालय की चाबी, सेफ की चाबी लेकर फरार हैं, सारा कारबार ठप है । बस्ती जनपद के हित को ध्यान में रखकर आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि जहां इनके भ्रष्टाचार की जांच की जा रही हो वहीं उच्च स्तरीय कमेटी भेजकर बस्ती में इनके द्वारा किये गये कार्यों की जांच कराकर इन्हें दंडित किया जाये और अपने भ्रष्टाचार के बल पर लाखों रुपया लेकर जो यह घूम रहे हैं इनका मनसूबा चूर किया जाये जिससे भविष्य में कोई साहस न कर सके ।

महदेइया-तितिनापार-हरदी मार्ग गोरखपुर के फर्जी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्नलिखित अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहती हूं --

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), सहजनवां, गोरखपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग, अब विशेष सचिव, आई0 पी0 गुप्त, सा0 नि0 वि0, उ0 प्र0 द्वारा महदेइया-तितनपारा-हरदी मार्ग, गोरखपुर के निर्माण में की गयी धांधली की जांच रिपोर्ट पैसा लेकर गलत दी गयी है । अतः मैं चाहूंगी कि इस पूरे कांड की जांच सी0 आई0 डी0 अथवा जिलाधिकारी, गोरखपुर से कराने का कष्ट करें तथा गलत जांच रिपोर्ट करने वाले अधिकारी को कठोर दन्ड दिलाने की कृपा करें ताकि जन- धन से भविष्य में खिलवाड़ न किया जाय । यह सड़क आज भी नहीं बनी है लेकिन विशेष सचिव, श्री गुप्ता द्वारा बनी दिखा दी गयी है । यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

राजकीय प्रमाणित संस्था शिव-कुटी, इलाहाबाद की अधीक्षिका एवं वरिष्ठ लिपिक द्वारा किये गये घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं —

राजकीय प्रमाणित संस्था (शिवकुटी), इलाहाबाद के खिलाफ संवासियों को सड़ा आधा पेट भोजन देने व लाखों का घोटाला करने के आरोप जनता व इंका सांसद श्री रामपूजन पटेल ने लगाये थे जिनकी जांच मुख्य दन्डाधिकारी, इलाहाबाद ने दिनांक 29-8-83 को और नगर मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने दिनांक 1-9-83 को की और दोनों ही अधिकारियों ने लाखों का घोटाला जांच में पाया तथा सड़े आटे को संवासियों को खिलाते पाया। उनकी जांच रपटें निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण और माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हो गयीं। फिर भी अब तक घोटाले की जिम्मेदार उक्त भिक्षुक गृह की अधीक्षिका श्रीमती माया विरमानी और वरिष्ठ लिपिक सीताराम मिश्र के खिलाफ सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की।

मुख्य दंडाधिकारी, इलाहाबाद के दिनांक 9-11-83 के स्पष्ट आदेश के बावजूद संवासी श्री तुलसी पुत्र अज्ञात को नहीं छोड़ा जिसके बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचार से जनता में रोष फैला।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि उक्त अधीक्षिका व वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण करके घोटाले की जांच पुलिस से करायें और दोषी व्यक्तियों को दंड दिलवायें।

कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जातिवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इन्द्रजीत—

अध्यक्ष महोदय, मुझे कृषि विभाग के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जातिवाद के लोक महत्व के प्रश्न पर अवगत कराना है कि वर्ष 1980 में सर्वश्री लाल बहादुर सिंह, राजेन्द्र सिंह, आर0 के0 दास आदि के विरुद्ध सतर्कता विभाग, शासन एवं अन्य विभागीय लंबित मामलों के उपरान्त भी अनियमित प्रोन्नतियां की गईं। यही नहीं माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ शाखा के केस संख्या 5158, दिनांक 2-11-83 के निर्णय के पश्चात् अनुसूचित जाति के अधिकारियों को प्रोन्नति में आरक्षण से वंचित करने हेतु उनके विपरीत चरित्र प्रविष्टियां अंकित की गई हैं।

उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 1973 से प्रोन्नति में आरक्षण का प्राविधान कर दिया था, परन्तु वर्ष 1973 से अब तक लगभग 90 पदों पर द्वितीय श्रेणी से श्रेणी प्रथम में पदोन्नति की गई जिसमें केवल 8 अनुसूचित जाति के अधिकारियों की प्रोन्नत की गई। अभी हाल में 25 विकास शाखा एवं 6 कृषि रक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शाखा के प्रभारी अधिकारी बना कर सेवा श्रेणी प्रथम प्रोन्नति की गई है, उनमें अनुसूचित जाति के अधिकारियों को वंचित रखा गया।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं आपका ध्यान अविलम्ब आकर्षित करना चाहता हूं।

मुरादाबाद में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी देने पर लगी रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

जनपद मुरादाबाद में बकरीद के मौके पर जनपद के अधिकारियों ने कई ग्रामों (गोय थाना कटघर, फरीदपुर थाना मैनाठेर, फिरोजपुर, थाना सम्भल, गोपी वाला थाना ठाकुरद्वारा) में अल्पसंख्यक वर्ग (मुसलमानों) को कुर्बानी नहीं करने दी। इस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग अपने धार्मिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री तथा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश के यहां से जिलाधिकारी, मुरादाबाद को निर्देश भी भेजे गये परन्तु उन निर्देशों का पालन जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने नहीं किया। इसके कारण जनपद मुरादाबाद के अल्पसंख्यक वर्ग (मुसलमानों) में घोर असन्तोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है कि अब उनको धार्मिक कर्त्तव्यों का पालन भी करने से साम्प्रदायिक विचारधारा रखने वाले अधिकारीगण रोक देंगे, नहीं करने देंगे।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सांसद जार्जफर्नान्डीज, युवा जनता एवं लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किये गये बर्बरता-पूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

महोदय, कल 10 सितम्बर से विधान भवन के समक्ष युवा जनता और लोकदल के सैकड़ों साथियों ने प्रदर्शन किया इसी में संसद सदस्य जार्जफर्नान्डीज भी थे। उन्हें गिरफ्तार कर आलम बाग थाने में रखा गया। दिन भर खाने को कुछ नहीं दिया गया, रात में 10 बजे उन लोगों का जुर्म क्या है और किस धारा में गिरफ्तार हैं, यह बताये बिना यहां से बहुत दूर उन्नाव जिला जेल में भेज दिया गया। जार्ज फर्नान्डीज ने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि उन लोगों के साथ थाने में दुर्व्यवहार किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे का प्रदेश व्यापी आन्दोलन चल रहा है। इसमें हजारों जेलयात्री कल आन्दोलन के प्रथम दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में गिरफ्तारियां दिये, विभिन्न स्थानों से इस बात की सूचना मिली है कि जेलों में लोगों के रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि जार्ज फर्नान्डीज के साथ हुए थाने में दुर्व्यवहार की जांच हो व शांति पूर्ण प्रदर्शन करने वाले उनके साथियों को अविलम्ब रिहा किया जाय।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

जो आपने दिया है, केवल उसी को मैंने स्वीकार किया है। जो आपने अतिरिक्त कहा है, उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहन सिंह—

माननीय, वह केवल अन्तिम एक सेन्टेंस है और वह भी कार्यवाही का अंग है ।

वर्ष 1980 में अपर सबार्डिनेट सर्विस पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री केदारनाथ सिंह—

माननीय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की अपर सबआर्डिनेट्स सर्विस पद हेतु सन् 1980 में लगभग 25 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और औपचारिक प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् लगभग 207 अभ्यर्थियों का चयन किया गया । इन्हें प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाना था परन्तु लगभग 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी । यह भी पता चला है कि उन पदों पर अनियमित ढंग से तदर्थ नियुक्तियां भी की गयीं हैं जिससे अभ्यर्थियों में क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त हो गया है ।

अतः ऐसे लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग करता हूं ।

विधायक श्री जसवन्त सिंह विष्ट की मांगों को पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभाई क्षेत्र रानीखेत की जनता की वर्षों से चली आ रही मांग के संदर्भ में 9 अगस्त, 1984 से मासी, अल्मोड़ा में मैंने आमरण अनशन किया था । 92 वर्षीय श्री महेंद्र सिंह मेहता, 84 वर्षीय श्री गंगा दत्त जी समेत 16 स्थानीय मान्य लोग भी मेरे साथ अनशन में बैठे । प्रतिदिन हजारों पुरुष-स्त्री बच्चों ने हमारा ढाढ़स बढ़ाते हुये जनता ने रु0 800 से 1000 तक का आर्थिक सहयोग दिया, जो उस क्षेत्र की अविस्मरणीय घटना है ।

चार सूत्रीय मेरी मांगों में केन्द्रीय वन अधिनियम 1980 में संशोधन, स्यल्दे महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन आवंटन, प्रत्येक विकास खंड में बालिका हाई स्कूल, स्थानीय इंटर कालेजों में विज्ञान विषय पढ़ाये जाने की मांग थीं ।

16 अगस्त रात्रि 2 बजे मासी के चारों ओर हजारों पुलिस की नकेबन्दी के बीच हमें जिला अस्पताल, अल्मोड़ा लाकर धारा 309 में गिरफ्तार किया गया । 15 पुरुष, 6 महिलाओं को धारा 151 में गिरफ्तार किया गया । 17 अगस्त को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दूरभाष द्वारा मुझसे स्पष्ट कहा कि हमारी मांगें मान ली गयी हैं ।

मुझे अत्यन्त खेद है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक कोई राजाज्ञा या ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है । स्थानीय लोगों की प्रबल आकांक्षा को देखते हुये मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त मांग शीघ्र क्रियान्वित की जाय ।

ग्राम खानपुर सीतापुर में पुलिस चौकी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(श्री मुख्तार अनीस—को पुकारे जाने पर ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय, मेरा औचित्य का प्रश्न है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने माननीय मुख्तार अनीस को बुलाया है ।

*श्री मुख्तार अनीस—

अध्यक्ष महोदय, सीतापुर जिले के ग्राम खानपुर (थाना रेउसा) में निरंतर डकैतियां पड़ती रहती हैं । विगत एक वर्ष में इस ग्राम में लगभग 25 बार डकैती पड़ी है तथा अनेकों बार चोरी हुई है । डाकुओं की गोली से 9 लोग घायल तथा एक की मृत्यु हो गयी है ।

इस गांव के लोगों की निरन्तर मांग रही है कि यहां पर एक पुलिस चौकी खोल दी जाय किन्तु शासन स्तर पर अथवा जिला स्तर पर बात नहीं मानी गयी ।

इस गांव की आबादी लगभग 3000 है तथा नदी नाले से घिरा होने के कारण यहां पहुंचना कठिन है । इसलिए यहां पुलिस चौकी की स्थापना की जाय तथा जब तक पुलिस चौकी नहीं बनती उस समय तक पुलिस का पहरा करवाया जाये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मुझे औचित्व की फिलहाल 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना माननीय मोहन सिंह की है । इसके अतिरिक्त श्री रियासत हुसैन, श्री पंचानन राय, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री गोपीनाथ वर्मा की औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं हैं। जहां तक औचित्य से प्रश्नों का सम्बन्ध है और जो हमारे नियम हैं उसके अनुसार मैंने सुनने के लिए माननीय मोहन सिंह, माननीय रियासत हुसैन, माननीय पंचानन राय, माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री को मैं सुनूंगा और इसके बाद में निर्णय दूंगा । जहां तक श्री राम आसरे वर्मा की सूचना का सम्बन्ध है, उन्होंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसमें श्री वर्मा ने लोकतांत्रिक मान्यताओं की बात उठायी है । प्रक्रिया नियमावली अथवा संविधान के विपरीत किसी कृत्य की बात नहीं कही गयी है । अतः नियम 300 के अन्तर्गत यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । इसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना का सम्बन्ध है, विधान परिषद् की किसी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने तथा कार्यवाही करने का अधिकार उपरोक्त सदन को ही है । परम्परा यह रही है कि एक सदन दूसरे सदन में कही गयी बातों को संज्ञान में नहीं लेता । यह परम्परा कायम रखनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह मैंने नहीं कहा है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें प्रक्रिया नियमावली अथवा संविधान के उल्लंघन की बात नहीं कही गयी है । इसको मैं अस्वीकार करता हूं । जहां तक माननीय सत्यपाल सिंह के औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न तभी उठाया जा सकता है, जब प्रक्रिया नियमावली अथवा संविधान का उल्लंघन किया गया हो । अतः इस मामले में नियम 300 लागू नहीं होता, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

जहां तक श्री गोपी नाथ वर्मा के औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, नियम तथा संविधान के प्रविधानों का उल्लंघन इसमें नहीं किया गया है, अतः यह औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आता । इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शासन द्वारा विधान सभा के 90 उपवेशन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर इस सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । संसदीय लोकतन्त्र में विधान सभा और विधि मण्डल को सर्वोच्चता और शासकीय एवं प्रशासकीय कार्यों में जहां तक प्रदेश का सम्बन्ध है, दी हुई है और विधान सभा के समक्ष जनप्रतिनिधियों को चुनी हुई सरकार जबाबदेह होती है । विधान सभा के माध्यम से ही सरकार के ऊपर हम अंकुश रखते हैं । नित्य-प्रति के कार्यों के लिए जबाबदेही हेतु सदन के अधिकारों की सर्वोच्चता की प्रक्रिया अपने देश में अपनाई गयी और इसलिये हमने यह माना कि जब सदन सर्वोच्च है, तो सदन का अधिवेशन नियमानुसार वर्ष में 3 बार होना चाहिये और 90 दिन का उपवेशन होना चाहिये, वर्षा कालीन अधिवेशन, आय-व्ययक अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन होना चाहिये । लेकिन धीरे-धीरे विधान सभा का अधिकार क्षेत्र और इसका दायरा सिकुड़ता जा रहा है, जो शासन की मुतवातिर साजिश है ।

जो आय-व्ययक का सत्र हुआ वह केवल 40 दिनों का हुआ था । केवल 40 उपवेशन उसमें हुये और जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि हमारा तीन सत्र होना चाहिये, 90 दिन की बैठक विधान सभा की होनी चाहिये, उस समय यह सरकारी पक्ष की ओर से आश्वासन दिया गया कि 90 दिन सत्र करने का प्रयास किया जायगा । लेकिन इस सत्र का जो अन्तिम कार्यक्रम आया है, उसमें यदि नवम्बर और दिसम्बर सम्पूर्ण महीने विधान सभा चलाई जाय, तो भी 90 दिन पूरा होने वाला नहीं है । एक आपने प्रवर समिति बनायी थी, जिसको राजस्व संहिता विधेयक सुपुर्द किया गया था, वह बिलकुल बन कर तैयार है, लेकिन उसको आप इनऐक्ट नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें 15 दिन की सदन की बैठक होना अनिवार्य है । जिन नये लॉ की हमको जरूरत है, उसको आप नहीं लागू कर पा रहे हैं । इसलिये हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि जो हमारी नियमावली में प्राविधान किया गया है, जिसके जरिये शासन से हम जबाबदेही करते हैं और रोज-रोज के कार्यों में अंकुश रखते हैं, उसको हम कैसे रोक पायेंगे, जब तक नियमानुकूल विधान सभा का उपवेशन नहीं होगा ।

हमारे नये मुख्य मन्त्री जो आये हैं, पुराने मुख्य मन्त्री जी के बारे में उन्हीं की पार्टी में यह राय थी कि वह सुस्त थे यानी ऐसा मुख्य मन्त्री जो प्रदेश की जड़ों को 10 वर्षों में खोद सकता था, नये मुख्य मन्त्री तेज हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रदेश की जड़ 1-2 वर्ष में खोद देंगे, इसलिये उनको बैठाल दिया और जब से ये आये, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक राशि अमुक जिले को दे दिया । उसके लिए कोई वित्तीय प्राविधान सदन के अन्दर नहीं किया गया और जो परम्परायें हैं कि महत्वपूर्ण घोषणायें और नीति सम्बन्धी घोषणायें सदन के अन्दर होंगी, लेकिन सदन की बैठक न होगी न हमको वह अवसर मिलेगा कि हम इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा कर सकें । इसलिये व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये मैं आपसे अपील करता हूं कि आप शासन को निर्देशित करें कि हमारी प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक कार्य किया जाय । क्योंकि प्रक्रिया नियमावली के अनुसार शासन अगर अपनी तरफ से कार्यक्रम नहीं रखेगा तो न तो सदन के तीन सत्र हो सकते हैं और न ही 90 दिन उपवेशन हो सकता है । हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। हमारे अधिकारों का और विधान सभा के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। इसके बारे में मैं आपको व्यवस्था चाहता हूं।

श्री भोला लाल—

इसके बारे में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में मैंने तत्कालीन संसदीय कार्यमन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था। हमारे नियमों में उल्लेख है कि विधान सभा का तीन सत्र हो और 90 दिन का उपवेशन हो। तत्कालीन संसदीय कार्यमन्त्री ने आश्वासन दिया था कि इस बात का प्रयास किया जायेगा कि तीन सत्र हों और 90 दिन का उपवेशन हो। लेकिन हमारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है और विधान की लगातार उपेक्षा की जा रही है। जैसा मोहन सिंह ने कहा नये मुख्य मन्त्री आये हैं। यह मुख्य मन्त्री चुनाव के मुख्य मन्त्री हैं। चुनाव के लिये बुलाये गये हैं। जब से यह आये हैं प्रदेश के जिलों में हर जगह तबादले बांट रहे हैं। नीतियों की घोषणा बाहर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देशित करें और अपनी व्यवस्था दें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

जहां तक नियम और कानून का ताल्लुक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

क्या आपका गला नहीं खराब हो सकता है।

श्री राम सिंह खन्ना—

आप लोग सुनने की कोशिश कीजिये।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, सम्मानित मुख्य सचेतक, विरोधी दल ने अभी एक ऐसे विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि प्रत्येक सदन के प्रत्येक सत्र में विवादित और चर्चित रहा है। प्रत्येक विधान सभा की यह आकांक्षा रही है कि वह अधिक से अधिक नियमानुकूल बैठे और उसमें तीन सत्र हों और जब नियम समिति में इसकी चर्चा हो रही थी, तब मुझे भी नियम समिति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपके कक्ष में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में व्यापक चर्चा कई दिनों तक हुई थी। जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है यह विवादास्पद नहीं है कि अधिक से अधिक सदन बैठें और चर्चा हो तथा प्रश्न पूछे जायं लेकिन जो परिस्थितियां रही हैं, भिन्न-भिन्न सरकारों के सम्मुख, वह परिस्थितियां जो इस सदन के बाहर रही हैं, उनके प्रभाव से उस नियम का परिपालन भलिभांति नहीं हो सका। यह किसी शासन विशेष का दोष नहीं रहा है, किसी संसदीय कार्यमन्त्री का दोष नहीं रहा है, किसी दल विशेष का दोष नहीं रहा है। उनके इतिहास में जाना विवाद को बढ़ाना है, मैं यह उचित नहीं समझता कि अनावश्यक वह बातें उठाऊं जिससे यह विवाद बढ़े। तो बिना विवाद में जाते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो यह सत्र है, जो हमारी कार्यमंत्रणा समिति है उसके सम्मुख हमने अपने द्वारा तैयार की गयी रूप-रेखा रखी कि हम कौन सा विषय किस दिन लेना चाहते हैं जो हम इस सदन के सम्मुख इस सत्र में रखें और कार्यमंत्रणा समिति ने उस पर अपनी सहमति प्रदान की।

माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उनकी बात को मानता हूं मैं स्वयं इस बात का हामी रहा हूं। मैं माननीय सदस्य की बात का विरोध नहीं करता। हमारा यह प्रयास रहेगा कि

अगर 90 दिन का सत्र न हो, क्योंकि यह मेरे हाथ में नहीं है, मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक समय हम इस सदन में बैठ सकें । माननीय सदस्य द्वारा मेरे विषय में जो कहा गया है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैं तो एक सेवक हूं । सेवक के नाते सेवा भाव से आपके प्रति और सदन के प्रति समर्पित हूं और आपकी भी शुभकामनाएं चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में विरोधी दल की सद्भावना की अत्यन्त आवश्यकता होती है । मैं वह भी चाहता हूं कि आपके अन्दर जो सद्भावना का जलाशय विद्यमान है उस जलाशय की शीतल वृष्टि मेरे ऊपर भी होगी । इसका मुझे विश्वास है ।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इस सरकार को प्रदेश के ऊपर थोपा गया है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप अध्यक्ष पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ।

(श्री रामआसरे वर्मा सदन त्याग करके चले गये)

18 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में बिना कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश के 19 अप्रैल, 1984 का कार्यसूचा का कार्य लिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्यमंत्रणा कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम होता है उसको कुछ इम्पोर्टेन्स समझते हुए मेरा औचित्य का प्रश्न है । इसमें छः विन्दु आते हैं मैं उन विन्दुओं को बता रहा हूं ।

मान्यवर, 18 अप्रैल को जो आखिरी बजट अधिवेशन का दिन था और उसमें पूरे विरोध पक्ष ने वाई कट किया था, सदन ने उस वक्त जो संविधान के विरुद्ध नियम के विरुद्ध कार्य किया उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि उसमें क्या-क्या चीजें नियम के विरुद्ध हुई थीं । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने 18 अप्रैल, 1984 का जब एजेन्डा समाप्त हुआ तो एक प्रस्ताव रख दिया और उस प्रस्ताव में यह कह दिया कि 19 तारीख का कार्यक्रम जो था, जो मनीबिल थे जो ग्रान्ट्स थी और जो विनियोग विधेयक था उसे आज ही ले लिया जाए और वह सदन ने पास कर दिया था । 19 तारीख का कार्यक्रम एक दिन के अधिवेशन में, 18 तारीख को ही यहां पास हो गया तो इस कार्यक्रम ही में क्या-क्या चीजें नियम के विरुद्ध हुई मैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो 19 तारीख का कार्यक्रम 18 तारीख को लिया गया उसमें कार्यमंत्रणा कमेटी के द्वारा कार्यक्रम में तब्दीली नहीं आई...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह तब्दीली इस माननीय सदन में नहीं आयी और उसकी सिफारिश बेकार हुई।

दूसरी बात यह कि हमारे नियमों में यह प्राविधान है कि अगर कोई बात माननीय सदन में रखी जानी है तो आपसे अनुमति माँगी जायगी। आप उसकी अनुमति दे देंगे तो वह विषय इस माननीय सदन के अन्दर रखा जायगा। उस समय के माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने आपसे कोई अनुमति नहीं माँगी कि मैं इस प्रस्ताव को सदन के अन्दर रखना चाहता हूं और आपको अपने अधिकारों को प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला।

तीसरी बात यह है कि हमारे नियमों मे नियम 22-क में प्राविधान है कि एक कार्य सूची बनती है, एजेंडा बनता है कि फलां दिन की कार्यवाही में फलां चीजें सम्मिलित होंगी। वह एक दिन पहले ही तैयार हो करके बंट जाता है और उसके मुताबिक उस दिन का सदन का कार्य होता है, लेकिन इस नियम 22 का भी पालन नहीं किया गया और कोई एजेंडा 19 तारीख वाले कार्यक्रम का सदन के अन्दर वितरित नहीं हुआ और माननीय सदस्यों को ज्ञात नहीं हो सका कि 19 तारीख वाले कार्यक्रम का एजेंडा क्या होगा और यह काम बिना एजेंडे के हुआ और 18 तारीख का कार्य पूरा होने के बाद 19 तारीख का कार्यक्रम बिना कार्य सूची में शामिल किये हुये किया गया।

श्रीमन्, उसी दिन जब यह कार्यक्रम चल रहा था तो श्री गुफरान जाहिदी साहब ने एक सुझाव रखा, जो आपने कार्यवाही में देखा होगा कि जो डेढ़ सौ रुपया स्टैंडर्ड रेंट माननीय विधायकों को मिलता है उसको तीन सौ रुपया कर दिया जाय। माननीय वित्त मन्त्री ने उसी समय खड़े होकर यह घोषणा कर दी कि इसको आर्डिनेंस के जरिये से पास करा देंगे। आर्डिनेंस किन स्थिति में गवर्नर के जरिये से रखा जाता है, वह केवल उस समय होता है कि जब दोनों सदनों में से कम से कम एक सदन सत्र में न हो। श्रीमन्, सदन चलते समय ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी होते हुए माननीय वित्त मन्त्री ने यह घोषणा कर दी कि आर्डिनेंस के जरिये से पास करा देंगे। यह संविधान के विरुद्ध था। आर्डिनेंस का इस तरह से घोषणा कभी नहीं होती। उसके बाद श्री श्याम लाल बाजपेयी जी ने, जो अब डिप्टी मिनिस्टर हो गये हैं, कहा कि जिन माननीय विधायकों को डेढ़ सौ रुपये वाले कमरों में स्थान मिलता है, उनको 300 रुपये के हिसाब से दिया जायगा और उसका रिम्बर्समेंट पिछली डेट से होगा। उसी समय वित्त मन्त्री जी ने घोषणा कर दी कि जब आर्डिनेंस बनेगा तो इसके ऊपर भी विचार कर लेंगे। यह काम भी वित्त मन्त्री जी ने संयुक्त उत्तर-दायित्व के रहते संविधान के विरुद्ध किया। इसके साथ ही खेद की बात यह है कि सदन के अन्दर घोषणा कर दी कि अध्यादेश कर देंगे और फिर 18 अप्रैल से ले करके 10 सितम्बर, तक इतना अधिक समय मिला लेकिन अध्यादेश लाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि सदन में क्या घोषणा की है। श्रीमन्, इस तरह से सदन का अपमान भी हो गया। अब सदन के चलते अध्यादेश का प्रश्न नहीं उठता लेकिन मुझे अब जो कार्यमंत्रणा समिति के लिए जो कार्य सूची मिलती है उसमें किस-किस चीजों पर विचार करना है। उस अध्यादेश का बिल बन जाना चाहिये था, जो अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया है, यह भी सदन का अपमान है।

19 तारीख को कार्य-सूची की 18 तारीख में ले लिया गया, जो नियम के विरुद्ध था और संविधान के खिलाफ था। उसके अन्दर जो डिक्लेरेशन किया गया था, उसकी पूर्ति आज तक न किया जाना इस सम्मानित सदन का अपमान करना है। यह एक गम्भीर प्रश्न है, इसलिए इस पर आपको विचार करना होगा और अपना निर्णय देना होगा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना—)

जहां तक विधेयक का सवाल यहां उठाया गया है जैसा कि आपको विदित होगा, जिस दिन कार्यमंत्रणा समिति बैठी थी, तो उस दिन मैंने कहा था कि जब 12 सितम्बर, 1984 को कार्यमंत्रणा समिति पुनः बैठेगी, उस दिन यह विधेयक आपको बना हुआ मिलेगा, इसलिए सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं उठता है ।

दूसरा आपने जो कहा कि 19 तारीख का एजेन्डा 18 तारीख में ले लिया था, आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति यहां पर थी । एक प्रस्ताव यहां पर आया, उसे अध्यक्ष महोदय ने मान्यता दी, उसके फलस्वरूप उस पर अमल किया गया है । तत्पश्चात जो काम हुए हैं, उससे आप लोग भी लाभान्वित हैं । जो भी कार्य किया गया है वह जनहित में किया गया है और सर्वसम्मति से किया गया है । इसमें हर तरह से कानून का पालन किया गया है, वहीं पर भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए औचित्य के प्रश्न का सवाल नहीं उठता ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे संसदीय कार्य मन्त्री जो का गला खराब है, इसलिए उनके जो राज्य मन्त्री हैं, उनका कोकिला कण्ठ है, इस विषय पर आप उनसे भाषण दिलवा दें ।

प्रश्नों को बार-बार स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री पंचानन राय—

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में यह व्यवस्था की गयी है कि एक बार से ज्यादा प्रश्न को स्थगित नहीं किया जायेगा । आपकी पीठ से भी जो षष्ठम् संस्करण हम लोगों को दिया गया है, उसके अनुच्छेद-31 में लिखा हुआ है कि "इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर की तिथि से दो सप्ताह बाद पुनः कार्य सूची पर रख दिया जायगा ।"

श्री अध्यक्ष—

यदि शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं, तो उन्हें बुलाया जाय ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 3 सत्रों से मेरे लगभग 20 प्रश्न स्थगित किये जाते रहे हैं । जिससे विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का खुला उल्लंघन हो रहा है । हर बार यही कहा जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं उदाहरण के रूप में एक प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । "जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा 1983 में हुई । एक मन्डल में तो परचे की छपाई 2 रुपये प्रति बालक आयी, किन्तु दूसरे मन्डल में 8 रुपये प्रति बालक आयी । एक मन्डल के अधिकारी ने तो 5 लाख रुपये में परचे छपवाये और दूसरे मन्डल के अधिकारी ने 2 लाख रुपये में पर्चे छपवाये अर्थात् लखनऊ मन्डल में 5 रुपये प्रति बालक की छपवाई आयी और बनारस में 2 रुपये प्रति बालक की छपवाई आयी ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर शासन की ओर से नहीं आया है । मैं आपका इस पर संरक्षण चाहता हूं । इस प्रकार प्रश्नों को कब तक स्थगित किया जाता रहेगा ?

*शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुनीता चौहान)—

मान्यवर, यह प्रश्नों का जो सवाल उठाया गया है, वह सही है । लेकिन होता यह है कि एक-एक प्रश्न के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

10-10 बातें पूछ दी जाती हैं, जिसकी वजह से सही-सही उत्तर देना एक साथ मुश्किल हो जाता है । यदि माननीय सदस्य कोई खास प्रश्न करें, तो उसका सही उत्तर दिया जायेगा ।

एक प्रश्न को चार बार स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी क्षेत्र की ओर आ रहा हूं । इसमें केवल मेरा ही प्रश्न नहीं है, अपितु इस सदन के सभी प्रश्नकर्ताओं का इस प्रश्न से सम्बन्ध है । जहां तक प्रश्नों को आप द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, प्रश्नकर्ता, आप, सरकार और सम्बन्धित विभाग इन चारों में से दो तो गतिशील हैं और शेष दो—सरकार और सरकार के अधीन विभाग अड़ियल घोड़े की तरह अड़े हुए हैं । आप अकेले पड़े हुए हैं । सरकार के ऊपर आपका डण्डा पड़ता है और वह समझती है कि जो हम चाहेंगे, वैसे ही काम होगा । आप बहुमत वाले दल में से होते हैं परन्तु जब आपका डण्डा सरकार पर पड़ता है तो यह और उसका विभाग कदम ताल मिलाते रहते हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इस विषय पर और ज्यादा सम्मानित होना पड़ेगा । नवम्बर, 1983 का यह प्रश्न है, पहली बार यह 20-2-84 को स्थगित हुआ था, उसके बाद 12-3-84 को यह स्थगित हुआ, उसके बाद यह 2-4-84 को स्थगित हुआ था, उस समय यह अतारांकित प्रश्न संख्या 218 था । पुनः आज उसी प्रश्न को कार्य सूची में रखा गया है, फिर उसका उत्तर आया है कि "सूचना एकत्र की जा रही है" अध्यक्ष महोदय आप भी वहां पर एक-दो दिन रहेंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे ऊपर कोई बात नहीं कहेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं । मैं तो एक सामान्य बात कह रहा हूं । जब सरकार यह समझ लेती है कि जो वह चाहेगी वही होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिये । इसलिए जब तक आप स्वतः सम्मनित होकर इस सरकार पर डण्डा नहीं लगायेंगे, तब तक मेरा निश्चित मत है कि यह सरकार और इसके अधीनस्थ विभाग कदम ताल मिलाते रहेंगे । मेरा सुझाव है कि आप ऐसे प्रश्नों पर एक दिन नेताओं की बैठक बुला लें और उसमें निर्णय ले लें । यह मामला स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर का है, मैं भी उसका एक अध्यापक हूं । मामला माना एक वेतन क्रम के माध्यम के प्रोन्नति से सम्बन्धित है । जे0 टी0 सी0 से सी0 टी0 वेतन क्रम में हुई प्रोन्नति से उत्पन्न स्थिति से कुछ बड़ी धनराशि प्रबंधक अंशदान से प्राप्त होने की बात है जिसका निर्णय होना है जो अब तक लापरवाही के कारण नहीं हो पाया है । इन्हीं शब्दों के साथ में अपने औचित्य के प्रश्न को आपके माध्यम से रखता हूं ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में जो विवाद हैं उनके निस्तारण के लिए ही प्रश्न समिति बनायी गई है तो इस तरह के जितने भी विवादास्पद प्रश्न आएं वह प्रश्न समिति को भेज दिये जायें ।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है, मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी के विचारों से सहमत हूं । मान्यवर, मा0 मन्त्री जी को यह भी बता दें कि

वह समिति क्यों है संदर्भ समिति क्यों है ।

राज्य भाषा सम्बन्धी राजाज्ञाओं का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अभी तक समिति का गठन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, साथ ही मैं एक अत्यंत गम्भीर विषय की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 27 मार्च, 1984 को इस आदरणीय सदन में राज भाषा अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कि प्रदेश की राज-भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी हो, इस सम्बन्ध में राजाज्ञा जारी की गई थी, लेकिन मान्यवर, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन राजाज्ञाओं का पालन नहीं हो रहा है और यही नहीं मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपने निर्देश भी दिये थे कि "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सम्बन्धित राजाज्ञाओं का पतन किया जा रहा है समिति के गठन के सम्बन्ध में विचार कर लिया जायेगा" यह मान्यवर, आपको मालूम है और केन्द्र में इस प्रकार की एक समिति भी थी फिर भी मान्यवर, इसकी अवमानना हो रही है और शासन से समय-समय पर जारी हुई राजाज्ञाओं का भी अनुपालन नहीं हो रहा है और आज भी विभाग के अन्दर अंग्रेजी में कार्य हो रहे हैं । मान्यवर, इसे आप देखें । इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी एवं सम्बन्धित मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में एक समिति के गठन के सम्बन्ध में पुख्ता आश्वासन अवश्य दें ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

इसकी राजाज्ञा जारी कर दी जायेगी और साथ ही यह भी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि इन राजाज्ञाओं का अनुपालन जहां न हो रहा हो, वह भी मेरे संज्ञान में लाया जाय और इस सिलसिले में माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे भी इस प्रकार के मामले हमारे संज्ञान में लाएं हम उस पर पूरी तरह कार्यवाही करेंगे ।

बांदा जनपद में श्री राम सजीवन की हत्या की जांच डी0 आई0 जी0 इलाहाबाद को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्रीमन अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन में मैं इस मामले को पहले भी ला चुका हूं कि जनपद बांदा में स्व0 राम सजीवन सिंह की हत्या राजनीतिक कारणों से करा दी गई और मान्यवर, मैंने उस रोज यह भी सूचित किया था कि यह सरकार विरोधी दलों के मा0 सदस्यों की हत्या कराने में भरसक बराबर कोशिश करती रही है और यह कार्य इसी साजिश का शिकार हुआ है । मान्यवर, आपके निर्देश पर उस समय के संसदीय कार्य मंत्री ने जो इस सदन को आश्वासन दिया था, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

उन्होंने कहा था कि "मामला बड़ा गम्भीर है और इस सभी मामलों को जांच डी0 आई0 जी0, इलाहाबाद द्वारा करवा रहा हूं । अगर इस जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो जिस एजेंसी से आप कहेंगे, उस एजेंसी से जांच करवा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दी जायेगी । श्रीमान् जी, आपने इस पर फिर शासन के संसदीय कार्य मंत्री को आदेश दिया था कि माननीय मंत्री जी इस मामले में जांच की कार्यवाही करें, उसकी इत्तला आपको भी देंगे और इससे जो सम्बन्धित सदस्य हैं, उनको भी देंगे । तब उसके अनुसार अगर जरूरत समझी जायेगी तो इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० जांच या अन्य जांच करवा दी जायेगी । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या सम्बन्धी मामला सदन में प्रस्तुत था और उस पर कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये थे और आपने उसपर आदेश भी किये थे लेकिन, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे सुनिश्चित जानकारी है कि अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई जांच नहीं दी और न ही श्रीमन् आपको कोई इसके बाबत इत्तला दी गई, इसकी मैंने जानकारी प्राप्त की है और मुझे तो इस तरह से कोई सूचना देने का प्रश्न ही नहीं । मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि आपने जो आदेश दिये थे, उनको भी न मानकर, इन्होंने सामान्य नियमों की गरिमा को भी गिरा दिया है और शासन ने उसका मखौल उड़ाया है । मान्यवर, बहुत ही अहम मसला था । मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मोहन सिंह, माननीय रियासत हुसैन, माननीय पंचानन राय, माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की बातों को सुना और शासन की तरफ से उस पर जो भी कहा गया, उसको भी सुना । क्योंकि इसमें कुछ हवाला दिया गया है, पुराने निर्णयों का और कार्यवाहियों का, इसलिए मैं सभी के जितने भी हैं, माननीय मोहन सिंह, माननीय रियासत हुसैन, माननीय पंचानन राय, माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री के बाबत निर्णयों को सुरक्षित रखता हूं । यह सब पढ़ने के बाद मैं निर्णय दे सकूंगा और आदेश भी कर सकूंगा कि क्या कार्यवाही हो ।

[1 बजकर 27 मिनट]

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 †

वित्त एवं उर्जा राज्य मन्त्री (श्री रघुबीर सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 †

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1984†

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरिसिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) अध्यादेश, 1984†

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

नगर महापालिका कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983††

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग—9 की अधिसूचना संख्या 2446-1-बी/11-9-के-3 (1)-

† छापा नहीं गया ।

†† छापा नहीं गया ।

83, दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित नगर महापालिका कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (देय धनराशियों की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983†††

आवास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मुस्लिम वक्फ अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2122/बावन—82 (1)-72-रा0-6, दिनांक 16 जून, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (देय धनराशियों की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983, जो दिनांक 6 अप्रैल 1984 को सभा के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 78 की उपधारा (4) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

†††छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन†††

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1981-82 की कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे†††

नशा विकास राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (30 सितम्बर, 1981) की कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की नवम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1979-80†††

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की नवम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1979-80 को कम्पनीज ऐक्ट,

†††छापी नहीं गई ।

1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (तीसरा संशोधन नियमावली, 1984†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1636/12-सो-1-84-7 (10)-1976, दिनांक 8 जून, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1984 की उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि-लेखा परीक्षा विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत की गई मुद्रण की त्रुटियों के शोधन एवं शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापी नहीं गयी।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे 153 पृष्ठ पर)

विधान सभा द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या-20 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल का जो पत्र प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है—

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपके पत्र संख्या-2541/वि0 स0/संसदीय/38 सं0/84, दिनांक 17 अप्रैल, 1984 के लिए धन्यवाद।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

भवदीय,
नारायण सिंह
ह0 चन्द्रेश्वर प्रसाद

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 जो विधान सभा द्वारा 11 अप्रैल, 1984 को पारित किया गया था, उत्तर

प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 19 अप्रैल, 1984 को वापस प्राप्त हो गया ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 से अन्तर्गत सूचित करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984, जो विधान सभा द्वारा 7 अप्रैल, 1984 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 19 अप्रैल, 1984 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों को उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 जो विधान सभा द्वारा 19 अप्रैल, 1984 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के 21 अप्रैल, 1984 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984

सचिव विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 अप्रैल, 1984 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति, दिनांक 26 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का 7वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 अप्रैल, 1984 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति, दिनांक 26 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का 8वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 मार्च, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 1984 को बैठक में पारित

किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1984 का उत्तर प्रदेश का 9वां अधिनियम बन गया ।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 1984 को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का 10वां अधिनियम बन गया ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

माननीय, आपकी अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 अप्रैल, 1984 को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 मार्च, 1984 को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 अप्रैल,

1984 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय को अनुमति, दिनांक 4 जुलाई, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया।

श्री रामयश सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 27 के अन्तर्गत मेरे पास दो निर्णय हैं। माननीय सभापति विधान परिषद् के निदेशानुसार सचिव, विधान परिषद ने अपने पत्र दिनांक 2-4-83 द्वारा यह सूचित किया है कि उक्त सदन में दिनांक 23-3-83 को श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित तथा श्री दिलदार हुसैन अन्सारी ने विधान सभा के सदस्य श्री रामयश सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। चूंकि श्री सिंह इस सदन के सदस्य हैं अतः पूर्व परम्पराओं के अनुसार माननीय सभापति ने सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले को अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे पास प्रेषित किया है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित तथा श्री दिलदार हुसैन की सूचना के अनुसार दिनांक 23-3-83 को विधान परिषद् के परिसर में एक पर्चा वितरित कराया गया था जिसमें श्री दीक्षित तथा श्री हुसैन पर आक्षेपात्मक टिप्पणियां थीं। उक्त पर्चा श्री रामयश सिंह, सदस्य, विधान सभा के नाम से छपाया गया था और उसे अशफाक पुत्र हामिद, निवासी सहारनपुर तथा एक अन्य व्यक्ति विधान परिषद की लिफ्ट के पास वितरित कर रहे थे।

दिनांक 23-3-83 को श्री अशफाक, अहमद विधान परिषद् के मार्शल की अभिरक्षा में लिए गए थे और उन्हें उक्त तिथि को अपराह्न 5 बजे तक मार्शल की कस्टडी में रखने की सजा दी गयी थी। श्री अशफाक के साथी, जो अन्य व्यक्ति पर्चा वितरण कार्य में शामिल बताया जाता है, मौके पर नहीं पकड़ा जा सका और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री रामयश सिंह का मामला अध्यक्ष, विधान सभा को सुपुर्द कर दिया गया।

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 79 के अनुसार जब इस सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी दूसरे सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला अवमानित सदन के अधिष्ठाता द्वारा निर्दिष्ट किया जाय तो अध्यक्ष उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे जैसे कि वह इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला हो। प्रक्रिया नियमावली के नियम 65(1)(ख) के अनुसार विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न तभी पैदा होता है जब वह सूचना के विषय में प्रादर्शन में विदित हो।

प्रश्नगत मामले में मेरे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे श्री रामयश सिंह के विरुद्ध प्रादर्शन में कोई आरोप बनता था मैंने दिनांक 23-3-83 को विधान परिषद की कार्यवाही देखी है। उस कार्यवाही में अथवा सम्बन्धित सदस्यों द्वारा प्रदत्त सूचना में किसी भी माननीय विधायक ने यह नहीं कहा है कि प्रश्नगत पर्चा श्री रामयश सिंह ने छपवाया है या उन्होंने उसे वितरित किया है। सूचना में मात्र इतना कहा गया है कि पर्चा श्री रामयश सिंह विधायक के नाम से छपा है।

मैंने श्री रामयश सिंह से भी इस मामले में जानकारी की। अपने पत्र दिनांक 10-6-83 में श्री सिंह ने कहा कि उक्त पर्चा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और न तो उन्होंने इसे छपवाया और न उसे वितरित किया।

यह सही है कि श्री अशफाक पुत्र हामिद, निवासी सहारनपुर जिसे विधान

परिषद द्वारा दोषी पाया गया, ने उक्त सदन के अधिकारियों के समक्ष अपने बयान में कहा है कि वह दिनांक 22-3-83 को रात में श्री रामयश सिंह के कमरे में रुका था और श्री सिंह के ही साथ वह विधान भवन में आया लेकिन उसके बयान से यह तथ्य कहीं परिलक्षित नहीं होता कि माननीय श्री रामयश सिंह ने प्रश्नगत पर्चा छपवाया था उसके माध्यम से उसे वितरित कराया ।

इसके विपरीत माननीय रामयश सिंह ने स्पष्ट कहा है कि श्री अशफाक पुत्र हामिद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और उसे दिनांक 23-3-83 को वे अपने साथ विधान भवन में नहीं लाये थे ।

वर्णित परिस्थितियों में मैं स निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि श्री राम यश सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग अथवा विधान परिषद् की अवमानना का कोई प्रथम दृष्टया मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

जिलाधिकारी, पीलीभीत के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री रियाज अहमद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 23 जनवरी, 1984 को जिलाधिकारी, पीलीभीत के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना तथा सदन की अवमानना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 18-1-84 को बैंकों से वितरित होने वाले ऋण तथा पीलीभीत नगर में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में वे जिलाधिकारी से मिले थे किन्तु जिलाधिकारी ने उनसे अभद्र व्यवहार किया जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन की अवमानना हुई । विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना दो अलग-अलग प्रश्न हैं । जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का सम्बन्ध है, यह सिद्धान्त अनेक निर्णयों में प्रतिपादित किया जा चुका है कि यदि कोई सदस्य किसी अधिकारी के पास स्वेच्छा से जाता है और उसका यह कार्य सदन या उसकी समिति से सम्बद्ध नहीं होता तो उस सदस्य के साथ किये गये अभद्र व्यवहार के मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । ऐसे अभद्र व्यवहार के लिये उस सदस्य को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक साधारण नागरिक को सामान्य विधि के अधीन उपलब्ध हैं । प्रश्नगत मामले में श्री रियाज अहमद जिलाधिकारी के पास साधारण नागरिक की हैसियत से गये थे । अतः विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला प्रादर्शन में नहीं बनता ।

जहां तक सदन की अवमानना का प्रश्न है, माननीय सदस्य का कहना है कि जिलाधिकारी ने विधान सभा को निकम्मी और नपुंसक बताते हुये कहा कि वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती । इस विषय में शासन से भी जानकारी प्राप्त की गई । शासन के उत्तर दिनांक 7 फरवरी, 1984 में बताया गया है कि जिलाधिकारी तथा आयुक्त, बरेली की सूचना के अनुसार इस आदरणीय सदन की अवमानना का आरोप निराधार है । शासकीय सूत्रना के अनुसार माननीय सदस्य कतिपय व्यक्तियों को बिना किसी जांच के ऋण स्वीकृत करने पर बल दे रहे थे और जिलाधिकारी के मना करने पर उन लोगों ने "जिलाधिकारी मुर्दाबाद" के नारे लगाये तथा रोष स्वरूप पार्क में उसका पुतला भी जलाया ।

मैंने पूरे मामले को गौर से देखा है । मेरे विचार से सदन की अवमानना का तर्क असंदिग्ध नहीं प्रतीत होता । विवादित घटना के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । इतना ही नहीं, घटना दिनांक 18

जनवरी, 1984 को बतायी जाती है किन्तु उसकी सूचना मेरे पास 23 जनवरी, 1984 को भेजी गई है। इस विलम्ब के कारणों पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है।

डा0 मलखान सिंह के मामले में हुए निर्णय दिनांक 27-4-1976, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ के मामले में हुए निर्णय दिनांक 21-9-1977 तथा श्री कृष्ण राय के मामले में घोषित निर्णय दिनांक 22-9-1977 को पृष्ठ-भूमि में मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामले में भी किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रश्नगत सूचना को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती और मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब मैं कुछ घोषणायें करना चाहता हूं।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 सितम्बर, 1984 की बैठक में दिनांक 10 सितम्बर से 12 सितम्बर, 1984 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है—

10 सितम्बर, 1984, सोमवार

1—निधन के निदेश।

2—औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, विज्ञप्तियों, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि।

11 सितम्बर, 1984, मंगलवार

1—प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

(5 बजे अपराह्न तक)

2—(5 बजे अपराह्न)।

(1) वित्तीय वर्ष 1984-85 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 1980-81 के अतिरिक्त अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।

(3) कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क का राज्य में विनियमन सम्बन्धी सरकारी संकल्प का सदन में प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार।

12 सितम्बर, 1984, बुधवार

1—वित्तीय वर्ष 1984-85 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2—वित्तीय वर्ष 1980-81 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः-स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3—ओवरा तापगृह में 23 अगस्त, 1984 को हुए गोली काण्ड से राज्य के विद्युत् कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री मुख्तार अनीस तथा श्री रियासत हुसैन, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा। —(एक घन्टा)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा

की गई सिफारिश जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

कल प्रातः 9 बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जा रही है आपको इसके लिए सूचना जा रही है ।

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना इस प्रकार है । उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में सदन द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मुझे इस सत्र में उक्त निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित करनी थी । तदनुसार मैंने इस हेतु शुक्रवार, 14 सितम्बर, 1984 की तिथि निर्धारित की है । अतः उक्त निर्वाचन अब 14 सितम्बर, 1984 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 9(2) के अनुसार उपाध्यक्ष-पद के लिए नाम-निर्देशन-पत्र नियमानुसार गुरुवार, 13 सितम्बर, 1984 को मध्यान्ह 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं । नाम-निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जा रहा है ।

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा पर सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

1--नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	दिनांक 12-9-84 को 4.00 बजे अपराह्न तक
2--नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक 13-9-84 को 2.00 बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
3--नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	दिनांक 14-9-84 को 4.00 बजे अपराह्न तक
4--निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	दिनांक 18-9-84 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपरान्ह 4.30 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय विधान सभा, लखनऊ में होगा ।

उपर्युक्त निर्वाचन सम्बन्धी नाम निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय, विधान सभा सचिवालय से प्राप्त किए जा सकेंगे ।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय विशेष प्रतिवेदन†

श्री गोवर्धन तिवारी--

माननीय, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय

†छापा नहीं गया ।

विशेष प्रतिवेदन, जो प्रदेश सरकार के अनुपूरक अनुदान साहित्य को परिवर्तित रूप में तैयार किए जाने के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धीकरण (छठा संस्करण) के करण संख्या 68 (1) के अंतर्गत वर्ष 1983–84 के प्राक्कलन समिति के सभापति द्वारा माननीय अध्यक्ष को दिनांक 30 जुलाई, 1984 को, जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, प्रस्तुत किया गया था ।

दिनांक 21 मार्च, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

श्री यशपाल सिंह--

[अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21–3–83 को श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जो 4 लाख का बीज खरीदा गया आलू का उसमें 6 हजार का भुगतान रुक गया था, जो कर दिया गया, तो इसका भुगतान कब किया गया ।"

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "सम्मानित सदस्य जरा ध्यान दें । यह भुगतान का विवरण, तारीख भी दूंगा, रुपया भी देते चले जायेंगे, 7–3–75 और 12–3–75, दो बीजक प्राप्त हुए 10 लाख 4 हजार 344 और 13 हजार 455 रुपये के और टोटल भुगतान कर दिया गया 31–3–75 को । फिर बीजक प्राप्त हुआ 11–3–75 और 19–3–75 को । 11 हजार 888 रुपये और 44 हजार 844 रुपये, टोटल भुगतान कर दिया गया 31–3–75 को। 19–3–76 और 19–3–76 दो बीजक प्राप्त हुए 28 हजार 309 और 3 हजार 528 रुपये, इसका टोटल भुगतान...।"

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :—

"सम्मानित सदस्य, जरा ध्यान दें, यह भुगतान का विवरण, तारीख भी दूंगा, रुपया भी देते चले आयेंगे दिनांक 7–3–75 और 12–3–75 को दो बीजक प्राप्त हुए 1 लाख 4 हजार 344 और 13 हजार 455 रुपये के और टोटल भुगतान कर दिया गया 31–3–75 को । फिर बीजक प्राप्त हुआ 11–3–75 और 19–3–75, 11 हजार 888 रुपये और 44 हजार 844 रुपये टोटल भुगतान कर दिया गया 31–3–75 को 19–3–76 और 19–3–76, दो बीजक प्राप्त हुए 88 हजार 304 और 3 हजार 528 रुपये इसका टोटल भुगतान ।"

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 154 पर)

दिनांक 21 मार्च, 1984 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

[अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21–3–84 को श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था, कि

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

"मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से आधार है जिस पर केन्द्र सरकार को सिफारिश किया और क्या सिफारिश किया है, यह गोपनीय नहीं है, इसका उत्तर दिलवा दें।"

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, आधार के बारे में मैंने कहा कि वह गोपनीय रहते हैं। केवल गेहूं के भाव ही गोपनीय नहीं रहते हैं। सम्भवतः माननीय सदस्य जानते होंगे कि केन्द्र सरकार जब शुगर की प्राइस घोषित करती है, किस आधार पर करती है, उसके आधार सदैव गोपनीय रहते हैं। जो घोषित मूल्य हैं उसके गोपनीय का प्रश्न नहीं है। हमने जो मूल्य संस्तुत किया था वह 156 रुपये था।"

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :--

"मान्यवर, आधार के बारे में मैंने कहा कि वह गोपनीय रहते हैं। केवल गेहूं के भाव ही गोपनीय नहीं रहते हैं। संभवतः माननीय सदस्य जानते होंगे कि केन्द्र सरकार जब शुगर की प्राइस घोषित करती है, किस आधार पर करती है, उसके आधार सदैव गोपनीय रहते हैं। जो घोषित मूल्य हैं उसके गोपनीय का प्रश्न नहीं है। हमने जो मूल्य संस्तुत किया था वह 190 रुपये था।"]

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 155 पर)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री मोहन सिंह--

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर) मान्यवर, मैंने एक आपत्ति आपके पास भेजी है। इस सदन में माननीय आजम खां...

श्री अध्यक्ष--

अभी वह नहीं आया है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 4 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समिति को, अपना प्रतिवेदन वर्तमान सत्र के प्रथम दिन तक प्रस्तुत करना था,

और चूंकि उक्त समिति इस अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है,

अतः यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दो माह के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि--"चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 4 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार

उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समिति को, अपना प्रतिवेदन वर्तमान सत्र के प्रथम दिन तक प्रस्तुत करना था,

और चूंकि उक्त समिति इस अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है,

अतः यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दो माह के लिए बढ़ा दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिए गठित समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "चूंकि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को पारित प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 13 फरवरी, 1984 को राज्य विधान मन्डल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिए गठित जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र के प्रथम दिन तक है, और चूंकि समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय, विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।"

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि इस समिति को 6 महीने का समय दिया गया था।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नियम 284 (2) की ओर, जिसको आपको देख लें।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, आप मेरा निवेदन सुन लें। नियमों में लिखा है लेकिन नियमों के विपरीत प्रस्ताव मंत्री जी ने प्रस्तुत कर दिया। इस सदन ने एक समिति बनायी जिसको समय के अन्दर काम पूरा करना था। सदन के समक्ष घटना हुई, जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट देगा तो चूंकि घटना कोई हुई नहीं, इसलिए समिति को 6 महीने तक कोई साक्ष्य में सबूत मिले नहीं। हमारे सामने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनकी पार्टी ने दो-दो दृष्टांत प्रस्तुत किये जैसे पश्चिमी बंगाल और जम्मू-कश्मीर में और वहीं पर पीठासीन अधिकारी की गरदन पकड़ कर बाहर कर दिया। इसलिए संसदीय प्रक्रिया में यदि घटना सदन में होती और मान्यता होती तो वही दृष्टांत हो जाता। मेरी समझ में श्री मुहम्मद आजम खां ने कोई ऐसी वारदात नहीं की थी। यह सदन के समक्ष घटना थी, 6 महीने समिति को काम करते हो गया, उसके समक्ष कोई ऐसी बात नहीं आयी कि माननीय सदस्य ने कोई अनुशासनहीनता किया। इसलिये मैं समझता हूं कि यह समिति निरर्थक है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए सदन की ओर से इस प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को आगे न दें और आप इसको अनुमति न दें। यदि आपने अनुमति दे दिया मंत्री की मेड-इन-स्पीच के जरिये तो उनका सम्मान करता हूं। मैं पुनः सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को अनुमति "आगे बढ़ाने की" न दी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं भी इस प्रस्ताव के विरोध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में कहें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, श्री मोहन सिंह जी ने संशोधन दिया था लेकिन मैं तो इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि श्री मुहम्मद आजम खां के खिलाफ जो कमेटी का गठन हुआ था, मैंने उस दिन भी यह बात कही थी कि सत्तारूढ़ दल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके खिलाफ जांच समिति गठित किया और उसको काम करने के लिए 6 माह का समय दिया लेकिन 6 महीने काम करने के बाद भी उनके खिलाफ कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं हुआ वरना कमेटी रिपोर्ट दे देती, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। और यह भी सदन को सोचना चाहिये, मैं श्री मोहन सिंह के तर्कों को दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए करना चाहूंगा कि सब लोग जानते हैं, कि सदन का सम्मान हम सब के ऊपर है और सदन की गरिमा पर बट्टा नहीं आना चाहिये। लेकिन जानबूझकर सदस्य को बदनाम करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिये, लांछित करने के लिये, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम किया जाय तो उसका विरोध करना हम सब का कर्तव्य हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैं उस दिन मौजूद था, जिस दिन का यह वाकिया है। वह तो उस दिन इतने मोहब्बत से बात हुई थी कि जिसका कोई अंदाज नहीं। मुहम्मद आजम खां साहब ने हाथ बढ़ाया और गवर्नर साहब ने हाथ बढ़ाया और इस पर उन्होंने थमा दिया, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या गलती आजम खां ने किया और क्यों उनकी सजा दी जाए और क्यों उस पर विचार किया जाए।

दूसरी बात यह है कि जब इतना अरसा गुजर गया है। उस समय के मुख्य मंत्री इनसे नाराज थे, वह इनकी प्रेशराईज करना चाहते थे, इसलिए उन पर उन्होंने और उनकी पार्टी ने इस तरह का इल्जाम लगा दिया। अब नारायण दत्त तिवारी जी उनके बाद नये मुख्य मंत्री होकर आ गये हैं और मैं समझता हूं कि उनके अन्दर आजम खां के प्रति कोई बदले की भावना नहीं होगी और ऐसी भी उनकी नीयत नहीं होगी कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, इनके साथ ही उनका कोई गड़बड़ी का मामला भी नहीं है। तो मैं इसका बड़ा भारी विरोध करता हूं। यह प्रस्ताव जो माननीय राम रतन सिंह ने रखा है, मैं इसका विरोध करता हूं और जो प्रस्ताव मोहन सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर इस पर इस तरह की कोई कार्यवाही होती है तो इसकी कोई हद ही नहीं रहेगी, मामला कहां से कहां पहुंच जाएगा। बात कहां से कहां पहुंच जाएगी।

जिक्र आया जो कल कयामत का,
बात पहुंची तेरी जवानी तक। यदि ऐसा होने लगेगा तो फिर आजम खां के साथ बहुत सख्त ज्यादती हो जाएगी। यों तो ऐसे ही विरोधी दल के साथ होता रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, इनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है उन्हें नुकसान या क्षति पहुंचाने के लिए । उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है ।

है जुल्मतेरा आम मगर,

फिर भी सितमगर,

मखसूस यह अन्दाजे,

जफा मेरे लिए है ।

लिहाजा मेरा यह प्रस्ताव है कि यह जो प्रस्ताव राम रतन सिंह जी ने रखा है, इसको रद्द कर देना चाहिए और इनको मुक्ति दी जाए, इनको आजाद कर दिया जाए

(व्यवधान)

हालांकि इनके साथ बहुत जुल्म ढ़ाया गया है, फिर भी शेर का बच्चा कभी डरता नहीं है । अंग्रेजी का एक पुराना मकूला है--ए लिपर्ड कैन नाट चेन्ज इट्स स्पोट्स, यानी एक शेर बच्चा अपने खाल के निशान को कभी बदल नहीं सकता है । वह रामपुर का शेर है, लिहाजा उसको इस कदर न दबाइये, दबाने की कोशिश न कीजिए और काम को सही तरीके से करने दीजिए, ताकि कोई रुकावट न हो और कोई इस तरह का झगड़ा न हो, वरना यह होगा जो इस शेर में अर्ज है :

बहुत पछताओगे जब एक

आलम को खबर होगी,

अभी तो शिकवये जोरों

जफा मेरी जबां तक है ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय, जो शेर हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा, उसी पर अर्ज है :--

यह दोस्त बता दूं तुझको,

तेरा दर्द है तन्हा,

मेरा दर्द, दर्द जमाना ।

*श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय, अभी फखरे आलम साहब ने जो शर कहा, उसी पर माननीय मुख्य मंत्री ने भी जवाब दिया। इसलिए दो शेर मैं भी कहता हूं :

हाथ रख लेता है कानों पर

तेरे नाम के साथ,

कुछ दिनों और रहा

गर यही हालाते चमन,

बैठ सकता नहीं,

सय्याद भी आराम के साथ।

माननीय, मैं इस समिति के सिलसिले में, क्योंकि यह मेरे मुताल्लिक है, सही है या गलत है यह मैं नहीं कहना चाहता, सत्तापक्ष ने सही समझा है इसलिये सही होगा । उस दिन क्या हुआ पूरा सदन जानता है । आपसे छीना झपटी हुई यह आप जानते हैं । मैंने यह कहा था, आप भी शायद चाहते थे मैंने हाथ बढ़ाया और आपने कागज दे दिया और बात खत्म हो गयी । लेकिन अब स्थिति यह है कि समिति के पत्र आते हैं मैं उनका जवाब देता हूं लेकिन मुझे मेरे जवाब के सिलसिले में कोई जवाब नहीं मिलता, समिति एक नया पत्र भेज देती है । क्योंकि उस वक्त राज्यपाल महोदय और आप भी मौजूद थे और इस सारे प्रकरण में राज्यपाल महोदय का और आपका अहम रोल है लिहाजा इस मामले में सदन में राज्यपाल महोदय को बुलाया जाय क्योंकि आप दोनों की हैसियत गवाह की है । लिहाजा मुझे हक दिया जाय कि मैं राज्यपाल महोदय से और आपसे जिरह कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष--

जो समिति आपके सम्बन्ध में बैठी है उसके बारे में ऐसी कोई बात न कहें। यह हमारे नियमों का उल्लंघन है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं समिति के बारे में नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि समिति की कार्यवाही से या लिये जाने वाले ऐक्शन से मुझे डर नहीं है। इसलिये कि जब मैं इस कमेटी के गठन के फैसले के बाद रामपुर पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पर मुझे रिसीव करने वालों की इतनी भीड़ थी जितनी मेरे इलेक्शन की जीत में नहीं थी। लिहाजा मेरे खिलाफ कमेटी सख्त से सख्त ऐक्शन या आखिरी फैसला ले सकती है। एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो सही बात कहता है। उसकी बात को दबाने के लिये समिति अगर कोई ऐक्शन लेना चाहती है तो ले। चन्द दिनों का वक्त है। लिहाजा मैं यह इनवाइट करूंगा कि आप जल्द से जल्द मेरे खिलाफ कोई ऐक्शन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मोहन सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय फखरे आलम और माननीय मुहम्मद आजम खां की बातों को सुना, सुनने के बाद, जैसा मैंने निर्णय लिया था, नियम 284(2) के अन्तर्गत यह नहीं आता है इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

प्रश्न यह है कि चूंकि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को पारित प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 13 फरवरी, 1984 को राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिये गठित जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र के प्रथम दिन तक है, और

चूंकि समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है,

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय, विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की है। दूसरी सूचना, श्री किरनपाल सिंह की है। तीसरी सूचना, श्री जटाशंकर सिंह तथा श्री बलवीर सिंह (रामपुर) की है। यह सूचनायें एक ही विषय के सम्बन्ध में हैं। एक सूचना श्री दिवाकर विक्रम सिंह की है, माननीय शंकर सिंह श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राधे श्याम वर्मा, श्री जितेन्द्र शाह, श्री सुरेश दत्त पालीवाल की भी एक सूचना है। आगे श्री मुख्तार अनीस की सूचना है, इसी सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरुलबशर, श्री रियासत हुसैन, श्री भोखालाल, श्री राम स्वरूप वर्मा तथा श्री यदुनाथ सिंह की सूचना है। इसके अतिरिक्त श्री जनार्दन प्रसाद ओझा श्री हरिवंश सहाय, श्री भीखा लाल, श्रीमती गौरी देवी, श्री श्याम नारायण तिवारी की सूचना है। आगे श्री चंदन सिंह एवं श्री राम स्वरूप निम, श्री सत्यपाल सिंह, श्री प्रभू नारायण सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री बंजनाथ प्रसाद कुशवाहा तथा श्री राधेश्याम पटेल की है। आखिरी सूचना श्री राम स्वरूप निम की है।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मेरा नाम आप भूल गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका भी नाम है।

मैंने इन सूचनाओं को अच्छी तरह से देखा है। फिलहाल मैंने श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री किरनपाल सिंह, श्री जटा शंकर सिंह तथा श्री बलवीर सिंह को सुनने के लिये आज्ञा दी है।

*श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, यूं तो हमारे देश और प्रदेश की शिक्षा नीति हमेशा ही आलोचना का विषय रही है। मान्यवर, दिशाहीन शिक्षा नीति के चलते-चलते हमारे नवयुवकों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। शिक्षा नीति की बात तो अलग छोड़ दीजिए, आज हमारे प्रदेश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली चरमरा गयी है तथा ध्वस्त हो गयी है। पिछले वर्ष अप्रैल माह में इलाहाबाद बोर्ड में लगभग 16-17 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा बोर्ड द्वारा ली गयी। विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष शिक्षकों के हड़ताल का सामना किया। शिक्षकों के अभाव में और किताबों और कापियों के अभाव में शिक्षा पाई व परीक्षा दी और यह सरकार और इनका इलाहाबाद बोर्ड पूरा रिजल्ट नहीं घोषित कर पाया। अपूर्ण रिजल्ट घोषित होने के कारण विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में असंतोष व्याप्त हुआ। इस वजह से प्रदेश के डेढ़ लाख छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया और उनको किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला।

मान्यवर, जो मार्क्स-शीट या अंकतालिका लेना चाहता है, उसको शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद जाना पड़ता है। वह एक मार्क-शीट के लिए इलाहाबाद बोर्ड कार्यालय में कर्मचारियों को पैसा देकर अंक तालिका प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान होगा कि सन 1977 से हमारे प्रदेश के परीक्षार्थियों को सनद या जिसको प्रमाण पत्र कहते हैं, वह भी उत्तर प्रदेश के किसी भी विद्यालय में वितरित नहीं हुआ है। किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कन्वोकेशन 1978 से डिग्रियां बांटने के लिए इस प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ है। मान्यवर, जो रिजल्ट विद्यार्थियों का घोषित किया गया है, वह अपूर्ण घोषित किया गया है। मान्यवर, जो रिजल्ट घोषित किया जाय, वह पूर्ण घोषित किया जाय। ऐसा न करने से पूरे प्रदेश में छात्रों और अभिभावकों में रोष व असंतोष का वातावरण फैला हुआ है। अपूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित होने के कारण उनको अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाया है और न ही किसी भी नौकरी के लिए आवेदन कर पाये हैं। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बुलवाकर उनसे स्पष्टीकरण दिलवायें तथा इस पर व्यापक चर्चा करायें, जिससे अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो सके और कठिनाई का निवारण हो सके।

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत मैंने दिया है। यह महिलाओं का मामला है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कुंवर सिंह नेगी जी को बुला लिया है। आप बैठ जाइये।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, यू0 पी0 बोर्ड ने अभी तक जो हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के छात्र परीक्षा में बैठे थे, हाई स्कूल के छात्रों के लगभग ढाई लाख परिणाम घोषित नहीं किये हैं और इण्टरमीडिएट के डेढ़ लाख परीक्षार्थियों के परिणाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुके हुए हैं। लगभग ढाई लाख छात्रों का भविष्य कम्प्युटर की गलतियों से अधर में रुका हुआ और 60 प्रतिशत परीक्षाफल रुका हुआ है। मान्यवर, प्रदेश के सारे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और इतने समय बाद अभी तक परीक्षाफलों की घोषणा नहीं हुई और जो उनमें गड़बड़ी हुई, उनमें सुधार नहीं हुआ। प्रदेश की सूचनाएं हैं कि अनेक जनपदों में मेधावी छात्रों ने, जिन्हें प्रथम श्रेणी में आना था, इस प्रकार की वजह से, उनको जब यह बताया गया कि परीक्षा में फेल हो गये, तो मान्यवर, कितने छात्रों ने आत्म हत्यायें कर लीं। इससे अभिभावकों और यहां के छात्रों में बड़ा रोष है।

मान्यवर, अभिभावक, छात्रों तथा अध्यापकों में अत्यन्त रोष है। अध्यापकों की छवि बिगड़ रही है कि सारे विद्यार्थी फेल हैं, परीक्षाफल न्यून है। प्रदेश का छात्र बहुत परेशान है। उसके अन्दर बहुत ही असन्तोष है। यह महत्वपूर्ण विषय है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का है। इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये ताकि इस समस्या का कोई निदान निकल सके तथा परीक्षाफल ठीक ढंग से घोषित हो सके।

श्री अध्यक्ष--

मैं आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि यह विषय नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा में लगा हुआ है। इसलिए इसको समाप्त कीजिये। नियम 52 में चर्चा होगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रदेश के सारे बुनकर परिवार का भुखमरी से उत्पन्न स्थिति पर नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की है। पिछले 5 महीनों में सूत का दाम जिसे खरीद कर बुनकर धोती बनाता है, 20-25 प्रतिशत बढ़ गया है लेकिन हथकरघा विकास निगम जो धोतियां खरीदता है, उसके दाम में एक भी पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जिसके कारण पहले बुनकर को धोतियां बेचने में जो लाभ होता था अब नहीं हो रहा है बल्कि उन्हें नुकसान हो रहा है। सूत की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। बुनकर चाहे गोरखपुर का हो, बस्ती का हो या आजमगढ़ का हो सब भुखमरी की कगार पर हैं। उनके सामने भयंकर स्थिति है। अतः मैं मांग करता हूं कि इस अहम समस्या पर आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष--

उद्योग मंत्री जी नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री आप कुछ कहेंगे। भविष्य में इस बात का ध्यन रखा जाय कि जो नियम 56 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना आती है, जहां तक सम्भव हो सके, सम्बन्धित मंत्रियों को उत्तर देने के लिए रहना चाहिये। अगर वह अपर हाउस में है या अस्वस्थ है या कोई बहुत जरूरी काम है, उसको छोड़ कर नियम 56 में या औचित्य के जो प्रश्न हैं उस विषय पर सम्बन्धित मंत्री को रहना चाहिये ताकि जवाब दे सकें।

श्री शंकर सिंह--

यों तो इस प्रदेश में...

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आकर्षित किया। बाढ़ को देखने के लिए सिंचाई मंत्री गये हैं, इसलिए वह यहां नहीं हैं। जहां तक सम्मानित सदस्य ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, सूत और धागे के बारे में। सम्मानित सदस्य जानते हैं कि रुई की पैदावार कम होने के कारण सूत की कीमत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, जो विचार सम्मानित सदस्य ने रखे हैं, मैं उस पर उद्योग मंत्री से परामर्श करके, मंत्रिपरिषद् में परामर्श

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके जो कार्यवाही हो सकती है यथा शीघ्र करने का प्रयास करूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष, एक मिनट का मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दीजिएगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, सुन लें । मान्यवर, सूत का दाम बढ़ गया है । हथकरघा विकास निगम द्वारा जो धोतियां खरीदी जा रही हैं उनके मूल्यों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । हथकरघा विकास निगम द्वारा कंट्रोल रेट पर सूत उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । जो जिले-जिले म डिपो स्थापित होने वाले थे वह नहीं हुए हैं । सूती धोती उसी पुराने रेट में बिक रही है ।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा इसको जल्दी समाप्त करें । उसके बाद बाढ़ और सूखे पर भी चर्चा होनी है ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आज प्रदेश में आए दिन हत्यायें हो रही हैं हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं । हरिजनों को बन्द करके जलाया जा रहा है । पुलिस के दल की हत्यायें हो रही हैं । इस तरह की घटनायें प्रदेश में हो रही हैं । आप भी इस बात को जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन जो 25/26 तारीख को भरुआ सुमेरपुर कस्बे में जो नागा स्वामी, जो रोटी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं उनको प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है । लाखों लोग उनको जानते हैं, बुन्देलखंड में लाखों व्यक्ति उनके भक्त हैं, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गयी जो हत्या बाबा जी की हुई है, उसके दो दिन पूर्व ही प्रशासन को यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया था कि उनको दुश्मनी है । मान्यवर, आश्रम में जो तपोभूमि है वहां पर चार आश्रम हैं, वहां के कुंए में जहर डाल दिया गया । मान्यवर, उन्होंने व्यूह रचना की थी कि जहर का पानी पिऐ लेकिन इसकी जानकारी सी० एम० ओ० को हो गई थी और उन्होंने जहर निकलवाया पुलिस भी वहां गई । आश्रम के सभी भक्त-जनों ने कहा यह जहर कैसे पड़ा ? इसमें क्या षड़यंत्र है ? इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । दो दिन बाद ही बाबा जी की हत्या हो जाती है मैं समझता हूं प्रदेश में जो हत्यायें हुई हैं आज तक जितने प्रदर्शन हुए हैं, उनमें जितने भक्तों ने वहां श्रद्धांजलि दी, लाखों व्यक्ति रोये, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश में ही नहीं देश में भी अद्वितीय है । वहां रेलें जाम की गयी, रास्तों को रोका गया, प्रदर्शन हुए, यह इसलिए क्योंकि यह प्रशासन हत्यारे का पता नहीं लगा सका ।

मान्यवर, वहां के लोगों को सी० आई० डी० पर विश्वास नहीं है उन्होंने कहा सी० बी० आई० से जांच करा लें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । इसी बात को लेकर थानों का घेराव हुआ लेकिन आज तक सी० बी० आई० को जांच नहीं दी । मान्यवर, एक जगन्नाथ नाम के व्यक्ति ने आत्मदाह भी किया लेकिन सी० बी० आई० को जांच नहीं दी गयी । मान्यवर, उनको हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है, इसलिए इस मामले को सी० बी० आई० को दिया जाए । इसमें लाखों श्रद्धालुओं की भावनायें जुड़ी हुई हैं । मान्यवर, इसमें सी० बी० आई० से जांच अवश्य होनी चाहिए । मान्यवर, वहां के सम्पूर्ण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भक्तगत का कहना है कि विधान सभा सत्र में सी0 बी0 आई0 की जांच की घोषणा नहीं होती है तो वहां पुनः बहुत बड़ा आन्दोलन छिड़ जायेगा। यदि इसमें कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन पर होगी मान्यवर, या तो यह घोषणा करें कि सी0 बी0 आई0 के जांच करा ली जाएगी। अन्यथा इस बिन्दु पर चर्चा करावें ताकि तथ्य सामने आ सकें।

* श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय चौधरी शंकर सिंह जी ने जो रोटी बाबा की हत्या के सम्बन्ध में जानकारी दी है, इससे मैं पूरी तरह सहमत होते हुए दो बातें बताना चाहता हूं। एक यह कि जिला प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम कराये हुए ही उनकी समाधि लगवा दी। बाद में जब आशंकाएं व्यक्त की गयीं और प्रदर्शन हुए तो 15 दिन के बाद उनकी समाधि को पुनः खोला गया और उसका शव विच्छेदन कराया गया। महराज जो पूरे बुन्देलखंड के देवता थे और पूरे उत्तर भारत में उनके करोड़ों श्रद्धालु हैं। अभी तक शासन की ओर से जो आश्वासन दिया गया है और जो बातें कही गयी हैं, मेरी मांग है कि उनको एकत्रित करके इस पर चर्चा करा दी जाय। महाराज रोटी बाबा पैसा नहीं लेते थे, हाथ से छूते नहीं थे लेकिन उन पर लाखों रुपया चढ़ता था, ऐसी चर्चा है। वहां के लोगों का शक वहां के राजनीतिक जीवन के लोगों पर है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं इस पर बल देते हुए चर्चा की मांग करता हूं।

*गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, मैं उनकी भावनाओं से अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि इसकी सी0 आई0 डी0 से विवेचना चल रही है और सी0 बी0 आई0 की जांच के लिए हमने भारत सरकार को लिखा है, जैसे ही स्वीकृति आ जायेगी, जांच प्रारम्भ हो जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[×××]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह मामला हमारे राज्य से सम्बन्धित नहीं है। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। एक शब्द नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

[×××]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, एक भी शब्द नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

नियम-56 के अन्तर्गत मुझे 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सर्वश्री दिवाकर विक्रम सिंह, भीखालाल, श्रीमती गौरी देवी, श्यामनरायन तिवारी, चन्दन सिंह और श्री सत्यपाल सिंह की सूचना पर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित किया है। श्री शंकर सिंह जी की सूचना को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। शेष सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(इस समय विरोध पक्ष के सदस्य 'रामाराव जिन्दाबाद' के नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान पैदा हो गया)

[2 बजकर 30 मिनट]

सदन को आधे घन्टे के लिए स्थगित किया जाता है ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर सदन आधे घंटे के लिये स्थगित हुआ । 3 बजे मार्शल ने सदन के 15 मिनट और स्थगित किये जाने की सूचना दी । 3 बजकर 15 मिनट पर सदन के 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी । 3 बजकर 30 मिनट पर मार्शल द्वारा सदन के 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना दी गयी । 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कार्य स्थगन की सूचना दी थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ जो आन्ध्र प्रदेश में हो रहा है और जिस तरह से आन्ध्र प्रदेश और काश्मीर के मुख्य मन्त्रियों को बहुमत होते हुए भी निकाला जा रहा है और यह सब श्रीमती इन्दिरा गांधी की शह पर हो रहा है, इसके परिणामस्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में क्षोभ व्याप्त हो रहा है । 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए, घेराव हुए और जुलूस निकाले गये । मैं चाहता हूं कि इस पर आप हम लोगों को सुन लें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि जिस तरह से प्रजातान्त्रिक प्रणाली को बदला जा रहा है, सदन में निर्णय करने का आपको अधिकार है और उसके जरिये यह किया जा रहा है । हमने आशा की थी कि उन चीजों पर आप थोड़ा हमको बोलने का मौका देंगे, अपने भावों को व्यक्त करने का हमें मौका देंगे । सदन की परम्परा है और उस परम्परा का पालन न किये जाने के विरोध में कि जो आप हमें यहां बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में हम अपने दल के साथ वाक आउट करते हैं ।

श्री खैरुल बशर--

'दुनियां के हत्यारो मुर्दाबाद' ।

(श्री राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में केवल श्री श्याम नारायण तिवारी को छोड़कर सम्पूर्ण विपक्षी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये) ।

प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

*राजस्व मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

अध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ और सूखे पर आपने जो यह चर्चा रखी है, यह समय इसके लिये बहुत उपयुक्त है । जो मैं उपयुक्त कह रहा हूं वह इसलिये कि हमारे माननीय विधायक गण अपने-अपने क्षेत्रों से आये हैं उनको पूरी जानकारी है अपने क्षेत्र के बारे में । इसलिये वहां पर जो काम हो रहा है या उसमें जो कमी है सबके बारे में वे अपने सुझाव और अपनी राय हमें दे सकेंगे । इसलिये यह समय बड़ा ही उपयुक्त समय है ।

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, हमारे प्रदेश में बाढ़ का सिलसिला हर साल बना हुआ है जो कि जून से लेकर सितम्बर तक या फिर कभी-कभी अक्टूबर तक भी बना रहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती रहती है। हमने इस वर्ष बाढ़ का मुकाबला करने के लिये 30 अप्रैल, 1984 को एक परिपत्र जिलाधिकारियों को भेजा था और उनको विस्तार से हिदायत दी गयी है कि वे किस तरह से बाढ़ आने पर बाढ़ से पीड़ित जनता को राहत प्रदान कर सकते हैं।

इस समय हमारे प्रदेश के 33 जनपद ऐसे हैं जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं। जो जनपद अधिक प्रभावित हैं पूरे प्रदेश में बाढ़ से उनमें विशेषकर 33 जिले आते हैं। मान्यवर, 35 जिलों में हमने बाढ़ को रोकथाम के लिये, उन लोगों को जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उस जनता को राहत देने के लिये हमने धन का आवंटन किया है। अब तक हम 7 करोड़ 39 लाख रु0 जिलों को दे चुके हैं और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अगर वे बाढ़ से पीड़ित हैं, लोग ज्यादा परेशान हैं तो यहां से धन की मांग कर सकते हैं। जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं और जो क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हैं वहां के लोगों के लिये हमारे अधिकारी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हम बाढ़ पीड़ितों को 250 रु0 की अहेतुक सहायता के रूप में धन आवंटित करते हैं ताकि वे अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकें और अपनी गुजर-बसर कर सकें।

संभावित बाढ़ के बारे में जो मैंने कहा, 30 अप्रैल को एक परिपत्र जारी कर चुके हैं, हमने राहत केन्द्रों की स्थापना की बात उसमें कही थी, पम्पिंग सेटों की व्यवस्था करने और जल मग्न क्षेत्रों से मनुष्यों और पशुओं को निकालने की बात थी। नावों की व्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा व बांधों की मरम्मत, नालों की सफाई, बाढ़ सुरक्षा योजना की तैयारी राहत सामग्री वितरण के सम्बन्ध में विधायकों और सांसदों के परामर्श और निर्देशों के अनुसार काम करने के आदेश दिए गए थे और यह आशा की जाती थी कि सांसदों और विधायकों के सहयोग से राहत का कार्य सन्तोषजनक रूप से चलेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज बाढ़ पर डिसकशन है। यहां पर यह परम्परा रही है कि जब बाढ़ और सूखे पर बहस होती थी तो सारे प्रदेश से सूचना जिलेवार मंगाकर वितरित कर दी जाती थी, तब डिसकशन होता था। यह मौका पहला है कि कोई सामग्री वितरित नहीं की गयी है। मेरी व्यवस्था है कि आप उसको दिलवा दें जिससे हमको बहस में ठीक प्रकार से भाग लेने का मौका मिल सके। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री भीखा लाल--

अभी माननीय मन्त्री जी कोई कागज दिखा रहे थे, तो क्या उसको शासक दल में बांट दिया है और हम उससे वंचित रह गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

जो विवरण मन्त्री जी दे रहे हैं, उसको आप सुनें।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मेरा भी निवेदन सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

जो विवरण माननीय मन्त्री जी दे रहे हैं उसको मान लीजिए।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह चर्चा है, वक्तव्य नहीं है। वक्तव्य की प्रतियां वितरित की जाती हैं। यह चर्चा है, जो कुछ मैं कह रहा हूं वह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। अगर आपको कोई शिकायत है आपको कोई सुझाव देना है तो उनको आप बता दें, हम उनको सुनेंगे और उन पर अमल करने का प्रयास करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी आप अपना बयान जारी रखें ।

श्री खैरुल बशर--

इस सरकार को मजबूरी स्वीकार कर लीजिए ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सहायता के लिए जिला प्रशासन को 12 कम्पनियां पी० ए० सी० की दी गयी हैं । वह 12 कम्पनियां बाढ़ से बचाने और राहत के काम में प्रशिक्षित हैं । बरेली मुरादाबाद आगरा कानपुर में एक-एक कम्पनी, गोरखपुर में दो कम्पनियां और इलाहाबाद और वाराणसी में 3-3 कम्पनियां दी गयी हैं जो बाढ़ के समय लोगों की सहायता कर सकें । इसके अतिरिक्त शासन ने सेना के अधिकारियों से भी बात की है ताकि जब स्थिति बिगड़ने लगे तो सेना की मदद ली जा सके । आप बीच-बीच में टोकते हैं । यह ठीक नहीं है । हमने जो व्यवस्था की है उसको सुनें । उसमें कमी हो तो बतायें । मान्यवर, जो जो विभाग बाढ़ से सम्बन्धित है उनको निर्देशित कर दिया गया है । वे मौके पर बाढ़ पीड़ित जनता की सेवा के लिये तैयार रहते हैं । उनको आदेश दे दिये गये हैं । उनमें खाद्य विभाग है जिसको खाद्य सामग्री पहुंचानी है, स्वास्थ्य विभाग है जिसको वहां पर जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा सुश्रूषा करते रहते हैं, पशुपालन विभाग का भी वहां पर प्रबन्ध है, गृह-विभाग भी है । इस तरह से जितने भी विभाग हैं उन सब को बाढ़ पीड़ितों की सेवा का काम करना पड़ता है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । सिंचाई विभाग का एक नियंत्रण कक्ष है और एक नियंत्रण कक्ष हमारे राजस्व विभाग का है जो चौबीसों घन्टे खुले रहते हैं ताकि जिलों से उनका सम्पर्क बना रहे और जिलों से बाढ़ से सम्बन्धित जो भी सूचना हो, वह हमें मिल सके और इमरजेन्सी में काम हो सके ।

श्री रियासत हुसैन--

नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुला रहता है लेकिन उसमें काम करने वाले लोग सोये रहते हैं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सिंचाई विभाग का जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है वह बाढ़ से सम्बन्धित सूचना एकत्र करके विभिन्न विभागों को रिपोर्ट देता रहता है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप दोनों स्पीकर्स एक साथ मिला कर बोलें ताकि सदस्यों को अच्छी तरह से सुनाई दे सके ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, समय-समय पर इसकी समीक्षा होती रहती है कि बाढ़ प्रभावित जिलों में क्या काम हो रहा है और क्या प्रगति है । इसकी समीक्षा समय-समय पर मुख्यालय में भी की जाती रहती है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

एक जनपद का नाम लेकर बता दें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य इस तरह की बात नहीं कर सकते ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

22 जिलों में औसत से ज्यादा वर्षा हुई ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आप भाषण दे रहे हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के किसी

एक जनपद का नाम लेकर बतायें कि वहां पर इस तरह का काम चल रहा है । आप तो सामान्य बात बोलते चले जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण शुरू करने से पहले कुछ जिलों के नाम बताये हैं कि इतने जिले प्रभावित हैं । लिहाजा इस पर कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अगर माननीय सदस्य अपने-अपने जनपदों के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा । मैं तो अभी चर्चा को प्रारम्भ कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप व्यवस्था के सवाल का जवाब न दें, अपना बयान जारी रखें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मेरे पास हर जिले के सम्बन्ध में सूचना है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप संक्षेप में उनका जिक्र कर दें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, कुछ बातें मुझे और कहनी हैं । जहां अधिक बाढ़ आयी है और जितना नुकसान उससे हुआ है जैसे 50 प्रतिशत से अधिक जिन ब्लाकों और क्षेत्रों में हानि हुई है उनको वहां से जो राजस्व या दूसरे देय हैं, तीन महीने के लिये रोक दिया गया है । मान्यवर, पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है उन क्षेत्रों की लगान वसूली 3 महीने के लिए रोक दी जाय ।

अभी तक मान्यवर, 10 हजार 82 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जिनमें लोगों की संख्या 53,70,795 है । 18,646 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 158 मनुष्य और 243 पशुओं की मृत्यु हुई है । इस बाढ़ से घिरे हुए 2 लाख 2 हजार लोगों को नावों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 74 हजार जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है । हाल ही में जब माननीय मुख्य मंत्री जी बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ गये थे तो उन्होंने वहां की स्थिति को देखकर वहां सहायता के लिये बस्ती और गोरखपुर के लिए 25-25 लाख और आजमगढ़ के लिए 30 लाख

(व्यवधान)

रुपये आवंटित किये ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ध्यान से सुनें जब आपको बोलने का समय मिलेगा उस समय जवाब दें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तो बस्ती और गोरखपुर के लिए 25-25 और आजमगढ़ ले लिए 30 लाख रुपये तक आवंटित किये गये हैं । इस तरह से अब तक जो खर्चा हुआ है वह 7 करोड़ 39 लाख हुआ है । मुख्य रूप से जो प्रभावित जिले हैं गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, खीरी, गोंडा, बदायूं, बहराइच, फैजाबाद आदि । इसके अलावा हाल ही में परसों जब माननीय मुख्य मंत्री जी गोंडा, बहराइच जिलों के दौरे पर गये थे तो वहां के जनप्रतिनिधियों ने बच्चों की फीस माफी का सवाल उठाया था उस पर उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों को 50 प्रतिशत से अधिक बाढ़ से नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों के बच्चों की फीस वसूली 3 महीने के लिए रोक दी जाय ।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि बहराइच और गोंडा में बच्चों की पूरी फीस माफ होगी और मंत्री जी कह रहे हैं कि तीन महीने के लिए स्थगित कर दी गयी है। तो इन दोनों में से कौन सच है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्तार अनीस जी जब आपको बोलने का समय मिलेगा उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरी बात सुन नहीं पाये और बीच ही में खड़े हो गये मैंने कहा जिन क्षेत्रों में 50 परसेंट से अधिक नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों के बच्चों की फीस माफी का निर्णय लिया है और वह केवल तीन महीने के लिए है।

इसके अलावा बाढ़ की सूचना भेजने के लिए हमने वायरलेस सब-स्टेशनों की स्थापना की है ताकि खतरे की सूचना लोगों तक जल्दी और आसानी से पहुंच सके और उनको बाढ़ से बचाया जा सके।

श्री रियासत हुसैन—

मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उन्होंने हर रिलीफ के लिये 3 महीने चाहा है, जैसे फीस माफी हो या लगान माफ की बात हो, तो तीन महीने की अवधि जो निश्चित किया है, क्या वह 3 महीने का समय राजीव गांधी ने जो 10 हफ्तों में पार्लियामेंट के जो चुनाव होने की बात कही है वही है।

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो सूखाग्रस्त जिले हैं उनको भी हमने राहत जैसे लगान वसूली तीन महीने के लिये स्थगित कर दिया है और इसके साथ ही दूसरी चीजें भी वसूली को स्थगित कर दिया है, यह जहां 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों की बात है।

अंत में मैं अनुरोध करूंगा कि यदि कोई माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं जिनको नोट कर लेंगे और बाद में उन पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शांत रहें। एक घंटे का समय है। 5-5 मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात कहें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें सूखा और बाढ़ दोनों का जिक्र होना चाहिये था लेकिन मंत्री जी ने बाढ़ पर ही बोला है इसलिये सूखे पर भी उनसे कहलायें।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले श्री रियासत हुसैन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अपनी पुरानी परिपाटी के अनुसार आज सदन के समक्ष शासन ने अपनी तरफ से बाढ़ और सूखे में राहत सामग्री वितरण में जिलेवार क्या व्यवस्था किया है उसका कोई ब्यौरा यहां नहीं रखा, इसलिए हम मजबूर हैं कि अपने जिले और उसके आसपास की बातों पर प्रकाश डालें।

मान्यवर, इस बार पहली बार जुलाई के पहले हफ्ते में देवरिया में

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बाढ़ आ गयी । पीछे बैठे भूतपूर्व मंत्री 7 जुलाई को देवरिया दौड़े पर गये थे । वहां से जब लौटे 8 तारीख को तो गंडक नदी में बाढ़ आ गयी और उसके पानी से इतना जबरदस्त धक्का लगा कि बिहार बांध जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सीमा से लगा है, सरकार के हिसाब से वह बांध केवल 8 किलोमीटर टूटा और हम लोगों ने मौके पर देखा, चूंकि सिंचाई मंत्री गोरखपुर मंडल के रहने वाले हैं और जब वहां की डेढ़ करोड़ आबादी बाढ़ की भयंकर विभीषिका से तबाह थी तो कैसे मुख्य मंत्री की कुर्सी मिले मंत्री जी दिल्ली में मौजूद थे, इसलिए वहां जाने का अवसर उनके पास नहीं था । हम लोग जब उजड़ गये तो बड़ी मुश्किल से मंत्री जी देवरिया हेलीकाप्टर से उतरे और पडरौना से होकर वापस चले आये, हेडक्वार्टर जाने के लिए उनके पास समय नहीं था ।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

पडरौना में बाढ़ आयी थी ।

श्री मोहन सिंह—

बाढ़ तो पूरे जिले में आयी थी लेकिन पडरौना ज्यादा बाढ़ से ग्रसित था और वहां के विधायक आप थे । आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप सही बात बताते । तीन किलो-मीटर से अधिक का इलाका एक महीने से भी अधिक समय से आज भी पानी से ग्रस्त है और वहां पर आज भी पानी जमा हुआ है । वहां पर कोई भी राहत सामग्री नहीं है । अभी मैं सेवरही गया था। 9 तारीख को वहां पर बाढ़ आई और 24 तारीख को 16 दिनों बाद वहां पर केवल 4 किलो सामान ही प्रति राशनकार्ड दिया गया है । अभी राजस्व मंत्री कह रहे थे कि उन्होंने सबसे ज्यादा धन देवरिया को दिया है, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत है मैं तो मौके पर देखकर आया हूं, 8 तारीख से जो लोग 24 तारीख तक बाढ़ से घिरे हुए थे सेवरही में, उन्हें 4 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड से अधिक किसी को राशन नहीं दिया गया है । यह कहते हैं कि जन प्रतिनिधियों को हमने हिस्सेदार बनाया है ।

अभी कल राजस्व सचिव ने दूर-दर्शन पर इस बाढ़ के बारे में एक भेंटवार्ता में कहा है कि जनप्रतिनिधियों को साझेदारी से राहत सामग्री वितरित हो रही है । जबकि वास्तविकता बिलकुल ऐसी नहीं है । जब बाढ़ बीत जाती है, तो तीन हफ्ता का सामान यह एक हफ्ता में बांटकर चले आते हैं । बाढ़ से एक दर्जन से भी अधिक इंसान बह गये, उनका कोई पता नहीं चला । जब वहां इतनी भयंकर बाढ़ आना शुरू हुई वहां के सी0 डी0 ओ0 का ट्रांसफर हो गया था, ज्वायन्ट मैजिस्टेट, पडरौना, उस समय छुट्टी पर चले गये थे, हाटा के परगना मैजिस्टेट उस समय ट्रांसफर पर थे । तो जिन अधिकारियों की बाढ़ राहत कार्यों में महत्वपूर्ण मुकामी जिम्मेदारी है, वहां पर वह कोई भी मौजूद नहीं थे । तो जब बन्धे पर बाढ़ पीड़ित हजारों आदमियों ने मुख्य सड़क पर सेवरही और पडरौना के बीच अपना डेरा डाल दिया तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना हुई । वहां की स्वयं सेवी संस्थाओं ने जो कुछ भी सम्भव हुआ, उनकी मदद की । जब राप्ती नदी, गुर्रा नदी में बाढ़ आई तो सरांव के पास सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, विभाग के ठेकेदारों के साथ साजिश करके, बन्धे को काट दिया । इस मिली भगत और साजिश का नतीजा यह हुआ कि जिस इलाके में कभी बाढ़ नहीं आती थी, उस इलाके में भी इस बार भारी बाढ़ आई और रुद्रपुर-कछारा के एक दर्जन गांव में भीषण बाढ़ अधिकारियों की लापरवाही और साजिश से आई ।

सन् 1979 में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने पिपरासी बांध के बारे में एक समझौता किया था,

दोनों राज्य सरकारों के सम्बन्धित मंत्रियों की मुलाकात हुई थी और एक योजना बनी थी कि यातो उस बन्धे का इलाका पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश को दे दिया जाए या बिहार को दे दिया जाए, लेकिन वह हो नहीं पाया था। इसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार बन्धे तो बना देती है, लेकिन बिहार के हिस्से में जो है वह अपने क्षेत्र के उस बन्धे के सुरक्षा और देख-भाल के ऊपर पूरा तवज्जह नहीं दे पाता है, जितना उसको देना चाहिए। इसलिए बिहार की तरफ ही वह बन्धा कटता है और इस बार उस पर इतना भार पड़ा कि वह उतर प्रदेश की ओर बुरी तरह से कट गया और हजारों की आबादी सड़क पर और मैदान में आकर रह रही है। अपने इलाके में जाने के लिए इन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस बारे में आपसे मेरा संक्षेप में इतना निवेदन है कि राहत सामग्री का वितरण कार्य तेज किया जाय, पूरे साल के लिए लगान माफी होनी चाहिए, छात्रों की शुल्क माफी के आदेश होने चाहिए और बाढ़ राहत कार्य में जन प्रतिनिधियों को भी साझीदार बनाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

*श्री मारकन्डेय चंद्र—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में हो रही चर्चा पर मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, वैसे पूरे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बाढ़ और सूखे की विभीषिका है। बहुत से अंचल बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े है, जो मुझे उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बस्ती जिला प्रभावित है। बस्ती जिले के 2855 गांव और गोरखपुर के 1028 गांव प्रभावित हुये हैं।

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर को 57 लाख रुपये की और बस्ती जनपद को 69 लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में दी गयी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गोरखपुर जिला प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है लेकिन इस वर्ष वहां पर एक तरफ तो बाढ़ और दूसरी तरफ बहुत से भागों में सूखा पड़ा है। गोरखपुर में 1028 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं लेकिन गोरखपुर के सम्बन्ध में जो आकड़े हैं, सरकार की सूखे के संबन्ध में जो सूचना है उसमें भी गोरखपुर है। इस वर्ष जिन 16 जिलों में सूखा है उसमें एक गोरखपुर जिला भी है। बाढ़ की विभीषिका सबसे ज्यादा बस्ती जिले में है और उसके बाद गोरखपुर जिला आता है तो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। गोरखपुर का आधे से अधिक भाग बाढ़ से प्रभावित है और आधे से कम भाग सूखे से प्रभावित है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोरखपुर की क्या स्थिति है।

समय कम है इसलिए मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गोरखपुर में 57 लाख रुपये दिये गये हैं और 4 लाख 83 हजार, 333 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस तरह से एक व्यक्ति के लिए 10 या 11 रुपये पड़ते हैं। माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रति व्यक्ति ढ़ाई सौ रुपये की सहायता दी गयी है या प्रति परिवार दी गयी है। अगर 57 लाख रुपये को लगभग 5 लाख लोगों में बांटा जाय तो 10 या 11 रुपये आता है। तो किस आधार पर आपने वह घोषणा की है, क्या यह बात ठीक बैठती है। माननीय मोहन सिंह जी ने जो कहा उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। जुलाई में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती में बाढ़ आयी। अब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछली बाढ़ जुलाई में आयी तो 15–16 दिन लोग बाढ़ से घिरे रहे। जो लोग पानी से घिरे हैं और बाहर नहीं निकलते हैं उन्हें एक वक्त की रोटी देने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तब यह जो 10–11 रुपये की राशि है उससे आप 15 दिन तक एक व्यक्ति को कैसे खिला सकते हैं जबकि 10–11 रुपये में 5–6 किलो गेहूं भी नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब समाप्त करें।

श्री मारकन्डेय चन्द्र—

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो धनराशि है यह बहुत कम है। माननीय मंत्री जी ने कुछ पत्रों का हवाला दिया कि ऐसा आदेश है कि जन प्रतिनिधियों और सांसदों तथा विधायकों की साझेदारी में यह काम हो रहा है। मैं आपको अपनी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर बता देना चाहता हूं कि शासन को धोखा दिया गया है। विधायकों, सांसदों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम विधायक हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो कुछ भी सहायता दी गयी है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। परसाल मेरे क्षेत्र में 19 सौ क्विंटल गल्ला वितरित किया गया जिसमें से 1 हजार क्विंटल गल्ला नायब तहसीलदार ने बेच दिया। मैं आठ महीनों से दौड़ रहा हूं कि जांच करा दें लेकिन जांच नहीं हुई है। तो आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी सहायता उपलब्ध करायी जाय उसमें विधायकों, जनप्रतिनिधियों, सांसदों को साझेदार बनायें ताकि सहायता का सही वितरण हो सके और सहायता गांवों तक सही रूप में पहुंच सके।

*श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। जैसा कि समाचार–पत्रों से तथा अन्य माध्यमों से आपको मालूम है कि गोंडा जनपद की बलरामपुर तहसील राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी से डूबा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का और माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान गोंडा जनपद की तहसील बलरामपुर तहसील की जो बाढ़ विभीषिका है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। गोंडा में राप्ती नदी तथा बूढ़ी राप्ती नदी, घाघरा और भांभर नदी से पूरे गोंडा के बलरामपुर तहसील का आधा भाग 27 जुलाई के डूब गया। 27 जुलाई को वहां पर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिससे बलरामपुर तहसील के गैंसड़ी विधान सभा क्षेत्र में 200 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए और 60 से लेकर 100 प्रतिशत का नुकसान हुआ। मोतीपुर कुंडवहा गांव को कटहा नाला बहा ले गया। भांभर नाले से जहंदरिया गांव का कमंडोह मजरा कट गया। राप्ती नदी से धोसियार का बंधा और लिलवा–धोपलापुर का बंधा कट गया, जिससे 50सों गांव राप्ती नदी के बाढ़ से डूब गए। किसी को राहत में कुछ भी नहीं दिया गया। नावें फर्जी दिखाई गईं। रामपुर कोलवा गांव के लोग 29 जुलाई को मुझसे नाव के लिए शिकायत की। तहसील में मैंने देखा तो वहां पर पहले से 4 नावें थीं, जो बिलकुल कागज पर दिखाई गईं थीं। पंचपेड़वा विकास खंड, गैंसड़ी विकास खंड के गांव राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी, कटहा नाला, भांभर नाला से प्रभावित हुए, उनको कोई राहत नहीं मिला। जंहदरिया गांव कटा जा रहा है। मधवानगर खादर व लछमरिया खादर व इमिलिया खादर के गांव बूढ़ी राप्ती नदी से आधी आबादी कट गई, परन्तु कटान रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

पुनः 7 सितम्बर से बलरामपुर तहसील के विकास खंड पंचपेड़वा, गैंसड़ी तथा बलरामपुर के राप्ती व बूढ़ी राप्ती, कटहा व भांभर नाले के बाढ़ से डूबे हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । जमींदार के बांध बाढ़ बचाव हेतु जो बनाए गए थे, वह ग्राम जहंदरिया, कलड़ी कटोहा, मिर्जापुर के करमहना घाट तक लखभरियाखादर से पिपरिहा जमनी तक त्रिलोकपुर आदि में बने थे, मोतीपुर कुंडोहा और जननी में कटहा नाले के दोनों तरफ बांध बनाकर व जमींदारी बंधी का मरम्मत करके और उनका स्तर ऊंचा करके बाढ़ से बचाव किया जाय । अन्त में बढ़नी से इटवा रोड पर मुंहचोरवा घाट पर जो पुल बना है, उसका निकास बहुत कम है । सड़क के पश्चिम तरफ पानी भर जाता है, जिसे गोंडा और बस्ती जनपद के सड़क के पश्चिम तरफ के 100 गांव डूब जाते हैं । इस सड़क पर जगह-जगह डिप बनाए जाएं ताकि बाढ़ का पानी रुक जाय । राजस्व विभाग के राज्य मन्त्री श्री हाफिज सिद्दीक साहब का गोंडा के राहत कार्यों को देखरेख के लिए शासन द्वारा नियुक्त किया जाय, ताकि राहत धनराशि के आबंटन में जो पहले घपला हुआ, वह दुबारा न हो सके और इसमें माननीय विधायकों की बैठक राहत सम्बन्धी तुरन्त बुलायी जाय । जमींदारी बांध के निर्माण हेतु बलरामपुर तहसील में कम से कम 2 करोड़ रुपया आबंटित किया जाय । एन0 आर0 पी0 में हमने घोसियार का बांध व लिलवा घोपलापुर का बांध लाखों रुपए की लागत से बनवाया था, जो 40 मीटर और 100 मीटर तक कट गया है, जिससे सैकड़ों गांव आज भी डूबे हैं । मिर्जापुर घोसियार से करमहना जमींदारी बांध तुरन्त बनाया जाय तथा करोहवा से लखभरिया खादर और जहंदरिया व मोतीपुर कोंडवहा जमींदारी बांध के निर्माण व मरम्मत के लिए तुरन्त 25 लाख रुपया आबंटित किया जाय । इन सब बातों की घोषणा आज ही की जाय ।

*श्री धरमपाल—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय, हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे प्रमाण हैं, जिससे हमारा बोलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय ।

श्री धरमपाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ जैसे विषय पर बोलने का अवसर दिया । बाढ़ की घटना आते ही पूर्वांचल का चित्र मानस पटल पर आ जाता है । जैसे बाढ़ और पूर्वांचल का रिश्ता चोली और दामन का हो गया है । इसके दो तीन वर्ष पहले जब बाढ़ आती थी तो हम प्रकृति का रोना रोया करते थे और आज हम सरयू परियोजना का रोना रो रहे हैं । सरयू परियोजना अधूरी पड़ी है और उसके कारण जो बन्धे बन गए हैं, उसके कारण जो प्राकृतिक श्रोत थे पानी निकलने के वह बन्द हो गए और उससे अवरोध हो रहा है । आज स्थिति यह है कि जहां नहर और नाले नहीं हैं आज वह गांव भी पानी में डूबे हुए हैं ।

मैं सरकार का ध्यान बहराइच जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां गिलौला ब्लाक है वहां बाढ़ की स्थिति बदतर हो चुकी है । माननीय मुख्य मन्त्री जी हमारे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं । उन्होंने स्वयं देखा इस स्थिति को । सरयू परियोजना अधूरी पड़ी है । जिसके कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है । इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाय तथा बहराइच को बाढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्रभावित घोषित करके सारी वसूलियां रोकी जाएं, छात्रों की फीस माफ की जाय तथा किसानों को तकावी बांटी जाय ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इस सदन में 1937 से लेकर आज तक हमेशा किसी न किसी सत्र में सूखा और बाढ़ पर चर्चा होती है । शासन पक्ष हमेशा एक आश्वासन देता है कि हम बाढ़ की विभाषिका को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन यदि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को सरकार लागू कर पाती और उसके लिए धन की व्यवस्था कर पाते तो यह बाढ़ निरन्तर बढ़ने के बजाय किसी न किसी स्तर पर रुकती । मैं पिछले तीन वर्ष के आंकड़े सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं । वर्ष 1983 में एक करोड़ 53 लाख 27 हजार जन-संख्या बाढ़ से प्रभावित हुई थी, उसके बाद दो करोड़ 33 लाख और उसके बाद एक करोड़ 46 लाख इस प्रकार निरन्तर यह कभी घटती है कभी बढ़ती है । बाढ़ से निपटने के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना में 230 करोड़ का प्राविधान किया गया लेकिन प्लानिंग कमीशन ने एक अरब 30 करोड़ कर दिया । लेकिन जो मेरी जानकारी है, उसके अनुसार यह सरकार एक अरब 30 करोड़ में से केवल 70 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए खर्च किया ।

पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर जितनी कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है उसका 58 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है । बाढ़ की विभीषिका जब आई तो सभी प्रदेशों ने सोचा कि इसको कम किया जाय । हर जगह कुछ कमी आई उड़ीसा और हरियाणा में कमी आई लेकिन उत्तर प्रदेश में कमी नहीं आ रही है । इसका कारण है सरकार के पास बड़े पैमाने पर कोई योजना नहीं है । छोटे-छोटे बांध बनाकर, नहर बनाकर और तटबन्ध बनाकर बाढ़ को रोकने की व्यवस्था की जायेगी तो स्वाभाविक है कि बाढ़ एक जगह रुककर दूसरी जगह आयेगी । मेरा सुझाव है कि बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराकर बाढ़ से निपटाने के लिए विस्तृत योजना बनाकर बाढ़ को रोकने की निरन्तर व्यवस्था की जाये । बस्ती में 2 हजार 855 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं । अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन सौ गांव प्रभावित हैं । मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि शासन पक्ष मुझे फांसी पर चढ़ा दे लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता ने क्या बिगाड़ा है ।

मान्यवर, पिछले साल पूरे जिले में 20 किलो गेहूं तक राहत के लिए दिया गया लेकिन मेरे क्षेत्र में 10 किलो तक नहीं दिया गया । पूरे जिले में राहत सामग्री दी गई थी लेकिन हमारे क्षेत्र में जहां बाढ़ थी, उसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सूची तक में शामिल नहीं किया था । वहां राहत सामग्री किसी प्रकार की नहीं दी गई । मान्यवर, ...

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक मिनट का समय और लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जाएं ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आपने सूखे और बाढ़ पर हो रही चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि चाहे सूखे का क्षेत्र हो चाहे बाढ़ का क्षेत्र हो, मैं सबको समय देने की कोशिश करूंगा ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, हमारे आजमगढ़ में सगड़ी तहसील में जो बाढ़ से तबाही हुई है....

श्री ध्रुव प्रसाद राय—

माम्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें श्री पंचानन राय बोल रहे हैं।

श्री ध्रुव प्रसाद राय—

माम्यवर, मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

[4 बजकर 31 मिनट]

*श्री चानन राय—

माम्यवर, मैं कह रहा था बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। माम्यवर, आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील है। यहां घाघरा नदी की बाढ़ से बहुत तबाही मची हुई है। माम्यवर, सगड़ी तहसील महौला गढ़वाल बांध और घाघरा नदी के बीच पड़ती है। यहां हर बार बाढ़ आती है, लेकिन इस बार एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। माम्यवर, असामाजिक तत्वों ने बंधे को काट दिया। सब इसे साजिश कहते हैं। माम्यवर, यह बन्धा 1951 में बना था। यह बहुत मजबूत बन्धा था, इसको असामाजिक तत्वों द्वारा काट दिया गया। और उससे 195 गांव की जनता जो अपने घरों में सो रही थी, जिसे इस बात की खबर भी न थी कि यहां बाढ़ आ जायेगी, उन्होंने सुबेरे उठकर देखा तो उनके घरों में पानी था। जिन्होंने बन्धे को काटा है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माम्यवर, यह बहुत शर्मनाक कार्य था, जिन्होंने इस बन्धे को काटा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। माम्यवर, बाढ़ से 15,50,000 जनसंख्या प्रभावित हुई है। राहत कार्य जितना वहां होना चाहिए था वह नहीं हुआ है।

माम्यवर, हर जिले में जहां बाढ़ आई कोई न कोई मन्त्री जमीन पर जरूर उतरा। लेकिन आजमगढ़ जिले में जमीन पर जा कर किसी मन्त्री ने निरीक्षण नहीं किया। माम्यवर, मन्त्री जो वहां जाकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को देखते हैं जहां उनकी इच्छा होती है। मन्त्री जी जहां चाहते हैं वहां राहत कार्य होता है। माम्यवर, जो महौला गढ़वल बांध है इसको सतह को देखकर के सड़कें बनायीं जायें तो समस्या का समाधान हो जायेगा। माम्यवर, जो गांव बन्धे को सतह पर हैं उनको ऊंचा कर देना चाहिए। माम्यवर, इस गांव में पशओं के बहुत रोग चल रहे हैं वहां एक पशु चिकित्सालय खोला जाना चाहिए। इसी के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत के कार्यों को बढ़ाना चाहिये।

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बाढ़ की समस्या पर बोलने का अवसर दिया। हमको लगता है कि राजस्व मन्त्री तो केवल सहायता के संदर्भ में बाढ़ से जुड़े हैं। जहां तक बलिया जनपद का सवाल है गंगा, घागरा और टोंस तीनों नदियों से बलिया प्रभावित है। मात्र 10–20 गांवों को छोड़कर किसी भी गांव में अनाज वितरण नहीं किया गया है। बीड़ी माचिस तक नहीं दी जा रही है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान बलिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, बलिया में, माम्यवर, जो गंगा नदी है उससे बाढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के समय बचने के लिए बिहार सरकार द्वारा बक्सर कोलिहर बंधे का निर्माण किया गया है। एक मीटर ज्यादा पानी बलिया में आता है। इसके लिए बलिया से महमूदाबाद तक बांध निर्माण की एक योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह से निर्मित की गई थी। काम शुरू हो गया था किन्तु पता नहीं किस कारण से जनहित के नाम पर उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। इससे हमारे जनपद में गंगा नदी के पानी का ज्यादा दबाव पड़ रहा है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी के पानी का प्रेसर कम करने के लिए जहां गंगा पर टोंस नदी मिलती है वहां पर एक बांध का निर्माण हुआ था लेकिन गंगा का कटाव कहीं रुका।

इस सम्बन्ध में एक चित्र मैं मान्यवर, आपको देना चाहता हूं। इसमें गंगा नदी से इन्दरपुर, बमरपुर बांध को तीन जगह से कटान दिखाई है। इसका शोर होने पर अब वहां बेहया लगाकर कटान रोकने का कार्य किया जा रहा है। मैं सिचाई मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बंधे का निर्माण पूरा किया जाय। टोंस नदी से लगा रामपुर एक गांव है, वहां भी कटान हो रही है। वहां 17 घर ऐसे हैं जो हरिजनों के हैं और टोंस नदी के किनारे बसे हैं, उनको वहां से हटा कर अन्यत्र बसाया जाना आवश्यक है। वहां पिछले 4 वर्षों से बोल्डर पड़े हुए हैं और कटान जारी है। इसके अतिरिक्त एक गांव है अमरपुर बियरा, वहां भी बाढ़ निरोधक कार्य नहीं हो रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा नदी के उस पार जितने गांव बसे हैं, उनको बाढ़ के कटान से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जायें और प्रभावशाली योजनायें बनाई जायें। हमारे क्षेत्र में जो साहा ब्लाक है तथा हनुमानगंज व गड़वार के आस-पास जो अन्य गांव हैं, वहां लगान आदि को माफ किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है कृपया अब आप बैठें।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आपने बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जब भी कोई दैवी आपदा, चाहे वह बाढ़ हो, सूखा हो या फिर आग हो, आती है, तो शासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह वहां पर राहत कार्य पहुंचवाये। नियम और नियमावली तथा कमेटी ये सारी चीजें बनी हुई हैं परन्तु व्यवहार में क्या हो रहा है, इसे देखने की बहुत आवश्यकता है। व्यवस्था आपने कर दी, मीटिंग आपने कर दी, मगर जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है और या फिर आग लगती है, तो कोई भी राहत कार्य वहां पर नहीं पहुंचवाई जाती। मान्यवर, बाढ़ से ज्यादा विकराल रूप सूखे का होता है।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। शासन स्तर पर नियम 301 के अन्तर्गत मैंने एक सवाल किया था अपने क्षेत्र में आग लगने के बारे में। शासन से राहत कार्य हेतु 2 लाख रुपये भी जिलाधीश महोदय को भेजा गया था वितरित करने के लिए, परन्तु तहसीलदार महोदय ने वह रुपया वितरित न कर शासन को वापस कर दिया। इसकी शिकायत मैंने राजस्व मन्त्री महोदय को की थी और उन्होंने कहा था कि बाढ़ एवं राहत आयुक्त इसकी जांच वहां जाकर स्वयं करेंगे कि यह रुपया वापस क्यों किया गया। अभी तक वहां राहत कार्य नहीं पहुंचवाया गया है। मैं चाहूंगा कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ कभी नहीं आती, यदि बाढ़ विभाग के अधिकारी वहां पर कायदे से बांध बनाते

तो निश्चित ही 2/3 भाग में बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाती।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, बस्ती जनपद, इस प्रदेश का सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। डुमरियागंज तहसील मेरे क्षेत्र में पड़ता है, जब वहां बाढ़ आयी थी तो हमारे भाई श्री मोहन सिंह जी और माननीय नेता विरोधी दल वहां पर पहुंचे थे। वहां की लम्बी भीड़ ने इन्हें घेर लिया था।

मान्यवर, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राप्ती नदी का जो दाहिना किनारा है, वह काफी ऊंचा है, इसलिए उसके किनारे स्थित गांव बाढ़ से प्रभावित कम हो पाते हैं, किन्तु नदी का जो बांया किनारा है। वह काफी नीचे है, इसलिए इस किनारे पर जो गांव बसे हैं वे प्रत्येक साल बाढ़ में डूबे रहते हैं। वहां के अधिकारियों ने उसके ऊपर जाकर बांध बनवा दिया, जिससे यह हुआ कि नदी का किनारा और तेजी से कटने लगा और गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होने लगे। मैंने उस बंधे को कटवा दिया, तो यह प्रचार होने लगा कि इन्होंने अपने मन से उसे कटवा दिया है। माननीय मंत्री जी जब अपनी बात कह रहे थे, तो मैं आशा कर रहा था कि वह कोई रचनात्मक बात कहेंगे, किन्तु उन्होंने केवल हवा में बांध बना दिये। ....

मान्यवर, जरूरत आज इस बात की थी कि माननीय मंत्री जी यह घोषणा करते कि जो गांव सभाएं नाव लेना चाहती हैं हम उन्हें 50 प्रतिशत सब्सीडी देंगे लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी, ज्यादातर फैजाबाद व अन्य जिलों से आकर नावें ट्रकों से उतरती हैं और चली जाती हैं और उनका किराया वसूल लिया जाता है। माननीय मंत्री जी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोटर बोट जो साल भर पड़ी रहती है, उन्हें जब स्टार्ट किया जाता है तो वह फेल हो जाती हैं चाहे वह मोटर बोट पी0 ए0 सी0 की या किसी अन्य जगहों की हों सभी का हाल यह है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो बंधा है उस बंधे के ऊपरी बंधे को खत्म कर दें और बाढ़ पीड़ित गावों को आप ऊंचा कर दें। साथ ही मा0 मंत्री जी को यह भी घोषणा करनी चाहिए थी कि आइन्दा का हमारा यह लक्ष्य है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे स्थानों को पाटकर ऊंचा करेंगे जो सदैव बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, लेकिन यह घोषणा भी माननीय मंत्री जी ने नहीं की (तालियों की गड़गड़ाहट और शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया शांत रहें, हमने माननीय सिंचाई मंत्री जी को बुला लिया है।

(कई सदस्यों द्वारा शोर करने पर।)

माननीय मंत्री जी आप कृपया अभी बैठें आपको बाद में बुलाया जायेगा। ऐसा है कि सैलाब और सूखा की समस्याओं पर बहस करने के लिए जिन माननीय सदस्यों के जिले प्रभावित हैं, सम्भवतः वह 5–5 मिनट का समय अवश्य लेंगे, इसलिए इस विभीषिका को देखते हुए और माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए 5–00 बजे के बाद के हमारे जो कार्यक्रम हैं, उन्हें रोककर घंटा, डेढ़ घंटा और अवश्य देना पड़ेगा ताकि इस पक्ष के और उस पक्ष के सभी प्रभावित माननीय सदस्य अपनी अपनी राय और तजवीज कुछ रख सकें।

श्री मुईद अहमद—

जी हां, इस पर कुछ समय अवश्य बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, आज पांच बजे से कुछ और कार्य पहले से ही निर्धारित हैं, इसलिए वह तो ले ही लिया जाय। इसके अलावा, इस पर यह जो चर्चा चल रही है, आज जितनी हो जाय, कर लीजिये। इसको कल भी कर लीजियेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में 8 जिलों में 45 आदमी मरे हैं। मैं अपने क्षेत्र में घूमकर आया हूं, मान्यवर, हमें बोलने का मौका दिया जाय। वहां हजारों एकड़ जमीन कट गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, जो मांग दोनों पक्षों से आयी है उसकी बाबत कहना यह है कि कल इस पर एक घंटे या डेढ़ घंटे का समय रख दिया जाय, आज नहीं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, चाहे वह सूखा हो या बाढ़, यह एक दैवी आपदा है और इसका सामना करने के लिये, इसके प्रति शासन का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। साथ ही साथ मनुष्य के लिये धैर्य के परीक्षण का समय होता है। हमारे प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, दोनों विपदाओं से हमारा प्रदेश ग्रसित है और विशेष रूप से गोंडा जनपद। यह खुशी की बात है कि हमारे राजस्व मंत्री जी वहां का इस विपदा के आने के पूर्व और विपदा के समय दो बार दौरा कर चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी परसों हमारे जनपद में हवाई सर्वेक्षण हेतु गये थे। लेकिन, मुझे यह भी कहने में कतई संकोच नहीं है कि राहत कार्यों में संतोषजनक बात भले ही कही जा सके, परन्तु पर्याप्त उपाय और राहत की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

मान्यवर, जो 27 लाख रुपए गोंडा जनपद के लिये स्वीकृत किये गये हैं, उसका वास्तव में उपभोग अभी सही मायने में नहीं शुरू हुआ है। हमारे भाई अकबाल साहब ने जो बातें कही उसमें अधिकांश बातें बिल्कुल यथार्थ पर आधारित हैं। मैं चाहूंगा कि जितने राहत कार्य दिये जायं, उस पर जन प्रतिनिधियों चाहे वह विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के उनका इन्वाल्व-मेंट अवश्य रहे। मान्यवर, इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। अभी विपक्ष के साथी भाई कमाल साहब ने भी इस दिशा में काफी कुछ कहा और कुछ सुझाव रखे। मान्यवर, जब यह पहले से मालूम हो कि कौन से विकास खंड में कौन सी गांव सभायें बाढ़ ग्रसित हैं, तो फिर वहां पर क्यों नहीं नाव की प्रबंध व्यवस्था पहले से कर दी जाती? जब बाढ़ आती है, तब दूसरे मण्डल से या दूसरे जनपद से नाव मंगायी जाती है। इसका उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि राहत के लिये जो धन का उपभोग होता है, उसमें इस प्रक्रिया में दुरुपयोग का साधन मिल जाता है। मेरा सुझाव है कि जो बाढ़ ग्रसित गांव सभायें हैं, वहां पर सबसिडी देकर के नाव अवश्य उपलब्ध करायी जाय। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो भी बाढ़-ग्रसित गांव सभायें हैं, वहां पर एक ऊंचा चबूतरा स्थापित कर दिया जाय।

जिससे जब भी बाढ़ आये तो गांव के लोग अपने घरों से निकलकर उन चबूतरों पर आ सकें, जहां से नाव के द्वारा या पी० ए० सी० के द्वारा उनको निकालने की सुविधा मिल सके।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन पीठासीन हुये)

इसके साथ ही साथ जो कर्जा है, उसकी वसूली की जा रही है। वसूली की रोक के लिये अभी तक जिला स्तर तक आदेश नहीं पहुंचे हैं। राजस्व मन्त्री जी ने अभी कहा कि 3 महीने के लिये वसूली रोक दी गयी है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि 3 महीने के अन्दर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में कोई लाटरी निकलने वाली नहीं है, जिससे कि 3 महीने के अन्दर वह अपनी वसूली दे सकें। यह कम से कम एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जाय। यदि इस वसूली को माफ कर सकें तो और कृपा होगी। यदि यह न कर सकें तो वसूली कम से कम एक वर्ष के लिये रोक दी जाय। कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरे खाल में हैं, थोड़ी सी भी बरसात हो तो वहां पानी भर जाता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे गांवों का उच्चीकरण किया जाय। दुर्गागंज एक गांव है, टेढ़ी नदी और सरजू नदी के बीच में इसका कटाव विपरीत दिशा में जा रहा है। यह अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो सरजू का पुल बेकार हो जायगा और आने-जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके साथ ही मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया।

श्री ब्रह्मदत्त—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ और सूखे पर चर्चा के लिये कल भी दो घन्टे का समय निर्धारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि माननीय बित्तमंत्री जी ने अभी जो इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, कि बाढ़ और सूखे पर चर्चा के लिये कल भी दो घन्टे का समय निर्धारित किया किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष —

ठीक है, कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा कल प्रात:काल, समय तय कर लिया जायगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष —

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना को, जो कि सैनिक स्कूल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं प्रधानाचार्य की तानाशाही के विरुद्ध अध्यापकों एवं छात्रों में उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

सी0 पी0 ए0 की बैठक के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष —

आज सदन के सत्र की समाप्ति पर सी0 पी0 ए0 की बैठक है, जिसमें इस आदरणीय सदन के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य होंगे। कृपया उसमें आने का कष्ट करें। नोटिस आपके पास पहले ही पहुंच गयी है।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1984-85 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष —

बजट की प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(बजट की प्रतियां सदस्यों में वितरित की गयीं।)

वित्तीय वर्ष 1980-81 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1980-81 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में संशोधन का संकल्प

*वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं —

"चूंकि संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में इस विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1952 को पारित संकल्प द्वारा कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क का उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन, अब संसद द्वारा पारित सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1953) द्वारा किया जाता है,

और चूंकि इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 राज्य में स्थित कृषि भूमि सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क के उदग्रहण पर लागू न रह जाय, और इस प्रयोजन के लिये अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिये,

और चूंकि इस सभा को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था करने के लिये उपर्युक्त अधिनियम का अग्रेतर संशोधन किया जाना चाहिये, अर्थात्—

(एक) सम्पदा शुल्क को दर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये अन्य सम्पत्ति के साथ कृषि भूमि का संकल्प करने से सम्बन्धित उक्त अधिनियम के उपबन्धों को निकालने के लिये ;

(दो) नियमों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप धारा (3) का संशोधन करने के लिये जिससे कि यह सदनों के पटल पर नियम रखने के आदर्श सूत्र के, जैसा कि संसद के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधायन समितियों द्वारा अनुमोदित किया गया है, अनुरूप हो सके ;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि उपर्युक्त विषयों की व्यवस्था करने के लिये संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 (अधिनियम संख्या 34, सन् 1953) का संशोधन किया जाय।"

माननीय, इस सम्बन्ध में एक-दो शब्द कहना चाहूंगा कि 1953 में एक ऐक्ट के द्वारा स्टेट ड्यूटी भारत सरकार के द्वारा लगायी गयी थी। इसके अन्तर्गत जो आय होती थी वह राज्य सरकारों को वितरित की जाती थी। यह ड्यूटी राज्य सरकारों की सहमति से लगायी जाती रही है। इस सम्बन्ध में 14 मार्च, 1952 में सहमति दी गयी थी। अब केन्द्र के वित्त मंत्री ने घोषित किया है कि कृषि योग्य भूमि पर स्टेट ड्यूटी को समाप्त किए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहा है और उस पर लगाने का अधिकार राज्यों को मिल जायेगा। इसी प्रयोजन से इस संकल्प को प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को पारित करने का कष्ट करें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं इस संकल्प का विरोध करने के लिए के खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जो ने इस बात को छिपाया है कि संकल्प के जरिए जो यहां के पूंजीपति हैं, उनका जो प्रापर्टी टैक्स है, वह घट जाये, उनको फायदा पहुंचाने के हैं। मान्यवर, ऐसा है कि यहां बहुत से फार्म हैं बड़े-बड़े और वह बिरला जैसे धनी आदमी के हैं, तो उनके फार्म की सम्पत्ति जुड़ती ह, जब टैक्स की गणना की जाती है। अगर टैक्स के निर्धारण में कृषि को नहीं जोड़ा जायेगा तो इससे दो नुकसान होंगे। कृषि के नाम पर बहुत पैसा निकल जायेगी। मान लीजिए एक एकड़ में 40 मन गेहूं पैदा होता है तो धनी लोगों के फार्म में 100 मन एकएकड़ में पैदा हो जायेगा। असलियत में वह पैदा नहीं होता है लेकिन फार्म की आमदनी में दिखा दिया जाता है और काला धन सफेद धन हो जाता है। जो फैक्टरी के मालिक हैं, जो बड़े-बड़े मिल मलिक हैं और जो बहुत बड़ी सम्पदा के मालिक हैं जो दूसरा धन्धा करते हैं और काले धन को सफेद करते हैं उनके कृषि के उत्पादन को वैल्थ टैक्स में जोड़ने का प्रावधान है, लेकिन माननीय मंत्री जी अब इसको हटाना चाहते हैं। इस सदन को कोई दिलचस्पी नहीं है। माननीय मंत्री जो पूंजीपतियों के टैक्स को बचाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। वह बहुत पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं।

क्या माननीय मंत्री जो स्पष्टीकरण देंगे कि कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गयी कि कर निर्धारण में कृषि को न लिया जाये। चाहे प्रापर्टी टैक्स लगे और चाहे कोई दूसरा टैक्स लगे। दिल्ली में कानून बनाया गया है और उसी के अनुसार यह टैक्स लगाया जा रहा है, अगर आप कृषि को इससे अलग कर देंगे तो वेल्थ टैक्स के नाम पर बहुत बड़ा हिस्सा निकल जायेगा राज्य की आमदनी कम हो जायेगी। हमारा टैक्स भी कम हो जायेगा। जो पूंजीपति हैं जो धनी हैं जो दूसरों का शोषण करते हैं उनको टैक्स से माफ नहीं करना चाहिए, यह हमारा निवेदन है इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लें।

श्री जयदेव सिंह बरार--

मान्यवर, मैं इस संकल्प के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय राम स्वरूप वर्मा जो ने शायद इस संकल्प को ध्यान से पढ़ा नहीं है या जो इस संकल्प का भाव है उसको वह समझ नहीं पाये हैं। जिसके पास अधिक पैसा है उस पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए, जिसकी पूंजी कम है उस पर कम टैक्स लगेगा। जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की पूंजी बढ़ती है उस पर अधिक टैक्स लगता है। लेकिन जो संकल्प माननीय मंत्री जो ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि उससे किसी के ऊपर टैक्स कम करने की बात नहीं है। कृषि भूमि के सम्बन्ध में कुछ विसंगतियां हैं। अगर कोई भूमि शहर से 20 किलोमीटर दूर है तो उसकी कीमत कम हो जाती है और वह कृषि भूमि किसी शहर के पास है या किसी ऐसी योजना की वजह से ऐसी जगह पर है तो वहां पर उसका मूल्य अधिक हो जाता है जो उचित है। अगर उस जमीन का मालिक उस भूमि को बेचता है या उसकी मृत्यु के बाद उसका वारिस उसको बेचता है तो उस पर कैपिटल गेंस टैक्स लग जाता है। मान लीजिये दो मालिकों की जमीन हैं। एक की शहर के बाहर 20 किलोमीटर पर है और दूसरे की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शहर के नजदीक हैं उनकी मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी अगर वह उसमें खेती करना चाहते हैं तो जिसकी जमीन शहर के नजदीक है उसका मूल्यांकन बहुत अधिक आंका जाता है और स्टेट ड्यूटी बहुत अधिक लगायी जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि उसे अपनी जमीन को बेच कर भी स्टेट डयूटी देनी पड़ती है। अर्थात् वह मात्र कृषि करते हुए भी उक्त भूमि से वंचित हो जाता है।

जहां तक आय कर का सम्बन्ध है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कृषि आय सम्मिलित करके अभी भी उसका शेष आय पर टैक्स परसेन्टेज दर से ऊपर चली जाती है। पहले वह टोटली माफ थी। जो आपने कहा कि ब्लैक मनी जैसे बिरला है उसने इससे अपने धन को सफेद कर लिया। यह चार पांच साल पहले बन्द हो गया था। अब 60-70 प्रतिशत इस टैक्स में चला जाता है। इसलिये आय कर का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक वेल्थ टैक्स का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि जो तर्क मैंने एस्टेट डूयूटी के लिये दिया है कि जो नजदीक की भूमि है उस पर अधिक टैक्स लगता है और जो दूर होती है उस पर कम लगता है इस पर भी लागू होता है। मृत्यु के उपरान्त उस भूमि का उत्तराधिकारी उसे बेचकर टैक्स अभी भी अदा करता है। इसलिये जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है जो इसका भाव है, विभिन्न लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको समाप्त करने के लिये इसको लाया गता है। अगर वर्मा जी या और कोई माननीय सदस्य किसानो के हितों की बात कहते हैं ऐसे किसान उस भूमि को बेचने लिये मजबूर हो जाय तो मैं समझता हूं कि वह यह नहीं चाहेंगे इस संकल्प का पारण यहां पर सर्व सम्मति से होना चाहिए।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, जो संकल्प माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है उसको मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि उसका फायदा जो हमारे समाज में दो क्लास हैं, एक हैव्स का और दूसरा हैव नाट्स का। इसका फायदा किस क्लास को पहुंचता है। मैं समझता हूं कि इसका फायदा "हैव्स" को पहुंचेगा, हैव नाट्स को नहीं पहुंचेगा। हैव्स जो हैं वह मेंबिसमम 5 या 10 प्रतिशत हैं बाकी जो 60-70 प्रतिशत हैब नाट्स हैं, बिलो पावर्टी लाइन हैं उनको प्रोफेशन की छूट है। जो फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको और मौका मिल जायेगा जिसका नतीजा यह होगा कि गरीबी की रेखा बढ़ती चली जायेगी। इससे हम कन्सेशन दे रहे हैं उनको और बढ़ावा दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसकी वजह से बड़े-बड़े फार्म भी बना लिए हैं उस फार्म की आमदनी उसकी टोटल इन्कम में से से नहीं निकाली जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि उनको छूट मिल गयी अगर हमारा कहीं कोई प्रापर्टी कारखाना है तो उसको छूट मिल जाती है कि वह एक और फार्म खरीद ले। उसके लिए दो रास्ते खुल जाते हैं। एक तो यह कि जो जमीन उसके पास होगी उसकी वेल्यु वह कितने में आंकेगा? अगर 10 लाख की है तो 5 लाख में खरीदेगा। उसको खुली छूट मिल जायेगी। भ्रष्ट तरीके अपनायेगा और अपने हित में उसका मूल्यांकन करेगा कि यह इतने की प्रापर्टी है।

दूसरी तरफ मुल्क के अंदर मल्टीपल प्रोफेसन का रास्ता खुल जायेगा तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के समाजवाद के विरुद्ध होगा। आज जरूरत इस बात की है कि एक आदमी केवल एक ही प्रोफेशन एडाप्ट करे। अगर कोई अच्छी सरकारी नौकरी में है, आई० ए० एस० या आई० पी० एस० में है तो उसे दूसरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रोफेशन को इजाजत नहीं मिलनी चाहिये इससे जो गरीब हैं, जो हैव नाटस हैं उनको काम के ज्यादा अवसर मिलेंगे । अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो इक्सप्लाइट करने वाला क्लास है उसकी हैसियत बढ़ती जायेगी । तो जो राम स्वरूप जी ने बात कही है मैं उनके साथ हूं और इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं । अगर आज कांग्रेस पार्टी में नाम मात्र का, अगर प्रोफेसर साहब में नाममात्र का समाजवाद है उनको इसका विरोध करना चाहिये । हिन्दुस्तान में जितने लोग समाजवादी विचारधारा के हैं उनके यह विरुद्ध है और देश में पूंजीवाद लाने की यह व्यवस्था है । जो बड़े-बड़े रईस लोग हैं उनके हाथों में संपत्ति इकट्ठा करने का इससे मौका मिलेगा । इससे गरीब और अमीर की खाई दिन-ब दिन बढ़ेगी ।

*श्री फखरे आलम--

अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प उस सरकार की तरफ से लाया जा रहा है जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है और ऐसे वित्त मंत्री द्वारा लाया जा रहा है जो अपने को समाजवादी कहते हैं--

ये ब्रह्म दत्त की सलीका है सितमगीरी में,
कोई माशूक है इस पर्दये जंगारी में ।

दिल्ली के हुक्म से पूंजीपतियों को रियायत देने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए यह संकल्प लाया जा रहा है । यह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों से लाया जा रहा है जो पुराने सोशलिस्ट हैं । मेरे ख्याल में उस पर दस्तखत करते समय इनके हाथ कांपे होंगे । इनको लगा होगा कि यह नाजायज काम मेरे हाथों से कराया जा रहा है । जो लोग जम्हूरियत में यकीन करते हैं, जो समाजवाद में यकीन रखते हैं और जो चाहते हैं कि समाज में गरीबों का शोषण न हो वे इस संकल्प का विरोध करेंगे ।

इस संकल्प को लाने में एक बहुत बड़ी साजिश है मैं इस बात का पर्दाफाश करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों ने इस सरकार के ऊपर कब्जा कर रखा है । वे इस बात की कोशिश में हैं और वे ही इस संकल्प को लाये हैं कि उन लोगों को इस टैक्स से मुस्तफा कर दिया जाय । अगर दो लाख के ऊपर टैक्स लगता है उसमें से एक लाख की आमदनी ऐसी है जो खेती से होती है तो उससे इनको वंचित किया जाय । सरकारी खजाने में वह आमदनी न पहुंचे । इसलिए न सिर्फ मैं इसका घोर विरोध करता हूं बल्कि मैं उस पक्ष के लोगों से अपील करता हूं जो समाजवाद में विश्वास करते हैं इसका विरोध करें और इस संकल्प को हरगिज पास न होने दें । अगर इसे पास कर दिया तो वे अपनी गरदन पूंजीपतियों को दे रहे हैं । इसलिए पूंजीपतियों से अपने को बचायें । माननीय ब्रह्म दत्त जी पुराने सोशलिस्ट हैं उनके हाथों से आज समाजवाद की हत्या हो रही है और समाजवाद के हत्यारे ब्रह्म दत्त बन गये हैं । इसलिए इस संकल्प को पास न होने दें और पूरी तरह से इसकी मुखालफत की जाये और यदि मुखालफत न की गयी तो पास हो जायेगा ।

हमारे यहां ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अपने को समाजवादी कहते हैं जैसे प्रोफेसर वासुदेव सिंह हैं वह अपने को समाजवादी कहते हैं, उनको दुश्मन उर्दू जैसी चीज अब नहीं इसमें दिखाई दे रही है, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया है और समाजवाद अपनी सफेद जैकेट में रख लिया और समाजवाद को भूल गये । मैं उनसे अपील करूंगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि वह इस संकल्प का विरोध करें, उसी तरह से जैसे उन्होंने उर्दू बिल का विरोध किया था, जो सभी के हक में, हिन्दुस्तान के हक में और जम्हूरियत के हक में है । उससे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लाखों, करोड़ों और अरबों रुपये का, किस के हाथ से, श्री ब्रह्म दत्त के हाथ से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिनको समाजवादी कहा जाता है । मैं बताना चाहता हूं एक शायरी के जरिये कि—

करीब है यारों पे जे महसर,
बुस्तों का छपेगा खूं क्योंकर,
जो चुप रहेगी जबाने खंजर,
लहू पुकारेगा आस्तीं का ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे ताज्जुब होता है जब बहुत ही वरिष्ठ सदस्य इसके पहलुओं पर विचार करते हुए वह हैब्स और हैब्स नाट को देखते हैं तो किसान को वह भूल जाते हैं । यहां संपदा शुल्क का ताल्लुक श्री फखरे आलम जो लगा रहे हैं उससे उनकी पढ़ाई पर हम फक्र करते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई सवाल उठता है तो इनको समाजवाद अपने चश्में से दिखाई देता है । उनको उनके चश्में में किसान समाजवाद से बाहर दिखाई देता है । किसान का नाम आयेगा तो उनके चश्में में पूंजीपति दिखाई देगा । उनको आज अंदाजा नहीं है कि जिन किसानों की भूमि पर संपदा शुल्क लगाकर जिससे वह किसान छोटे बन रहे हैं उसको कम किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं श्री रियासत हुसैन की ताईद करता हूं कि जो उन्होंने एक प्रोफेशन अख्तियार करने की बात के लिए कहा वह ठीक है । कोई बड़ा है तो कृषि के साथ उसको न जोड़ें क्योंकि संपदा शुल्क उस पर लगायेंगे तो क्या लाभ करेगा । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप उस नजर से देखें । जो भी इसमें भावना वित्त मंत्री जी ने प्रकट किया है, उसका जो स्वरूप बताया है कि संपदा शुल्क लगाकर जब इन्कम टैक्स केलकुलेट करेंगे तो इन्कम टैक्स केलकुलेशन में आपको वह स्वरूप लाभ नहीं करेगा और जो भी संपदा शुल्क लगा दिया जाता है, तो संपदा शुल्क चूंकि व्यक्ति के मरने के बाद संपत्ति जोड़ी होती है तो जो छोटे किसान है उनको तकलीफ होती है । इसलिये श्री फखरे आलम से निवेदन करूंगा कि आप अपने चश्में को शेरो शायरी से तो जरूर देखें लेकिन समाजवाद के स्वरूप को पहले देखें और किसान को न भूल जायं, इसलिये इसका विरोध न करें ।

श्री श्याम नरायण तिवारी—

मान्यवर, हमारे देश और राज्य के एग्रेरियन सेक्टर ने उत्पादन बढ़ाया है यहां तक कि इस वर्ष रेकार्ड उत्पादन हुआ है । अब हमारी कृषि केवल प्रकृति और मौसम पर निर्भर नहीं करती है । पिछले 50 वर्षों के लेखा जोखा से स्पष्ट है कि पिछले 50 वर्षों में अच्छी बारिश और कम बारिश भी हुई है लेकिन अनाजों की कमी रही है । हम अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर अवश्य हुये हैं जो उत्पादन कृषि क्षेत्र कर रहा है वह उस पर सरकारी प्रयासों का प्रभाव है । केवल मौसम के अच्छा होने का ही असर नहीं है । एग्रेरियन सेक्टर में हमारे स्टेट में भी एक वर्ग है— कुलक वर्ग, जो लाभान्वित हुआ है, धनी हुआ है और उसने सरकारी प्रयासों का भरपूर लाभ उठाया है । लाभ प्राप्त करता है पर टैक्स नहीं देना चाहता । ऐसी स्थिति में अगर टैक्स में उसका हिस्सा नहीं होगा और उसको इससे मुक्ति मिल गयी तो उसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ेगा । इसलिए मेरा निवेदन है और मैं यह समझता हूं कि यह संकल्प एक तरह से ऐसे वर्ग की जो लाभान्वित हुआ है, उसको टैक्स से बचाना चाहता है और उसको इसमें लाने का यह प्रयास है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको वापस लिया जाए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उत्तेजित किया गया, परन्तु मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं ।

श्री मोहम्मद सिंह—

चूंकि फखरे आलम साहब बोल चुके हैं, इसलिए अब इनका बोलना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ।

श्री वासुदेव सिंह—

यदि आप बोलने में तंग हैं तो कैसे आप विरोधी दल के सदस्य हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

यदि आप बैठना चाहें तो आप बैठ कर बोल सकते हैं । इनको कुछ तकलीफ है ।

श्री वासुदेव सिंह—

(बैठ कर बोलना प्रारम्भ किया) जहां तक मेरी अपनी समाजवाद की जानकारी है, मैं समझता हूं उसे एक छोटे संकल्प पर दबा-पिचकाकर लागू करने की कोशिश की गयी है । समाजवादी पार्टी के नीति वक्तव्य या घोषणा-पत्र में अंकित है कि उत्पादन की एक न्यूनतम पैदावार निश्चित कर दी जाए और उससे कम जो पैदा करता है, उससे उसकी जमीन जब्त कर ली जाए । नाममात्र का समाजवाद कहां है, यहां कि अन्यत्र । यहां कांग्रेस में वास्तविक समाजवाद है । यदि कहीं वास्तविक समाजवाद है तो कांग्रेस में है, इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उर्दू का विरोधी नहीं हूं । मैं हर भाषा की उन्नति और उसके उन्नयन का समर्थक हूं, लेकिन राजभाषा केवल एक होगी इसे अगर कोई समाजवादी नहीं समझ पाता है, तो उसकी अकल पर मुझे तरस आता है । उत्पादन को किस तरह अधिकतम बनाते हुए, कृषि की वैज्ञानिक पद्धति को ऐसे समायोजित किया जाए कि संविधान के अनुसार ही यह संकल्प में लाने की कोशिश की गयी है । जनता शासनकाल में जो दो-तीन साल का ग्रहण लगा था विकेन्द्रीकरण की बात तक नहीं की गयी, उसे समाप्त कर दिया गया है । हमने जो किया है वह समाजवाद है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद की जो चर्चा आप कर रहे हैं, कौन विरोधी दल का ऐसा नेता है, जो अब समाजवाद का नामलेवा बचा है । आप उसका नाम बताइये कि वह समाजवादी कौन है ? अगर समाजवाद कहीं है तो वह कांग्रेस में है, आप किसी के अन्दर नहीं है . .

(व्यवधान)

[5 बजकर 30 मिनट]

श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमन्, 20 सूत्री कार्यक्रम की दुहाई देने वाली सरकार आज जो संकल्प लेकर आई है, उससे सरकार के असली रूप का पर्दाफाश हो गया है । मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर लाखों लोग, जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं है, उनको रात-रात भर सपना होता है कि वह कहीं एक बीघा जमीन पर हल चला रहे हैं । वह लोग इनको किसान नहीं दिखाई पड़ते हैं । इस हमारी सरकार को बड़े-बड़े लोग किसान दिखाई देते हैं जैसे बड़े-बड़े लोग ननीताल की तराई में हजारों-हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए हैं ।

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले बाढ़ पर चर्चा हो रही थी, पूरे पहाड़ की जमीन को साफ करके, तराई की जो जमीन है वह बड़े-बड़े फार्म वालों में बांट दी गयी है और अब उनका संपदा शुल्क भी माफ किया जायगा ताकि सरकारी खजाने का नुकसान हो और कांग्रेस पार्टी के चुनाव के खजाने की वृद्धि हो सके । मैं साफ-साफ इल्जाम लगाना चाहता हूं कि यह जो संकल्प

लाया गया यह संकल्प इसलिए लाया गया है कि सरकारी खजाने का नुकसान करके कांग्रेस के खजाने की वृद्धि हो । मान्यवर, इसमें शब्दावली देखें :

चूंकि इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 राज्य में स्थित कृषि भूमि सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क के उदग्रहण पर लागू न रह जाय और इस प्रयोजन के लिए अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए ।

और चूंकि इस सभा को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम का अग्रेतर संशोधन किया जाना चाहिए, अर्थात्--

(एक) सम्पदा शुल्क की दर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अन्य सम्पत्ति के साथ कृषि भूमि का संकलन करने से सम्बन्धित उक्त अधिनियम के उपबन्धों को निकालने के लिए,

तो मान्यवर, यह इसलिए किया जा रहा है कि टाटा, बिड़ला ने उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बड़े-बड़े फार्मों पर कब्जा कर लिया है उनको सम्पदा शुल्क से माफी दी जा सके । मैं याद दिलाना चाहता हूं । माननीय बरार साहब को और दूसरे माननीय सदस्यगण को कि सम्पदा शुल्क किस पर लगता है । क्या वह गांव में रहने वाले गरीब आदमियों पर लगता है, क्या जो महुवे के पकने का इंतजार करते हैं और चने के साग के सपने देखते हैं उन पर लगता है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अकेले बिड़ला के पास पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर 35 हजार एकड़ जमीन है । कांग्रेस शासनकाल में भारत के विभिन्न राज्यों में तमाम जमीनों पर टाटा, बिड़ला ने कब्जा कर लिया । 4 आम के पेड़ लगा दिए नैनीताल के अन्दर और कह दिया कि यह हमारा फार्म है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं विद्यासागर जी से जानना चाहता हूं कि यह आंकड़े उन्होंने कहां से प्राप्त किए हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

यह आंकड़े झूठे नहीं हैं ।

एक सदस्य—

यह आंकड़े कुबेर भंडारी ने बताये हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

जो बड़े-बड़े फार्मों के मालिकान हैं उनको सम्पदा शुल्क से बचाने का यह नया तरीका ढूंढ़ा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं । कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो थोड़ी सी बूंद सोचने की किसी के दिमाग में है तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्यगण इस पर पुनः विचार करें और इस संकल्प को वापस लेने के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करें । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का जोरदार विरोध करता हूं ।

*श्री खैरुल बशर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि चूंकि यह सरकार बड़े पूंजीपतियों के वर्ग की है बड़े भू-स्वामियों के वर्ग की है इसलिए यह बड़े-बड़े इजारेदारों और पूंजीपतियों की मदद कर सकती है । मैं चैलेन्ज करता हूं वासुदेव सिंह जी को, माननीय मंत्री जी को कि इस सदन में समय निकालिए और इस प्रकार के चरित्र का पर्दाफाश कर दिया जायगा । यह टाटा बिड़ला की सरकार है, बड़े-बड़े भू-स्वामियों की सरकार है जो आज इस देश पर शासन कर रही है और यह सही बात है कि इस सरकार ने यह संकल्प पेश करके पर्दाफाश कर दिया है और सिवाय पागलों के कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आज कांग्रेस में रहकर समाजवाद का नारा लगाये । इसलिए आज श्रीमन् इस देश के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

37 साल की आजादी के बाद जहां भूमिहीनों की संख्या 8 प्रतिशत थी, जो बढ़ कर इस समय 16 प्रतिशत हो गयी ।

श्री अध्यक्ष--

जो संकल्प है, उसी पर आप बोलें ।

श्री खैरुल बशर--

इस तरह से भूमि सिमट कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और बड़े भू-स्वामियों के हाथ में जा रही है और कांग्रेस पार्टी अपने वर्गीय हित में अपने स्वामियों की सेवा करना चाहती है । यह सरकार जनतंत्र की हत्या कर रही है और नकली चुनाव पद्धति की ओर बढ़ रही है और जनवादी नियमों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रही है ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय खैरुल बशर, जो विषय है, जो संकल्प है उसी पर बोलें ।

श्री हुकुम सिंह--

इसके पहिले क्या विषय पर बोला जा रहा था ?

श्री खैरुल बशर--

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी ने तथा अन्य विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करते हुए इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, कभी-कभी ऐसी हालत पैदा हो जाती कि हम लोगों को अपनी छाया में भी भूत नजर आने लगता है । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे वरिष्ठ साथी वर्मा जी ने ऐसी चर्चा चर्चा दी कि उसमें सभी लोग भ्रमित हो गये । अगर इन माननीय सदस्यों के भाषणों को केइनकी पार्टी में भेज दिया जाय, तो इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जायेगी । मैं यह उम्मीद करता था कि अक्लमन्द को इशारा काफी होता है । इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं गया । इस प्रस्ताव का, इस संकल्प का प्रभाव यह पड़ता है कि जो इस्टेट ड्यूटी कृषि योग्य भूमि पर केन्द्र सरकार द्वारा लगायी जाती थी, अब वह केन्द्र सरकार नहीं लगायेगी । अब उसका अधिकार हमको वापस मिल गया । जहां तक हमको याद है, जनता पार्टी की यह मांग रही है और कम्युनिस्ट पार्टी की भी यही मांग रही है कि राज्य सरकार को ज्यादा अधिकार केन्द्र सरकार दे । मान्यवर, जब वह अधिकार देना शुरू किया और इस विषय में अधिकार दिया, तो उसका विरोध हो रहा है । मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इस संकल्प का प्रभाव यह है कि इसके पारित होने के बाद केन्द्र सरकार कृषि योग्य भूमि के ऊपर इस्टेट ड्यूटी नहीं लगायेगी, हमको यह अधिकार प्राप्त हो जायगा और यह जो चिट्ठी केन्द्रीय वित्त मंत्री को है, उसमें स्पष्ट किया गया है--

"आई हैड, इन दि कोर्स आफ माई बजट स्पीच फार 1983-84, इन्डीकेटेड दैट आई प्रोपोज्ड टु रिमूव दि लेवी आफ इस्टेट ड्यूटी आन एग्रीकल्चरल लैंड इज एक्सक्ल्युडेड फार्म दि एम्बिट आफ इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, 1953 दि पावर टु लेजिस्लेट इज रिकार्ड टू दिस मैटर बिल स्टैंड रेस्टोर्ड टु दि कन्सर्नड स्टेट लेजिस्लेचर" ऐसा है कि अगर हमारे माननीय सदस्यों ने यह तय कर लिया है कि मेरी बात को समझने की कोशिश वह नहीं करेंगे, तो मेरी मुसीबत है ।

श्री अध्यक्ष--

अंग्रेजी जो आपने पढ़ा है, उसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिए ।

श्री ब्रह्म दत्त--

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 1983-84 की बजट स्पीच में कहा कि कृषि योग्य भूमि पर इस्टेट ड्यूटी लगाने का जो अधिकार

केन्द्र सरकार को था, उसको वापस करने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब यह है कि कृषि योग्य भूमि को सम्पत्ति शुल्क केन्द्रीय सरकार की परिधि से बाहर निकालने का है और फिर यह अधिकार राज्य सरकारों को वापस हो जायगा। जब हमारा प्रस्ताव यहां से पास होकर जायगा और संसद इसको पास कर देगी, उस समय आपका जो भी प्रस्ताव होगा, हमारे माननीय सदस्य एक नान-आफियल बिल ले आयें, मैं उसी को यहां पश कर दूंगा।

यह केवल हमारे अधिकार क्षेत्र में बढ़ोत्तरी करता है। न इसमें समाजवाद है न कुछ है।

एक बात रियासत हुसैन साहब ने कहीं दूसरा प्रोफेशन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। हमारे यहां की 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। अगर यह नियम लागू कर दिया जाय किसान का लड़का न नौकरी कर सकेगा न व्यापार कर सकेगा और न दूसरे प्रोफशन में जा सकेगा। इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। होना तो यह चाहिये कि किसान का एक लड़का खेती करे, बाकी नौकरी और बिजनेस करें। मैं समझता हूं कि हमारे साथी इस बात को समर्थन देंगे। मैं अपनी नालायकी के कारण आपको अपनी बात समझा नहीं सका लेकिन मैं समझता था कि हमारे काबिल दोस्त मुझ जैसे नाकाबिल का इशारा समझ जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

केन्द्र अगर नहीं लगा पा रही है तो क्या राज्य सरकार लगा सकती है इस्टेट ड्यूटी। आप स्पष्ट घोषणा करें कि आप उसको लगायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

कोई वित्त मन्त्री कैसे विरोध कर सकता है, अगर अतिरिक्त साधन प्राप्त होता है। यह अधिकार हमको जब मिल जायेगा तो विचार करेंगे वैसे सदन जो चाहेगा वह होगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैंने इस सदन को सत्य से अवगत करा दिया। अगर यह टैक्स माफ कर दिया जायेगा तो पूंजीपतियों के पास जमीन रहेगी। वह खेती करने के लिये जमीन नहीं रखते हैं बल्कि काले धन को सफेद करने के लिये रखते हैं। बिड़ला के पास अकेले 35 हजार एकड़ जमीन है। एक-एक एकड़ आप एक परिवार को दें तो 35 हजार परिवार खेती कर सकता है। दो-दो एकड़ दें तो 17 हजार परिवार जमीन पा सकता है। अगर टैक्स फ्री नहीं होगा तो खेती घाटे की चीज हो जायेगी। केन्द्र ने अगर माफ कर दिया तो उतना धन तो कोष से गया चाहे केन्द्र का कोष हो या राज्य सरकार का हो।

श्री अध्यक्ष--

मैं भाषण करने की आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं प्रश्न पूछ रहा हूं गांव में यह प्रापर्टी टैक्स वेल्थ टैक्स किस पर लगता है ? पूंजीपतियों पर लगता है तो क्या वह मरे जा रहे हैं कि इसको माफ करना आवश्यक है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो अधिकार केन्द्र सरकार को था वह राज्य सरकार को वापस हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन--

जिस टैक्स को केन्द्र ने छोड़ दिया उसको आप छोड़ देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "चूंकि संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1952 को पारित संकल्प द्वारा कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा

शुल्क का उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन, अब संसद द्वारा पारित सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 34, सन् 1953) द्वारा किया जाता है,

और चूंकि इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 राज्य में स्थित कृषि भूमि सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क के उदग्रहण पर लागू न रह जाय, और इस प्रयोजन के लिये अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए,

और चूंकि इस सभा को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था करने के लिये उपर्युक्त अधिनियम का अग्रेतर संशोधन किया जाना चाहिए, अर्थात्—

(एक) सम्पदा शुल्क की दर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अन्य सम्पत्ति के साथ कृषि भूमि का संकलन करने से सम्बन्धित उक्त अधिनियम के उपबन्धों को निकालने के लिए;

(दो) नियमों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए जिससे कि वह सदनों के पटल पर नियम रखने के आदर्श सूत्र के, जैसा कि संसद के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधायन समितियों द्वारा अनुमोदित किया गया है, अनुरूप हो सके,

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि उपर्युक्त विषयों की व्यवस्था करने के लिए संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1953) का संशोधन किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन 5 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
11 सितम्बर, 1984

भालचन्द्र शुक्ल
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

सूची

क्रम संख्या	जनपद	नदी	मार्ग	अनुमानित लागत
1	2	3	4	5
				रु0
1	आजमगढ़	डोना नाला	लालगंज तरवा मार्ग	15.40 लाख
2	आजमगढ़	छोटी सरजू	परशुरामपुर–शंकरपुर	14.90 लाख
3	गाजीपुर	उदयन्ती	गाजीपुर–बहरियाबाद	29.00 लाख
4	गाजीपुर	गांगी	गाजीपुर–चोचकपुर	27.90 लाख
5	आजमगढ़	टोंस	सिधारीघाट	
6	वाराणसी	वरुणाधाम–कालिका सेतु	बड़ागांव सनेई मार्ग	(शेष कार्य)
7	जौनपुर	सई	लखनऊ–वाराणसी मार्ग कि0 मी0––246	[57.33 लाख
8	जौनपुर	बिसुही	बावतपुर–जमालपुर मार्ग	19.00 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

लखनऊ मण्डल के 30 जून, 1983 को सेवा निवृत्त हुए ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूची, जिन्हें अभी पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है--

अध्यापक का नाम	विद्यालय जहां कार्यरत थे
1	2
1—श्री हंस राज शर्मा, प्रधानाचार्य	भारतीय आदर्श एंग्लो संस्कृत इंटर कालेज, लेस पुरवा, उन्नाव।
2—श्री श्रीनारायण द्विवेदी, सहायक अध्यापक	के0एन0पी0एन0 इंटर कालेज, मौरवां, उन्नाव।
3—श्री स्वामी सिंह, सहायक अध्यापक	तदेव
4—श्री राधेश्याम श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक	डी0 वी0 डी0टी0 इंटर कालेज, उन्नाव।
5—श्री बीरेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक	बैसवारा इंटर कालेज, लालगंज, रायबरेली।
6—श्री पूर्णेन्द्र मिश्रा, सहायक अध्यापक	महात्मा गांधी इंटर कालेज, रायबरेली।
7—श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक	तदेव
8—श्रीमती बिन्देश्वरी देवी, सहायक अध्यापिका	राष्ट्रीय कन्या उ0 मा0 वि0, सिधौली, सीतापुर।
9—श्री वृज किशोर पाण्डेय, सहायक अध्यापक	सेठ बाबूराम भारतीय इंटर कालेज, पाली, हरदोई।
10—श्री राम स्वरूप वर्मा, सहायक अध्यापक	वृजरानी इंटर कालेज, बांसा, हरदोई।
11—श्रीमती सरोज परिहार, सहायक अध्यापिका	आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, हरदोई।
12—श्री एस0 पी0 मिश्र, प्रधानाचार्य	मंशादीन शुक्ला इंटर कालेज, लखनऊ।
13—श्री विनोद बिहारी मिश्रा, सहायक अध्यापक	श्री जय नारायण इंटर कालेज, लखनऊ।
14—श्रीमती बीरा मलकानी, प्रधानाचार्या	सहायक सिंह बालिका विद्यालय, नरही, लखनऊ।

1	2
15—श्रीमती भगत सहेली श्रीवास्तव, प्रवक्ता	महिला विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ।
16—श्रीमती श्रद्धा अरोरा, सहायक अध्यापिका	नवयुग कन्या इंटर कालेज, लखनऊ।
17—श्रीमती सुनीता पाण्डेय, सहायक अध्यापिका	नारी शिक्षा निकेतन इंटर कालेज, लखनऊ।
18—श्रीमती गायत्री भटनागर, सहायक अध्यापिका	खुन-खुन जी गर्ल्स इंटर कालेज, लखनऊ।
19—श्रीमती सत्य बाला सिन्हा, सहायक अध्यापिका	चुटकी भण्डार गर्ल्स इंटर कालेज, लखनऊ।
20—श्रीमती विद्या सिन्हा, सहायक अध्यापिका	यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कालेज, लखनऊ।
21—श्रीमती श्याम कुमारी सप्रू, सहायक अध्यापिका	कस्तूरबा गर्ल्स इंटर कालेज, लखनऊ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

30 जून, 1983 को फैजाबाद मण्डल के अवकाश प्राप्त करने वाले उन अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूची, जिन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ --

क्र0सं0	अध्यापक का नाम	विद्यालय, जहां कार्यरत थे
1	2	3
1	श्री सत्य नारायण द्विवेदी, सहायक अध्यापक	आचार्य नरेन्द्र देव इंटर कालेज, गोसाईगंज, फैजाबाद ।
2	श्री रामजी शुक्ल, प्रवक्ता	राजकरण वैदिक पाठशाला इंटर कालेज, फैजाबाद ।
3	श्री श्याम सुन्दर यादव, सहायक अध्यापक	नरेन्द्र देव इंटर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद ।
4	श्री राज बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक	श्री अनन्त इंटर कालेज, खपराडीह, फैजाबाद ।
5	श्री जगत नारायण, सहायक अध्यापक	राष्ट्रीय उ0मा0वि0, पिठली, फैजाबाद ।
6	श्री प्यारे मोहन शर्मा, सहायक अध्यापक	बाबा बरुआदास इंटर कालेज, परइया, आश्रम ।
7	श्री जगन्नाथ प्रसाद पाण्डेय, प्रवक्ता	बी0 एन0 इंटर कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद ।
8	कु0 एम0 खाँ, प्रधानाचार्या	मेथोडिस्ट मिशन कन्या उ0 मा0 वि0, फैजाबाद ।
9	श्री रहमत अली, प्रधानाचार्य	कौमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टांडा, फैजाबाद ।
10	श्री श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक	राम वल्लभा भगवन्त विद्यापीठ इंटर कालेज, ड्योढ़ी, फैजाबाद ।
11	श्रीमती रामकली, सहायक अध्यापिका	आर्य कन्या इंटर कालेज, फैजाबाद ।
12	श्रीमती कृष्णा कुमारी, सहायक अध्यापिका	तदेव
13	श्री सैय्यद मो0 नईम, सहायक अध्यापक	टामसन इंटर कालेज, गोंडा ।

1	2	3
14	श्री मोईउद्दीन, सहायक अध्यापक	टामसन इंटर कालेज, गोंडा ।
15	श्री ओम प्रकाश सक्सेना, सहायक अध्यापक	एम0 पी0 पी0 इंटर कालेज, बलरामपुर।
16	स्व0 श्रीमती कान्ति केशी श्रीवास्तव	सरयू प्रसाद कन्या इंटर कालेज, गोंडा ।
17	श्री बनारसी लाल श्रीवास्तव	भगवती आदर्श इंटर कालेज, बलरामपुर, गोंडा ।
18	श्री हरि शंकर लाल श्रीवास्तव	डी0 ए0 वी0 इंटर कालेज, बलरामपुर, गोंडा ।
19	श्री बनवारी लाल शर्मा, सहायक अध्यापक	महाराज सिंह इंटर कालेज, बहराइच ।
20	श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी, संगीत अध्यापक	तारा महिला इंटर कालेज, बहराइच ।
21	श्री राजाराम राठौर	गांधी इंटर कालेज, बहराइच ।
22	श्री शंकर बक्स सिंह, प्रधानाचार्य	दुर्गा विद्या मंदिर इंटर कालेज, सरजूपुर, बाराबंकी ।
23	श्री प्रभु दयाल सिन्हा	मासदन विद्यालय इंटर कालेज, सरजूपुर, बाराबंकी ।
24	श्री राम दत्त आचार्य	बी0 पी0 इंटर कालेज, कुडवार, सुल्तानपुर ।
25	श्री वशिष्ट तिवारी, सहायक अध्यापिका	जनता इंटर कालेज, बलीपुर, सुल्तानपुर ।
26	प्रधानाचार्य	इंटर कालेज, महादेवनगर, प्रतापगढ़ ।
27	हिन्दी प्रवक्ता	के0 पी0 हिन्दू इंटर कालेज, प्रतापगढ़ ।
28	कला अध्यापक	इंटर कालेज, पहाड़पुर ।
29	व्यायाम शिक्षक	तदेव

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 146 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

प्रारम्भिक शिक्षक संघ, प्रतापगढ़ की मांगें	समझौते का विवरण
1	2
1—फंड की अद्यावधि लेखा दिया जाय	1—फंड का कार्य लिपिकों एवं लेखा संगठन के माध्यम से पूरा कराया जायेगा ।
2—प्रत्येक प्रकार के अवशेष का भुगतान अविलम्ब किया जाय	2—अनिवार्य जमा योजना, नवीन वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष धनराशि, मकान किराया भत्ता, अवशेष दक्षता रोक से सम्बन्धित अवशेष के भुगतान जनवरी, 1984 तक कराये जावेंगे । कुछ अध्यापकों के अर्न 1981 के देय महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई किस्त का भुगतान तथा एक प्रधानाध्यापक के निलम्बनकाल का अवशेष धन का भुगतान जांचोपरान्त शीघ्र कराया जावेगा ।
3—आवासीय भत्ता सत्काल दिया जाय	3—आवासीय भत्ते का भुगतान जनवरी, 1984 के वेतन में किया जावेगा ।
4—चयन वेतनमान का निर्धारण तत्काल किया जाय	4—चयन वेतनमान के समस्त प्रकरण प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करके जनवरी, 1984 के अन्त तक निस्तारित कर दिये जायेंगे ।
5—वेतन विसंगतियों का निवारण किया जाय	5—वेतन विसंगति के समस्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा ।
6—रिक्त स्थानों की पूर्ति नई नियुक्ति अथवा पदोन्नति के द्वारा की जाय	6 से 13—अध्यापक संघ विभागीय व्यवस्था से सहमत हैं ।
7—पूर्व निर्धारित प्रत्येक माह की दूसरी तिथि को वेतन वितरण की प्रणाली का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा वेतन वितरण में एकरूपता लायी जाय	

1	2
8—पंचायत निर्वाचन भत्ता का भुगतान किया जाय ।	
9—विद्यालयों में पाठ्योपकरण तथा विद्यालयोपकरण की व्यवस्था की जाय।	
10—बी० टी० सी० प्रशिक्षित, बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल की जाय ।	
11—प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की व्यवस्था तत्काल की जाय।	
12—अध्यापक विहीन तथा एक अध्यापक से युक्त विद्यालयों में अध्यापक संख्या बढ़ायी जाय ।	
13—सीनियर बेसिक विद्यालयों में विषय तथा वर्ग के अनुसार शिक्षकों की आपूर्ति की जाय।	
14—30 जून, 83 अथवा इसके पूर्व सेवा निवृत्त शिक्षकों के प्राप्तव्य का भुगतान तत्काल किया जाय ।	14—30 जून, 1983 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों के समस्त देयकों का भुगतान 11 जनवरी, 1984 तक कर दिया जायेगा ।
15—पेन्शन का भुगतान प्रत्येक माह किया जाय ।	15—सेवानिवृत्त शिक्षकों की सहमति के अनुसार व्यवस्था की जायेगी ।
16—मृत अध्यापकों के आश्रितों को पेन्शन एवं परिवार के अन्य सदस्यों को बेसिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार तुरन्त सेवा का अवसर दिया जाय।	16—मृत अध्यापकों के आश्रितों को पारिवारिक पेन्शन के भुगतान की शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।
17—श्री राम स्वारथ सिंह, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, आसपुर देवसरा के भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच करायी जाय ।	17—शिक्षक संगठन न्यायिक जांच के स्थान पर विभागीय जांच से सहमत थे । निष्पक्ष जांच हेतु प्रश्नगत प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को जांच पूरा होने तक आसपुरा देवसरा ब्लाक से हटा दिया गया है ।
18—प्रशासन के हर स्तर से भ्रष्टाचार दूर किये जायें ।	

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 177 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर।)

जौनपुर जनपद के इण्टर कालेजों की सूची जिनका नामिका निरीक्षण वर्ष 1982-83 में किया गया :

1--इण्टर कालेज, फतेहगंज ।

2--इण्टर कालेज, मसौवा ।

3--इण्टर कालेज, महरेव पुखें ।

4--मो0 हसन इण्टर कालेज, जौनपुर ।

5--टी0 डी0 इण्टर कालेज, जौनपुर ।

6--इण्टर कालेज, माण्डा ।

7--रजा डी0 एम0 इण्टर कालेज, जौनपुर ।

8--सेण्ट थामस इण्टर कालेज, शाहगंज ।

9--सा0 बहादुर इण्टर कालेज, बदलापुर ।

10--इण्टर कालेज, नौपेड़वा ।

11--सार्वजनिक इण्टर कालेज, मुगराबादशाहपुर ।

12--हिन्दू इण्टर कालेज, मुगराबादशाहपुर ।

13--बयालसी इण्टर कालेज, जलालपुर ।

14--इण्टर कालेज, धर्मराजगंज ।

15--पब्लिक इन्टर कालेज, केराकत ।

16--इण्टर कालेज, बेलवार ।

17--इण्टर कालेज, जमुनिया ।

18--इण्टर कालेज, पतहना ।

19--इण्टर कालेज, सराय इरहू ।

20--इण्टर कालेज, आनापुर ।

21--जयहिन्द इण्टर कालेज, तेजी बाजार ।

22--इण्टर कालेज, नैकठिया ।

23--इण्टर कालेज, जासोपुर चकिया ।

24--बी0 आर0 पी0 इण्टर कालेज, जौनपुर ।

25--इण्टर कालेज, घनश्यामपुर ।

26--इण्टर कालेज, रेहारी जौनपुर ।

27--राजकीय कन्या इण्टर कालेज, जौनपुर ।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 103 पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि–लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत की गयी मुद्रण की त्रुटियों की शोधन एवं शाब्दिक संशोधन का विवरण

1—खन्ड 2 (घ) के अन्त में मुद्रित चिन्ह "?" निकाल दिया गया है।

2—खन्ड 8 (1) (एक) की पंक्ति 1 में शब्द "जिस" के स्थान पर "जिन" रखा गया है।

3—खन्ड 9 (4) (ख) की पंक्ति 2 में शब्द "पूर्वतन" के स्थान पर शब्द "पूर्वतर" रखा गया है।

4—खन्ड 16 की पंक्ति 2 में शब्द "कार्यवाही" तथा शब्द "ऐसे" के मध्य प्रयुक्त शब्द "के" निकाल दिया गया है।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 110 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें सोमवार के लिये निर्धारित श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1--क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री बी0 के0 सिंह, अधीक्षक, राष्ट्रीय उद्यान, फैजाबाद ने मेरठ में अपने कार्यकाल में 24 हजार के बीज दक्षिण भारत की एक संस्था सी0 पी0 आर0 आई0 से मंगाए थे जिसका भुगतान उस संस्था को नहीं मिला, परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में उक्त संस्था ने बीज देना बन्द कर दिया है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों ?	सी0 पी0 आर0 आई0 दक्षिण भारत में नहीं बल्कि शिमला में है जिससे श्री बी0के0 सिंह द्वारा रुपये 4,21,525·60 का आलू बीज मंगाया गया था। इसमें से केवल 6,505·70 का भुगतान रुक गया था। वह अब कर दिया गया है, भुगतान रुकने के कारण उन्होंने बीज देना नहीं बन्द किया। श्री सिंह को उक्त मामले में गबन का दोष पाए जाने के कारण निलम्बित किया जा चुका है।

यशपाल सिंह,
कृषि मन्त्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 111 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के लिए श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा पूछा गया अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को वर्ष 1983-84 की रबी फसलों के उत्पादन लागत मूल्यों से कुछ अधिक मूल्य जो लाभकारी मूल्य हो, दिलाने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को (वसूली मूल्यों की) संस्तुति करने के अतिरिक्त कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ?	रबी फसलों में गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर की जाती है। प्रदेशीय सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए अन्य कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

यशपाल सिंह,
कृषि मन्त्री ।

पी0 एस0 यू0 पी0—24 वि0 सभा—1984—(पी0 डी0) ।